खण्ड-333, अंक-5
शनिवार, 23 वैशाख, शक संवत् 1900
(13 मई, 1978 ई0)

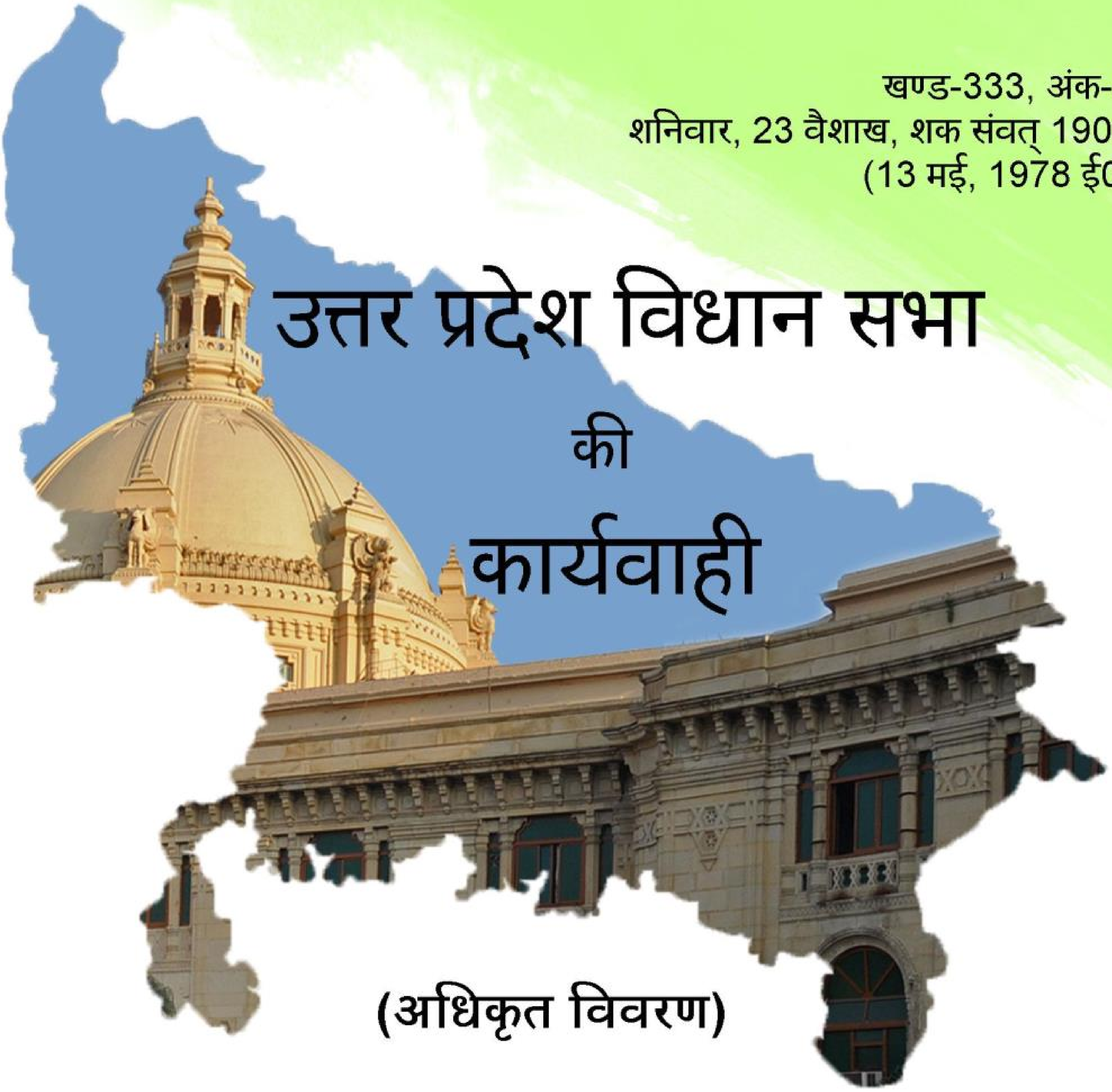

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 333 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	581–585
उपाध्यक्ष का निर्वाचन (जारी)	585–588
श्री सत्य प्रकाश मालवीय को सदन में वक्तव्य देने का अवसर दिए जाने की माँग	588–603
उपाध्यक्ष का निर्वाचन	603–607
उपाध्यक्ष पद पर श्री जगन्नाथ प्रसाद के चुने जाने पर बधाई ..	608–611
नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई जाने वाली सूचनाएं ..	611
नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य की तिथि के सम्बन्ध में जानकारी (जारी)	611
1977–78 की नियम समिति का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	611
भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1972–73 (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (1976–77) (सदन के पटल पर रखा गया)	612
नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य की तिथि के सम्बन्ध में जानकारी ..	612
सदस्यों को पोर्टफोलियो (बैग) बाँटे जाने पर आपत्ति	612–613
कानपुर में पड़ी डकैतियों के सम्बन्ध में वक्तव्य की माँग	614
मन्त्री के विरुद्ध नान-बेलेबिल वारन्ट होने पर सदन में बैठने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	615
लखनऊ में सिटी स्टेशन के पास श्री बैकुण्ठ नाथ की गोली मार कर हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य	615–616
कमला नेहरू संस्थान, सुल्तानपुर में डा० रतन कुमार कक्कड़ पर घातक हमले के सम्बन्ध में सूचना	616–617
दिनाँक 20 अप्रैल, 1978 को श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य..	617
उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति पर कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही को निरस्त करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	618
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	618

विधान सभा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय | पृष्ठ-संख्या

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 35—आवास भवन, अनुदान संख्या 64—संचार साधन, अनुदान संख्या 65—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 66—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 72—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 74—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 87—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 619–648

अनुदान संख्या 49—सामुदायिक विकास तथा अनुदान संख्या 81—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) 649–660

अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल 661

अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति 661

अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन 661–662

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें 662

अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं 662

अनुदान संख्या 98—ऋण और अग्रिम वित्त (स्वीकृत) 662–663

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 (पारित) 663–673

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. 673

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 673

सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में होने वाली नियम 52 की चर्चा का स्थगन .. 673–675

नत्थी 676

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, 13 मई, 1978

विधान सभा की बैठक विधान मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री उदित नारायन शर्मा के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—306

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अशफाक अहमद खां, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णकान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गन्जी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गौरी शंकर मैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री]
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द" श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बाँके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री

बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह, एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीराम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री

राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर श्री
राम सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श सिंह रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हबीब अहमद, श्री
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री

हरकेवल प्रसाद, श्री
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। यह जो पहला आइटम है, इसको बाद में ले लीजिए और दूसरे आइटम्स को पहले ले लीजिए। 12 बजे ले लीजिए।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

ऐसा क्यों, अभी कर दीजिए ?

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष का चुनाव पहले कराइए ? टालने से क्या फायदा। आप इसको क्यों टाल रहे हैं ? सारा प्रदेश असमंजस में पड़ा हुआ है कि यह क्यों टाला जा रहा है। आप पहले इस निर्वाचन को कराइए ?

श्री अधिष्ठाता—

आप की जो कार्य-सूची है, उसके अनुसार यह पहला आइटम है। अगर आप चाहते हैं कि बाद में हो तो उसमें सर्व सम्मति से राय हो आप प्रस्ताव करें, मैं राय ले लूंगा।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इसमें बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो अपना नाम वापस लेना चाहते हैं। बात-चीत हो रही है। इससे 10–15 मिनट का समय मिल जायेगा।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो ठीक है, लेकिन जो आज की कार्य-सूची है उसके अनुसार यह पहले आइटम पर है और जब तक कोई अन्यथा प्रस्ताव न हो जाय, कैसे अगला आइटम लाया जा सकता है ? इसके लिए आप प्रस्ताव करें, मैं सदन की राय ले लूंगा और फिर निर्णय हो जायेगा।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जो पहला आइटम है उसे एक घंटे पश्चात् साढ़े 12 बजे ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

या तो यह अभी होगा, अन्यथा प्रान्ट के बाद।

कई सदस्य—

अभी कर दिया जाय।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, या तो इसे अभी करा दीजिए, अन्यथा ग्रान्ट्स के बाद ?

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में लोगों से बात हो रही थी, लेकिन अभी टाइम नहीं था। आप इसे बाद में कर दें जिससे थोड़ा सा समय और मिल जाय ? 3 बजे के बाद ?

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के साथ आप मजाक कर रहे हैं। महीनों के बाद आज साढ़े 11 बजे चुनाव होना था। पहले एक घंटे बाद और अब आप ग्रान्ट्स के बाद लेने को कह रहे हैं। फिर 6 बजे हो जायगा और फिर कल सत्र नहीं होगा। इस प्रकार से सारे काम इस प्रदेश के अनिश्चित हैं। इसका बहुत बुरा प्रभाव जनता पर पड़ रहा है। जनता समझती है कि आप कोई निर्णय करने में सक्षम नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

उपाध्यक्ष का निर्वाचन तो आज ही होगा, लेकिन संसदीय कार्य मन्त्री प्रस्ताव लायें हैं तो आपको विचार करना है।

प्रश्न यह है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन सार्वजनिक निर्माण विभाग की ग्रान्ट्स के बाद लिया जाय ?

श्री मैनेजर सिंह—

अगर मन्त्री जी ने एक घंटे के लिए स्थगित करने को कहा है तो आप एक घंटे बाद लेने के बारे में सदन की राय ले लें। तब यह एक घंटे बाद लिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने दूसरा प्रस्ताव किया है।

श्री मधुकर दिघे—

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब माननीय अध्यक्ष जी ने यह कहा तो मैंने उसको अमेंड करके कह दिया कि ग्रान्ट के बाद ले लिया जाय, जैसे ही ग्रान्ट समाप्त हो।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

कितने बजे, टाइम बताइए ?

श्री अधिष्ठाता—

साढ़े तीन बजे तक।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उस समय तो हम नहीं रहेंगे। पहले रखिए, 1 बजे कर दीजिए।

श्री मधुकर दिघे—

साढ़े तीन बजे दूसरी ग्रान्ट है। तो पहले उसको हो जायगा।

श्री रियासत हुसैन—

चूंकि आधा घंटा देर में शुरू हो रही है तो पहली ग्रान्ट साढ़े तीन बजे तक होगी बजाय तीन बजे तक के। तो पहली पर वोटिंग 3 बजे ले लिया जाय और 3 बजे और साढ़े 3 बजे के बीच में चुनाव करा लिया जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

एक बजे कर दें। आधा घंटा कराकर फिर ग्रान्ट शुरू हो जायगी। बीच में इण्टरप्ट कर सकते हैं, आप।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय-कार्य मन्त्री जी ने पहले 1 घंटे बाद चुनाव करने के लिए रेजोल्यूशन दिया। कायदा यह था कि उसको सेकेण्ड कराके वोट हो जाता। ऐसा नहीं हुआ। किसी मजबूरीवश आपने सुझाव दिया। पहली बात तो यह है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं उस कुर्सी से चुनाव के बारे में किसी तरह का कोई अनुरोध शासन पक्ष को इधर करने का कोई औचित्य नहीं है। 3 बजे की बात जो आपने कही, उसके बाद उठ कर के हमारे संसदीय-कार्य मन्त्री जी ने कहा कि 3 बजे से कर दिया जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव जो पारित भी नहीं हुआ उसके बाद आपके अनुरोध पर दूसरा प्रस्ताव हुआ, वह भी पारित नहीं हुआ। तो इस तरह से जो कार्य-मन्त्रणा समिति चल रही है उसके औचित्य के बारे में जानना चाहता हूं। बीच में रियासत साहब ने भी तीन और साढ़े तीन बजे की बात कह दी वह तो संसदीय प्रणाली के माहिर हैं उन्होंने भी इस तरह की बात कही। तो, यह जो दो किस्म की विचार धाराएं चल रही हैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राज मंगल पाण्डेय जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। उस विषय में मैं समझता हूं, पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार है कि यदि कोई प्रस्ताव ऐसा मालूम हो कि जो उचित न हो तो वह यह कह सकते हैं कि इसको उचित रूप में ले आया जाय। जहां तक मैं समझता था, ग्रान्ट शुरू होने के बाद बीच में उस काम को रोक करके दूसरा कार्य आरम्भ करना मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने सलाह दी कि वही पहले का समय रखिए या बाद का रखिए ताकि जो एक विषय आरम्भ हो जाय तो उसमें व्यवधान न हो। इसलिए मेरी समझ में उसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मैं तो यह कह रहा हूं कि अभी तक यह तय नहीं हो रहा है कि मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। अभी तक यह तय नहीं हो रहा है कि किस वक्त शुरू हो, प्रस्ताव आया हुआ है। उस पर कोई वोटिंग भी नहीं हुई। बीच में समय बदल दिया गया। तो जब तक प्रस्ताव आया नहीं है तो वोटिंग कब होगी। इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

इसके पहले एक मुनासिब प्रस्ताव ले आवें कि 3 बजे तक चुनाव स्थगित कर दिया जाय और उस पर वोट ले लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, ग्रान्ट वाला आइटम नं0 13 है, इसके पहले 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भी शायद होंगे, तो 12 बजे का समय मांगा था संसदीय कार्य मन्त्री ने। मैं समझता हूं कि 15-20 मिनट तो 6 आइटम हैं, इसमें लग जायेंगे,तबतक 12 बज जायेंगे और आइटम 13 जो ग्रान्ट है, तब ले लिया जायगा, तो इसमें जो मूल प्रस्ताव था, 12 बजे का, वही ले लिया जाय, बीच में वक्तव्य भी हैं, शोधन वक्तव्य भी हैं, कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी अवश्य कोई न कोई होंगे ही। मैं समझता हूं कि 12 तब तक बज ही जायेंगे।

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि 1 घंटे का समय और दे दिया जाय, फिर मेरे दिमाग में यह कल्पना आई कि यह समय कम है, तब मैंने साढ़े 12 बजे का प्रस्ताव किया। तो इस सम्बन्ध में मान्यवर, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए, मुझे यह निवेदन करना है कि जैसे ही पहली ग्रान्ट खत्म हो जाय, तुरन्त ही उसको ले लें।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने जो समय दिया है वह इस लिहाज से दिया है कि माननीय तिवारी जी यह चाहते थे कि इसमें कुछ संशोधन हो जाय, यदि दोनों पक्षों की सलाह से कोई बात हो सके तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। इसमें 12 बजे के बाद 1 बजे तक चुनाव हो जाय और उसके बाद ही ग्रान्ट शुरू हो। इसलिए मैं इसे इस समय स्थगित करता हूं और जो कार्य शुरू होना है, वह शुरू होगा।

सत्य प्रकाश मालवीय को सदन में वक्तव्य देने का अवसर दिये जाने की माँग

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)--

आज जितने आइटम इस एजेंडे में है, उससे ज्यादा चिन्ता की बात इस विषय पर है। जब हमारे अध्यक्ष यहां पर मौजूद थे, मुख्य मन्त्री जी ने जिस स्टेटमेंट को दिया, हम लोगों ने उसको व्यापक स्टेटमेंट माना। इसी सदन में अध्यक्ष जी ने यह घोषणा की कि मुख्य मन्त्री के स्टेटमेंट के बाद सत्य प्रकाश मालवीय को भी स्टेटमेंट देने का मौका दिया जायगा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप उनको बयान का मौका दे रहे हैं कि नहीं और यदि दे रहे हैं तो कब मौका दे रहे हैं?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 9 मई, 1978 को माननीय मुख्य मन्त्री ने एक वक्तव्य इसी माननीय सदन के समक्ष दिया है और उसके प्रत्योत्तर में मैंने अपना एक लिखित वक्तव्य माननीय अध्यक्ष को और उसकी प्रतिलिपि माननीय मुख्य मन्त्री को दे दिया है और मुझे स्पष्टीकरण का मान्यवर, अधिकार है और मैं चाहता हूं कि उस वक्तव्य को मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, अभी समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

मुझे सचिव ने यह सूचना दी है कि माननीय मालवीय जी के वक्तव्य को अभी तक अध्यक्ष जी ने देखा नहीं है, अध्यक्ष जी बीमार हो गए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इस बीच उनके घर पर किसी को भेज कर, उनके पास अगर वह पहुंच गयी है तो वह मेरे पास आ जाय, तो मैं समय दूंगा कि आप अपना वक्तव्य दे दें।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, कापी देने की प्रक्रिया तो पूरी हो गयी है। मान्यवर, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से निर्देश लेंगे, तब आप इनको इजाजत देंगे ?

प्रश्न केवल इतना है कि इस सदन में बात तय हो चुकी है कि मुख्य मन्त्री के बयान देने के बाद सत्य प्रकाश मालवीय को मौका दिया जायगा। उन्होंने जो इस सम्बन्ध में कार्यवाही की थी उसको पूरा कर दिया है। एक कापी अध्यक्ष महोदय को दे दी है। उसकी तसदीक हो चुकी है। तो अब केवल इतना है कि सत्य प्रकाश मालवीय को वह वक्तव्य 2 घंटे के बाद या सदन उठने से पहले, कब आप दिलवा रहे हैं ? सचिव मौजूद हैं उनसे कापी लिया जाय और उनको मौका दिया जाय, स्पष्टीकरण का।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि इस समय आप अधिष्ठाता के रूप में इस कुर्सी पर हैं। मान्यवर, अपने निर्णय को स्वयं अपने विवेक से दें, आप अपने विवेक से चलेंगे। यदि मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, घर पर हैं, बीमार हैं और आप उनके निर्देश पर विचार करेंगे तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि यह तमाम संसदीय परिपाटी के विरुद्ध होगा। जब कि विशेष कर मुख्य मन्त्री इसी सदन में 9 मई, 1978 को अपना वक्तव्य इस सम्बन्ध में दे चुके हैं। मान्यवर, जो विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली है उसके अनुसार यह है और जो प्राकृतिक नियम हैं, मुझे इस बात का अधिकार हासिल है कि मैं अपना स्पष्टीकरण करूं और मेरे अधिकार से मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय मालवीय जी को अधिकार है। मैंने यह नहीं कहा कि मुझे अध्यक्ष जी किसी प्रकार का निर्देश देंगे। जो कुछ मुझे निर्णय करना है वह मैं स्वयं लूंगा। केवल इतना है कि वह कापी नहीं है। यदि मुझे वक्तव्य मिल जाय तो मैं देख लूं। अध्यक्ष जी को वह प्राप्त हो चुकी हो, तो केवल पर्याप्त है। यह जरूरी नहीं है कि मैं उनकी इजाजत लूं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय की रसीद मेरे पास है।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मान्यवर, समय बता दें, एक घंटे में, डेढ़ घंटे में या 2 घंटे में ले रहे हैं, समय बता दें ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं एक बात का निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, नियम 276 में लिखा है कि 'मन्त्री का वक्तव्य जिन्होंने पद त्याग किया है और पदत्याग करने वाले मन्त्री जिनको

[श्री मधुकर दिघे]

वक्तव्य देना है उसके लिए निम्नलिखित व्यवस्था है :—

'किसी सदस्य को जिन्होंने मन्त्रि पद का त्याग किया हो, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्याग-पत्र के स्पष्टीकरण में एक व्यक्तिगत वक्तव्य देने का अधिकार होगा। जिस दिन वक्तव्य दिया जाय उससे एक दिन पहले, उसकी एक प्रति अध्यक्ष और सदन नेता को भेजी जायेगी।'

सदन के नेता को आज अभी प्रति मिली है और जैसा आपने कहा कि अध्यक्ष महोदय को जो प्रति मिली है वह अभी अध्यक्ष महोदय ने देखी नहीं है। अगर इस पर वक्तव्य देने की स्थिति भी आ जाय तो वह दूसरे दिन होगा। दूसरे, त्याग-पत्र देने में और मन्त्री को ड्राप करने के सिलसिले में क्या व्यवस्था होगी, यह दोनों बातें आपको दृष्टि में रखते हुए फैसला देना है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने जो कुछ कहा है मैं उसका उत्तर दे रहा हूं।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, हम लोगों को सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी बात सुनिए, आप बैठ जायं।

जहां तक माननीय मालवीय जी के वक्तव्य देने के अधिकार का सम्बन्ध है, निश्चय पूर्वक उनको इस बात का अधिकार है। यहां पर अध्यक्ष जी अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। मैंने उसे सुना है, इसलिए मैं समझता हूं कि इस प्रकरण को पुनः नहीं उठाया जाना चाहिए।

(मेजों की थपथपाहट)

मेरा एक निवेदन और है कि यह सही है कि हम कुछ शब्दों के ऊपर विवाद कर सकते हैं। नियम 276 में यह लिखा हुआ है कि मन्त्री जो अपना इस्तीफा देंगे वह अपना वक्तव्य दे सकेंगे। मुझे स्मरण है कि इसी सदन में माननीय अध्यक्ष जी इस बात को कह चुके हैं कि नियम 276 में नाम पदत्याग करने वाले मन्त्री का ही जिक्र है यह कदाचित इसलिए है कि कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की गयी थी कि बिना किसी मन्त्री से इस्तीफा मांगे उसको ड्राप कर दिया जायगा। मैं आपका ध्यान एक और मूलभूत सिद्धान्त की ओर दिलाना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार का आक्षेप होता है जो नियमावली है उसके अनुसार उसे तुरन्त इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह खड़े होकर अपना स्पष्टीकरण दे और किसी भी कार्य को करने के पहले उन्हें यह अवसर उसी दिन दिया जाता है। किसी साधारण बात के लिए किसी साधारण सदस्य को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह अपना स्पष्टीकरण दे। तब इतनी बड़ी बात के ऊपर कि किसी माननीय मन्त्री को मन्त्री पद से मुक्त किया जाय और गवर्नर के आर्डर से मुक्त किया जाय, तो निसन्देह उन पर किसी प्रकार का आक्षेप होता है। उधर इसमें कोई भी

सन्देह नहीं कि उन्हें अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलना चाहिए और वह मिलेगा। मैं मालवीय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने मुख्य मन्त्री और अध्यक्ष को जो वक्तव्य और उसकी कापी भेजी है, तो अध्यक्ष की जो कापी है उसमें आज की तारीख है और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी का कहना है कि मुख्य मन्त्री को जो कापी प्राप्त हुई है उसमें भी आज की ही 13 तारीख है और आज ही प्राप्त हुई है। इस नियम के अनुसार एक दिन पहले प्राप्त होनी चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, नियम 276 के अन्तर्गत मैं नहीं कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने कृपा किया है कि जो वक्तव्य की कापी मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया है। मुख्य मन्त्री के पास कापी भेजना आवश्यक नहीं था। स्वयं मुख्य मन्त्री ने 10-11 नवम्बर को इसी सदन के समक्ष वक्तव्य दिया है। उनका वक्तव्य है कि संविधान के अन्तर्गत प्राविधान है कि राज्यपाल के सन्तोष पर ही कोई मन्त्री मन्त्रि मण्डल में बना रह सकता है। इसलिए इस सम्बन्ध में मुझे पद मुक्त किया गया है। जब मन्त्रि मण्डल के किसी सदस्य का आपस में अविश्वास की भावना रहती है तो उसे मन्त्रि मण्डल में रहने का औचित्य नहीं है। इसी आधार पर राज्यपाल महोदय ने पद मुक्त किया है। मान्यवर, आपने भी व्यवस्था देते हुए चर्चा किया है कि किसी सदस्य के सम्बन्ध में कोई सदस्य इस सदन में कोई वक्तव्य देता है तो ऐसे सदस्य को अधिकार है कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे। तो मेरा निवेदन है कि कोई आवश्यक नहीं था हमारे लिए कि माननीय मुख्य मन्त्री के पास उसकी कापी भेजते। मैंने कृपा की जो भेज दिया। इसलिए मुझे आज्ञा दी जाय कि मैं अपना वक्तव्य पढ़ूं।

*न्याय मन्त्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, जो अध्यक्ष महोदय ने इस प्रश्न पर अपना विचार प्रकट किया था वह यही था। हमने भी उस दिन कहा था कि संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णय पर किसी प्रकार की कमेन्ट नहीं हो सकती है। अध्यक्ष महोदय ने उसको स्वीकार किया था और हमने भी माना था। उन्होंने कहा था कि अगर मुख्य मन्त्री इस पर बयान देना चाहते हैं और हमारी अपेक्षा है कि बयान देंगे तो उसके बाद मालवीय जी अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो वह भी दे दें और हम देख लेंगे। दोनों ही घटनाओं को एक साथ लेना पड़ेगा। उस दिन अध्यक्ष महोदय ने इन बातों को ध्यान में रखकर अवसर देने और सदन की भावनाओं के अनुसार दोनों पक्षों को एक साथ अपने-अपने पक्ष प्रकट करने की व्यवस्था दिया था।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मान्यवर, मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था। यह गलत तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि उस दिन मुख्य मन्त्री का वक्तव्य मेरे सम्बन्ध में हुआ था। उस समय मैं इस माननीय सदन में उपस्थित नहीं था माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपना वक्तव्य दिया था। मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

मालवीय जी, मैं ऐसा समझता हूं कि यह प्रश्न नहीं है कि जिस रोज उन्होंने वक्तव्य दिया उस दिन आपने वक्तव्य क्यों नहीं दिया। बात यह हो रही है कि अध्यक्ष जी के सम्मुख भी यह प्रश्न था और उस समय भी कदाचित यह धारणा थी कि वक्तव्य तो अवश्य होगा लेकिन जो एक पत्र आपने मुख्य मन्त्री जी को दिया है और प्रतिलिपि अध्यक्ष जी को दी है वह एक दिन पहले देना था केवल इस पर इस समय चर्चा हो रही है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

उस दिन अध्यक्ष जी ने यह कहा था और उसके अनुसार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया। अब उस व्यवस्था को अलग करके यह कहना कि मुख्य मन्त्री जी ने चूंकि आक्षेप किया है इसलिए मैं इस नियम से बाध्य नहीं हूं और मैं अपना स्पष्टीकरण दूंगा यह तो एक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा था कि दोनों को वक्तव्य देने का अवसर दिया जायगा, दूसरा प्रश्न। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय को हमने लिख कर दिया था कि चूंकि नियम 276 के अन्तर्गत कौल और शकधर की पुस्तक माननीय अध्यक्षों के निर्णय और मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में केवल इसी बात का वर्णन है कि जब कोई मन्त्री पद त्याग करेगा तब अपना स्टेटमेंट देगा। इस पर माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि विशेष परिस्थितियों के होने पर स्टेटमेंट पर भी विचार कर लिया जायगा। इस पर हमने अध्यक्ष महोदय को एक पत्र भी लिखा था कि चूंकि यह एक संवैधानिक नियम और परम्परा की बात हो रही है इसलिए हम लोगों की बात सुन ली जाय और तब निर्णय दिया जाय। कल शाम अध्यक्ष महोदय के कक्ष में विचार-विमर्श हुआ।

मेरा पहला प्रश्न यह है कि नियम 276 के अनुसार कौन मन्त्री वक्तव्य दे सकता है कौन नहीं दे सकता ? सदन में वक्तव्य वही दे सकता है जिसको तथ्यों की जानकारी हो। भाषण देना, चर्चा करना एक चीज हो सकती है लेकिन स्टेटमेंट या वक्तव्य वही दे सकता है जिसको फैक्ट्स की जानकारी हो। इस्तीफे देने के बारे में वक्तव्य देने की अनुमति इसलिए दी गयी है चूंकि तथ्य पता होते हैं कि वह इस्तीफा क्यों दे रहा है।

अब मान्यवर, किन परिस्थितियों में, किन तथ्यों के आधार पर, किस विवेक से यह वक्तव्य देने का निर्णय लिया गया है यह पता नहीं है। जिस को तथ्यों का पता न हो अगर वह वक्तव्य देता है तो वह वक्तव्य नहीं होगा, वह वक्तव्य की परिभाषा में नहीं आएगा। वह केवल अपेक्षाओं और भावनाओं के ऊपर वक्तव्य दे सकता है।

दूसरी चीज यह है कि वक्तव्य की प्रति एक दिन पहले मिलनी चाहिए। मान्यवर, कौल और शकधर की किताब में स्पष्ट है कि मन्त्रि परिषद् से सम्बन्धित कोई बात वक्तव्य में नहीं आ सकती। दूसरी चीज वक्तव्य के अन्दर किसी प्रकार का आक्षेप और आपत्तिजनक बात नहीं होनी चाहिए जो कि संसदीय परम्परा है। उस वक्तव्य को डिटेल से देखने के लिए भी एक दिन का समय मिलना चाहिए। ये दो पहलू हैं। यह एक संवैधानिक प्रश्न है। आप निर्णय दे चुके हैं। कहीं ऐसा न हो कि परम्पराओं और नियमों के विपरीत भी परम्पराएं पड़ जायं। इसलिए विशेषज्ञों से परामर्श लेने के पहले ऐसे परिस्थिति में कोई मन्त्री वक्तव्य दे सकता है या नहीं, यह विचारणीय है। यह नियमों का प्रश्न है

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

नियम 314 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इसमें स्पष्ट लिखा है "अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी।"

श्री ओम प्रकाश सिंह---

मै बिल्कुल आपत्ति नहीं कर रहा हूं। नियम स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाए गए हैं, उनकी सीमाएं निश्चित हैं। इसलिए ला डिपार्टमेंट अथवा महाधिवक्ता की राय ले ली जाय और बिना एक दिन पूर्व वक्तव्य का पुनरीक्षण किए उसकी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता---

कोई व्यवस्था का प्रश्न नही है। मेरी बात सुनने के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाएं। मैंने यह निर्णय किया है जहां तक मालवीय जी के स्पष्टीकरण का प्रश्न है उस प्रश्न को दुबारा नहीं उठाया जायगा। वह प्रश्न तय हो चुका है। उन्हें इस बात का अधिकार है कि वह अपना स्पष्टीकरण यहां पर दे सकेंगे। आज दुर्भाग्यवश अध्यक्ष जी यहां नहीं है। संयोग से मैं बैठा हुआ था जब माननीय अध्यक्ष ने निर्णय दिया था, इसलिए इस पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए।

अब प्रश्न रह जाता है एक रोज के समय का। मेरे पास इस वक्त अध्यक्ष जी को दिया हुआ पत्र आया है . . . .

(व्यवधान)

*श्री राज मंगल पाण्डेय---

मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। व्यवस्था का प्रश्न उठाने के पहले ओम प्रकाश जी ने जो कुछ कहा है उस सम्बन्ध में थोड़ा सा एक घटना के सम्बन्ध में जिक्र कर देना चाहता हूं। कुछ दिन मैं भी वकील रहा हूं। मेरे एक साथी केदारनाथ खरे थे जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में बहस कर रहे थे . . .

(व्यवधान)

अच्छी बात है, मैं आपकी व्यवस्था इस बात पर चाहता हूं जैसी मुझे इत्तिला मिली है अगर आज यह सदन बन्द कर दें तो क्या होगा? एक दिन के नोटिस की बात कही गयी है। एक दिन पहले भेज दिया गया और तारीख आज की पड़ी है लेकिन नियम में यह है कि एक दिन पहले भेज देंगे।

दूसरे, नियम बनाने वालों ने कभी यह नहीं सोचा था कि प्रक्रिया का बहाना ले कर सदन को एडजर्न भी किया जा सकता है। एक दिन का बहाना मिल जायगा। तो, क्या आज सदन उठने के पहले यह आश्वासन मुख्य मन्त्री जी देंगे कि जब तक मालवीय जी का स्टेटमेंट इस सदन में नहीं हो जायगा इस सदन का सत्रावसान नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

एक मर्तबा इस बात का निर्णय होने के बाद कि मालवीय जी को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायगा तो इस में कोई सन्देह नहीं कि स्पष्टीकरण का औचित्य समाप्त हो जायगा यदि उनका वह स्पष्टीकरण इस सत्र में नहीं होता है। यहाँ पर कुछ माननीय सदस्यों ने मुझसे यह शंका व्यक्त की है कि कदाचित आज के बाद फिर आपके पास कोई कार्य नहीं रह जाएगा और यदि सदन आज से ही स्थगित कर दिया जाएगा तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो प्रश्न मेरे सामने उठा है वह समाप्त हो जाएगा। तो आप यह आश्वासन दें कि यह सदन चलेगा और इस सदन में माननीय मालवीय जी को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलेगा।

श्री देव बहादुर सिंह—

मेरी व्यवस्था सुन लें .....(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

मैं सबकी बात सुनूंगा।

शिक्षा मन्त्री (श्री काली चरण)—

श्रीमन्, अभी-अभी आपने माननीय नेता सदन से कुछ शर्तें रखी हैं कि यदि ऐसा हो जाय तो ऐसा हो.....

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आश्वासन मांगा है, कोई शर्त नहीं रखी।

श्री काली चरण—

मैं समझता हूं कि ये जो परम्परायें हैं, जैसा आपने स्वत: कहा है, ये नई परम्परायें डाली जा रही हैं कि यदि इस तरह से हो जाय तो इस तरह से कर दिया जाय। यह बात कहने में जितने भी हमारे प्रक्रिया नियम हैं, नियमावली है उन सबको अलग रखकर इस प्रश्न पर विचार हो रहा है। मैं चाहूंगा कि उस कुर्सी पर बैठने के नाते में अपेक्षा करूंगा कि जो नियमावली है, जो परम्परायें हैं उसी के तहत जो भी आप निर्णय दें वह हम लोगों को शिरोधार्य होगा और उचित भी होगा।

(व्यवधान)

(श्री नारायणदत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मधुकर दिवे—

मैं एक मिनट लूंगा। मैं इस बात पर नहीं कहूंगा। इस सदन में जो भी कार्य होता है वह कार्य-मन्त्रणा समिति की सिफारिश पर होता है। मैं नहीं समझता कि माननीय राजमंगल जी जैसे विद्वान सदस्य....

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

ये अपनी मर्जी से बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने नारायण दत्त जी को बुलाया है।

*श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोलिटिकल साइन्स के इतिहास में यह जो घटना माननीय सत्य प्रकाश जी के ड्राप करने से घटित हुई है यह अपने ढंग की पहली है। श्रीमन्, अगर आप हेराल्ड लास्की की "फार्म आफ गवर्नमेंट" किताब को देखें तो उसमें ब्रिटिश संसदीय परम्परा में यह दिया है कि यदि किसी मन्त्री को हटाने की बात हो तो उसका इस्तीफा माँगा जाता है.....

श्री अधिष्ठाता—

इसकी आवश्यकता नहीं है। यह तय हो चुका है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नियमावली में ऐसा कोई प्राविधान हो ही नहीं सकता जिसमें हटाए गए मन्त्री का वक्तव्य.....

श्री अधिष्ठाता—

यह आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैंने इसके लिए आपको समय नहीं दिया है.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मेरा तर्क सुन लें। मैं तर्क पर आ रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

यह आप कह चुके हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नियम 276 इस पर लागू ही नहीं होता। इस पर तो स्पष्टीकरण वाला नियम लागू होता है। नियम 276 की दुहाई न्याय मन्त्री जी दे रहे हैं और संसदीय कार्य मन्त्री जी दे रहे हैं और शिक्षा मन्त्री जी भी दे रहे हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इसमें मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य पहले ही हो चुका है। अगर नियम 276 का पालन होता तो उसमें हमेशा यह हुआ आप देखेंगे कि श्री केशव देव मालवीय का सन् 1951 में जब वह उद्योग मन्त्री थे, आप हाउस की प्रोसीडिंग उठाकर देख लें पहले वक्तव्य हुआ और उसके बाद शासन की ओर से मुख्य मन्त्री का वक्तव्य हुआ। एक दिन पहले मन्त्री का वक्तव्य हो जाय और उस पर मुख्य मन्त्री जी को कुछ कहना होगा, तो वह कहेंगे।

इसलिए इस पर नियम 276(4) लागू होता है। ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा, परन्तु कोई मन्त्री तत्संगत वक्तव्य दे सकेंगे। यह इस नियम में लिखा है। यानी इस्तीफे पर गवनमेंट का क्या स्टेन्ड है, उसको साफ करने की बात वक्तव्य में होती है। यहाँ क्या होता है यहां वह कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पहले मुख्य मन्त्री जी से अध्यक्ष जी ने कहा आप वक्तव्य दे दीजिए कि क्यों हटाया। तो यह तो नियम 276 की परिधि के परे आप गए हैं, अध्यक्ष गए हैं। तो अब स्थिति यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री का वक्तव्य पहले हो चुका है उन्होंने कारण बता दिया कि अविश्वास था। अब जो सम्बन्धित मन्त्री रहे हैं और अब सदस्य हैं उनको स्पष्टीकरण करने का पूरा अधिकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इसलिए नियमों के आधार पर सदस्य भी स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो श्रीमन्, चूंकि मुख्य मन्त्री का वक्तव्य आ चुका है कि अविश्वास है। आज तक कैबिनेट फार्म ऑफ दि गवर्नमेंट के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। चूंकि इस बात की पूरी सम्भावनायें हैं, कल मैंने पूछा भी था कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित तो नहीं कर दिया जायेगा तो उसका कोई उत्तर नहीं आया। इस बात की पूरी सम्भावना है, शाम को कार्य-मन्त्रणा समिति की बैठक है उसमें कह दिया जाएगा कि कोई कार्य नहीं रह गया है। अत: आज सदन उठ सकता है। इसलिए मुख्य मन्त्री जी का वक्तव्य हो चुका है इसलिए मालवीय जी को स्पष्टीकरण देने की इजाजत जरूर दी जाय। (व्यवधान)

(श्री मैनेजर सिंह एवं श्री रमाशंकर कौशिक के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

इस बात का निश्चय हो चुका है। मैंने आपसे निवेदन कर दिया है कि मेरा निर्णय यह है कि यहाँ पर माननीय सत्यप्रकाश मालवीय का भाषण होगा और वह नियम 276 के अन्तर्गत होगा। ऐसा फैसला माननीय अध्यक्ष जी ने दे दिया है। मैं उसको पुन: नहीं उठाना चाहता हूं।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था होने के पूर्व आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि श्रीमान् मालवीय जी को अपना पक्ष स्पष्ट करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो काम आदरणीय सदन में हो, वह नियमानुसार हो। नियम 276 आप दे खलें उसमें स्पष्ट व्यवस्था है। जो मन्त्री बाहर हो गये हैं, उन्हें वक्तव्य देने का अधिकार है अगर वह वक्तव्य देना चाहेंगे लेकिन एक दिन पहले उसे देना चाहिए। एक दिन पहले वह मिला कि नहीं इस पर विवाद नहीं है। मैं राजमंगल जी की बात से भी सहमत हो सकता हूं। लेकिन यहाँ यह भी होता है कि हम जो सूचनायें देते हैं वह अगर एक मिनट पहले नहीं आ पाती और उनमें देर हो जाती है तो वह खारिज हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हम इस पर जोर नहीं देते हैं। लेकिन नियमावली में है कि पहले वक्तव्य की प्रति देनी चाहिए। वह क्यों रखा है ताकि जानकारी हो जाय कि वह क्या वक्तव्य देंगे। कई बार हम ऐसे वक्तव्य दे देते हैं इस आदरणीय सदन के समक्ष, जिससे कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। शून्य प्रहर में ऐसे अनेक आक्षेप वाली बातें आ जाती हैं जिसको तत्काल रोकना पड़ता है। तो कहीं ऐसा न हो जाय जो वक्तव्य वह देने वाले हैं उसको माननीय अध्यक्ष ने देखा नहीं है।

मान्यवर, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं उसको पहले आपके पास आना चाहिए। पता नहीं कि उस वक्तव्य में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जिससे इस सदन में अकारण उत्तेजना हो जाय। इसलिए मैं आपके व्यवस्था देने के पहले यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें काम नियमानुसार हो। 276 में प्राविधान नहीं है विशेष परिस्थितियों के कारण माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि माननीय मालवीय जी का वक्तव्य मिल जाय तो मैं अनुमति देने पर विचार करूंगा। उसका मतलब कोई कुछ लगा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यवाही में है कि विचार करूंगा। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि माननीय अध्यक्ष उस वक्तव्य को देख लें। आप पीठासीन, आसन पर विराजमान हैं। आपको भी वही अधिकार हैं, जो अध्यक्ष के हैं। मैं उसको चैलेंज नहीं करता। आप वक्तव्य को देख लें। देखने के बाद उचित समझें तो अनुमति दें वरना इससे पहले अनुमति न दी जाय। यह मेरा सबमिशन है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। काफी देर से खड़ा हो रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नारायण दत्त तिवारी के बोलने के पहले माननीय संसदीय कार्य मन्त्री खड़े हो कर कुछ कहना चाहते थे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

नियम 314 के अन्दर मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

जो व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया उसके पहले माननीय संसदीय कार्य मन्त्री खड़े हुए थे, वह बोलना चाहते थे। अब पहले उनको अवसर देता हूं। उसके बाद आप फिर बोलेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

व्यवस्था पहले आएगी। श्रीमन्, नियम में है।

श्री अधिष्ठाता—

व्यवस्था में व्यवस्था नहीं।

*श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, इसमें उत्तेजना का कोई कारण नहीं है। आपने स्पष्ट मत दे दिया और अध्यक्ष जी की जो राय थी उसको सदन के सामने स्पष्ट कर दिया कि नियम 276 में माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी को अधिकार दिया जायगा कि वह यहां पर वक्तव्य दें। वक्तव्य देने का अधिकार दे दिया है चाहे हमारी राय भिन्न हो सकती है। मैंने केवल प्रश्न यह उठाया है कि उनको एक दिन पहले अपना वक्तव्य अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए था दूसरे दिन यह अधिकार दिया जायगा कि वह अपना वक्तव्य दें। उसके बाद एक नया प्रश्न खड़ा कर दिया गया। यह सदन है। इस सदन में कार्यमन्त्रणा समिति द्वारा जो प्रस्ताव होता है वह सर्वसम्मति से स्वीकार होता है। अब तक जो कार्य क्रम है, सबके समक्ष है। तीन बजे के बाद क्या होगा, चार बजे के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, कौन बता सकता है? मैं कब तक रहूंगा या कब तक नहीं रहूंगा यह नहीं बता सकता। अगर हम सक्षम होते तो आज ही निवेदन कर देता तिवारी जी को कि वह लगातार अपोजीशन में बैठे और मैं लगातार 100 वर्ष तक यहां बैठूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

व्यवस्था का प्रश्न है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मधुकर दिघे—

मेरा निवेदन है कि 18 तारीख तक सदन चलेगा यह सदन का फैसला है।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े रहने पर)

श्री अधिष्ठाता—

अगर वह बैठ जायं तब तो ठीक है आपका बोलना।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री कह रहे हैं कि उनको पता नहीं है कि सदन का क्या कार्य होगा तीन बजे क्या कार्य होगा।

श्री मधुकर दिघे—

यह बिलकुल गलत बात कह रहे हैं। मैंने कहा कि कल सदन क्या तय करेगा, बाद में क्या तय करेगा, यह माननीय सदन जानता है, मैं कैसे बता सकता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आज सदन उठ जायगा ?

डाक्टर अश्वनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, दस मिनट के लिए हाउस को ऐडर्जन कर दीजिए। तब पढ़ लीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मालवीय जी, आपने अभी कहा कि आप इसको एक रोज पहले दे चुके हैं। मेरे पास जो प्रति आयी है इसमें 11 को काट कर 13 तारीख डाली हुई है। वह आपकी ही काटी हुई है या दूसरे की ? यदि 13 तारीख है तो 13 तारीख आज ही है। आप मेरे यहाँ आकर देख लें और बता दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आप हमारा पत्र देख लें। 10 मई का है, वक्तव्य के साथ पत्र भी है। पहले 11 लिखी हुई थी फिर 13 की गयी। वह मेरे हाथ की है। उसको पढ़ने की कृपा करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कल सदन नहीं बैठ रहा है, उनको कार्य का पता नहीं है। इसीलिए आज लिया जाए।

श्री मैनेजर सिंह—

दो बार उनको आप सुन चुके हैं। यह 276 का सवाल नहीं है। उन्होंने खुद आपत्ति किया है कि 276 लागू नहीं होता है। तिवारी जी ने कहा कि वक्तव्य पहले हो चुका है और उस वक्तव्य में मालवीय जी का जिक्र है। इसलिए मालवीय जी का स्टेटमेंट दिलवाया जाए। 276 का जो प्रहार है उसके लिए स्पष्टीकरण जरूरी है। संसदीय प्रणाली पर 276 का प्रहार हुआ है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं निवेदन कर दूं कि एक प्रश्न मैंने निर्णीत कर दिया और सत्य प्रकाश मालवीय जी का जो भाषण होगा वह नियम 276 के अन्तर्गत होगा। इसको पुन: उठाकर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नारमयण दत्त तिवारी—

सदन उठ जाएगा। पहले आप यह देखें।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं व्यवस्था का प्रश्न काफी देर से उठा रहा हूं। मेरा नियम 314 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है जिसमें लिखा है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायेगी—किसी संकल्प या प्रस्ताव की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी। अब प्रश्न यह है कि नियम 276 के अन्तर्गत यह प्रश्न उठता है या नहीं उठता है? माननीय अध्यक्ष ने कोई फैसला नहीं किया है। माननीय अध्यक्ष ने जो फैसला किया उसमें कहीं नहीं लिखा।

श्री अधिष्ठाता—

मैं खड़ा हूं। आप बैठिए।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

2 मिनट सुन लें मैं अपनी बात को पूरा करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जब अध्यक्ष खड़े हो जायं तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। जो आप कह रहे हैं उसको मैं पहले ही कह चुका हूं। उसको बार-बार कहने से क्या लाभ मिल रहा है? पहले अध्यक्ष जी ने तय कर दिया कि 276 में उनका वक्तव्य होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। श्री सत्य प्रकाश जी का बयान 276 के तहत होगा। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह फैसला आपका है या अध्यक्ष जी का है। उस दिन की कार्यवाही को देख लें जो अध्यक्ष ने फैसला दिया है। मालवीय जी का बयान 276 के अन्तर्गत होगा और उनका फैसला एक जरूर है कि राम नरेश यादव जी मुख्य मन्त्री हैं वह भी बयान देंगे और मालवीय जी भी बयान देंगे। नियम 276 के अन्तर्गत बयान देने की बात कार्यवाही में कहीं नहीं लिखी हुयी है।

आज आप अधिष्ठाता हुए हैं तो किस नियम के तहत आप मालवीय जी का बयान करावें यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। जहाँ पर यह नियम का सवाल है, विधान का सवाल है, वहीं पर नैतिकता का भी सवाल है। श्री मोरार जी देसाई के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव जब लोक सभा में आया तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि आज ही यह अविश्वास का प्रस्ताव ले लिया जाय। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने बयान दे दिया। तो जब माननीय मालवीय जी बयान देना चाहते हैं तो माननीय राम नरेश यादव को तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

यह कहना चाहिए कि कल नहीं आज ही हो। उनकी ओर से कोई अड़चन या कमजोरी नहीं आनी चाहिए थी। तो मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्रि-परिषद् की ओर से एक राजनीतिक गरिमा का परिचय दिया जाय। अगर उसमें नियम बाधक भी हों तो भी खड़े होकर यह कहें कि मालवीय जी को वक्तव्य का मौका आज ही दिया जाय। आज इस बात का कौन आश्वासन दे सकता है, माननीय ओम प्रकाश जी या दिघे जी दे सकते हैं कि यह बयान आज ही करा दिया जाय। 17 तारीख को यह सदन बैठेगा भी? आज ही माननीय मालवीय जी का बयान करा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

आज जो विवाद पैदा हो गया है उसको माननीय मुख्य मन्त्री जी ने हल कर दिया है। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी है? कि आज का जो कार्य है, जब वह समाप्त हो जाय, उसके बाद चाहे कितनी ही देर क्यों न हो जाय माननीय मालवीय जी का बयान आज ही हो जाय।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि मुझे आज 5 बजे दिल्ली में पार्टी के उच्च कमान ने बुलाया है। जो जहाज यहाँ से 3.35 बजे जाता है उसमें मेरा रिजर्वेशन भी हो गया है। मुश्किल से मुझे 15 मिनट लगेंगे। अत: मुझे 2 बजे के अन्दर ही अपना वक्तव्य देने का मौका दे दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो आज का निश्चित कार्य क्रम है जो एक बार तय हो चुका है उसको होने दीजिए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यदि मेरा वक्तव्य 276 में होना है तो इस में दिया हुआ है कि उस दिन सदन की कार्यवाही आरम्भ होने से पूर्व दिया जायगा। अत: सर्व प्रथम यह वक्तव्य होना चाहिए।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें आपत्ति नहीं है।

श्री रियासत हुसैन—

आपने मान्यवर, अभी यह कहा कि आज का कार्य क्रम जिस समय तक भी हो, उसके बाद माननीय मालवीय जी का वक्तव्य आज ही होगा। आज एप्रोप्रिएशन बिल पास हो जाने के बाद वह कौनसी सूरत होगी जो आप सत्तारूढ़ पार्टी को मजबूर करेंगे कि इस सदन को उस समय तक बैठना पड़ेगा जब तक मालवीय जी का वक्तव्य न हो जाय?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर. मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने यहाँ पर 2 चीजें कहीं। एक तो आपने कहा कि 276 के अन्तर्गत वक्तव्य होगा. . . . .

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, क्या आपने इनको बोलने की इजाजत दी है, क्या आपने आज्ञा दी है?

श्री अधिष्ठाता--

हाँ, मैंने आज्ञा दी है। आप कृपया बैठ जाइए।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न 2 चीजों पर है। एक तो आपने नियम 276 के अन्तर्गत वक्तव्य देने को कहा है। और एक माननीय सदस्य राज मंगल पाँडेय जी, जो एक सम्मानित सदस्य हैं और बहुत अनुभव भी रखते हैं, उन्होंने यह स्पष्ट आक्षेप किया है कि मालवीय जी ने कल स्टेटमेंट दिया जो आपके कार्यालय ने आज स्वीकार किया है। यह स्पष्ट चार्ज है कि यह गुमराह करके, फिट-इन करके चार्ज लगाया गया था। यह कहाँ तक उचित है कि आपके अफिस पर इस तरह का लाँछन लगाना संसदीय परम्परा के अन्तर्गत ये दो प्रश्न हैं।

श्री मान सिंह आजाद--

व्यवस्था का प्रश्न है. . . . .(व्यवधान)

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, इस सदन को इनहेरेन्ट पावर्स जो उपलब्ध हैं उसी पावर के तहत अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी। 276 का जो प्राविजन है उसके तहत यह वक्तव्य देने का अधिकार कहीं से नहीं आता है। मैं आपका ध्यान नियम 213 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं . . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

जितना समय विवाद में लगा रहे हैं आप इतने समय में तो मालवीय जी का वक्तव्य हो जाता।

श्री विक्रमा राय--

नियम 313 इस प्रकार है--"ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायगा जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें।"

जहाँ तक मैं समझ पाया हूं इस नियम के पढ़ने के बाद कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो इस वक्तव्य को स्वीकार किया था, शायद इसी नियम के तहत स्वीकार किया होगा कि इस नियम के तहत मैं मालवीय जी को वक्तव्य की अनुमति देंगे। 276 के विवाद में न पड़ कर अगर आप उनको अनुमति देना चाहते हैं तो इस नियम के तहत आप दे सकते हैं। 276 के अन्तर्गत तो कहीं प्राविधान नहीं है कि ऐसे मन्त्री को जिसने इस्तीफा स्वयं न दिया हो उसको वक्तव्य की अनुमति दी जाय।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" —

हम आभारी हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने मालवीय जी को बोलने के लिए समय देने की कृपा की। मेरा निवेदन यह है और व्यवस्था का प्रश्न इतना ही है कि जब मुख्य मन्त्री जी ने कह दिया तो आज वक्तव्य हो जायगा और यह बड़ी कृपा है कि प्रदेश के दर्द को समझ करके उन्होंने स्वीकृति दे दी। एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि केवल नियम 313 लागू होता है, 276 का प्रश्न पैदा होता नहीं। इसलिए आपको पूरा अधिकार है कि आप निश्चित कर दें कि एप्रोप्रिएशन बिल पास होने के पहले उनका वक्तव्य हो जाय।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, सम्भवत: जो यह कहा गया कि कोई मैंने अपनी अनुमति दी है, मैंने कोई अनुमति इस तरह से लिखित नहीं दिया है। मैंने कोई अनुमति नहीं दी, दूसरी बात यह है कि अगर वक्तव्य की बात है तो मान्यवर, जो भी वक्तव्य होगा वह जो आपकी प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत ही होगा और जब उसके अन्तर्गत ही होगा तो कराने के लिए आपको नियमों की तरफ भी ध्यान देना होगा। और जब इधर ध्यान देना होगा तो अभी आपने ही पढ़ते हुए बताया था कि एक दिन उनको पहले वक्तव्य की प्रति देनी होगी, जब तक वह नियम निलम्बित नहीं होता है, तब तक किसी तरह से भी उस नियम की परिधि के अन्दर नहीं हो सकता है।

श्री मान सिंह आजाद—

यह तानाशाही हुकूमत नहीं है, यह जनतन्त्र हुकूमत है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं गलती से यह कह गया था कि मुख्य मन्त्री जी ने अपनी स्वीकृति दे दी है, लेकिन यह पत्र मुख्य मन्त्री जी का नहीं है, किसी दूसरे महाशय का है।

(शोरगुल)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, अगर आपने दूसरे का पत्र मुख्य मन्त्री के नाम से पढ़ लिया, तो आपके खिलाफ भी कोई कार्यवाही हो सकती है?

श्री अधिष्ठाता—

जो आप मुनासिब समझें, जो इसमें हो सकता हो, इसमें ले आयें।

(शोरगुल)

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

यह प्रश्न जो आपके सामने आया है और यह कहा गया कि यह पत्र मुख्य मन्त्री का है और मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि मैंने स्वीकृति नहीं दी है, तो नारायण यह किसने धोखा दिया है? बताइए सदन को, नारायण।

श्री अधिष्ठाता—

मैं अब इस विषय को समाप्त करता हूं। मेरे सामने जो कार्य-सूची अभी तक है, उसके मुताबिक 17-18 को यह सदन चलेगा, इसलिए मैं इसबात की अपेक्षा करता हूं कि इस प्रश्न के आने के बाद यदि किसी कारण से शासन पक्ष यह चाहता भी था कि 17-18 को सदन न चले, तो मेरी यह दरख्वास्त होगी कि 17 तारीख को यह सदन

चलायें ताकि मालवीय जी को वक्तव्य देने का मौका मिले और मालवीय जी को कहने का मौका न मिले कि जानबूझ कर सदन को नहीं चलाया। मालवीय जी का 13 तारीख का लिखा हुआ वक्तव्य है, इसलिए आज उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं चला सकेंगे। मैंने अपना निर्णय दे दिया, इसके बारे में अब कुछ नहीं होगा। अब दूसरा काम लिया जायगा।

श्री ऊदल—

मैं श्रीमन् .....(शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं उपाध्यक्ष का निर्वाचन लेता हूं। कोई दूसरा विषय नहीं लेंगे।

श्री ऊदल—

अभी आपने एक निर्णय दिया था कि मालवीय जी का बयान आज ही होगा, आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिए और 5 मिनट के बाद आप यह निर्देश दे रहे हैं कि 17 को सदन बैठेगा, आज वक्तव्य नहीं होगा, 17 को होगा दोनों में असंगति है। आपने बदल दिया।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने जो कहा था वह गलत फहमी से कहा था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इससे सहमत है, लेकिन मुख्य मन्त्री जी सहमत नहीं है।

(शोरगुल)

श्री मान सिंह आजाद—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपके सामने एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह सम्पत्ति आपकी है और उसकी मर्यादा आपके द्वारा है। माननीय मुख्य मन्त्री सदन के नेता हो सकते हैं, परन्तु सदन की मर्यादा आपकी है।

(शोरगुल)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए। अब इस विषय में जो कुछ कहा जायगा, वह लिखा नहीं जायगा।

उपाध्यक्ष का निर्वाचन (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया आरम्भ करता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि आज का दिन उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए नियत किया गया है। अध्यक्ष द्वारा विधान सभा में दिनांक 8 मई, 1978 को की गयी घोषणा के अनुसार 11 अप्रैल, 1978 को जितने वैध नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं और जिनका विवरण निम्नलिखित है, के आधार पर उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा।

श्रीमती कुदसिया बेगम, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है इसलिए अब वह फील्ड में नहीं है।

[श्री अधिष्ठाता]

श्री कृष्णवीर सिंह कौशल, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री बाबू सिंह, श्री रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री राधे श्याम शर्मा, श्री वीरेन्द्र पति यादव, श्री श्यामवर मिश्र, श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्रीमती सुनीता चौहान, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री हामिद रजा खां, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। इसलिए क्रम संख्या एक और बारह पर जो थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 के उपनियम (4) में यह उपबन्धित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी, जो नाम-निर्देशित हुए हों, पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकते हैं।

उक्त नियम 9 के उपनियम (4) के अनुसार अब मैं अभ्यर्थियों के प्रस्तावक महोदयों को पुकारूंगा कि वे अपना-अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

इस समय यदि कोई अभ्यर्थी अपना नाम वापस लेना चाहता है तो खड़े होकर अपना नाम वापस ले सकते हैं।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पार्टी के अनुशासन के तरीके से जो हमें व्हिप मिला है मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री बाबू सिंह (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—

हालांकि पार्टी का व्हिप मुझे नहीं मिला है फिर भी मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

एक सूचना चाहता था। शासन पक्ष से, मुख्यमन्त्री की तरफ से यह आश्वासन नहीं आया कि यह सदन 17 तारीख को चलेगा।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय पान्डेय जी, उपाध्यक्ष का निर्वाचन आरम्भ हो चुका है इसके बीच में कोई दूसरा विषय नहीं चलेगा।

श्री कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मैं भी अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

2 मिनट का समय और देता हूं इसमें भी यदि कोई माननीय सदस्य अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो ले लें।

श्री रामदेव यादव (जिला रायबरेली)—

मैं रणजीत सिंह 'जूदेव' के प्रस्ताव का नाम वापस लेता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं भी अपना नाम वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

अब जो नाम मेरे समक्ष रह गये हैं।

श्री रामदेव यादव—

मैं प्रस्तावक हूं मैं नाम वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' का नाम रहेगा क्योंकि वह उपस्थित नहीं है और उन्होंने अपना नाम वापस नहीं किया है।

अब मैं अभ्यर्थी तथा प्रस्तावक के नाम पुकारूंगा जो नहीं खड़े होंगे तो मैं समझूंगा कि वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्रीमती सुनीता चौहान तथा श्री रणजीत सिंह 'जूदेव' यह चार अभ्यर्थी आपके सामने हैं जिनका चुनाव आपको करना है।

श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय (खड़े न होने पर) श्री जगन्नाथ प्रसाद, श्री सुन्दर लाल दीक्षित।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मैं श्री जगन्नाथ प्रसाद का नाम प्रस्तावित करता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मैं समर्थन करता हूं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, इसके पहले और नाम लें मैं सदन के सभी सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि इस सदन की परम्परा रही है कि उपाध्यक्ष पद के लिए जब भी हमने विरोधी दल के सदस्यों के नाम प्रस्तावित किया है तो उसका विरोध नहीं हुआ है। हमारी राय है कि श्री जगन्नाथ प्रसाद का नाम आ गया है तो मैं अपील करूंगा कि बाकी सदस्य अपने नाम वापस ले लें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, मुझे दुख है कि माननीय संसदीय कार्य मन्त्री ने संसदीय परम्पराओं का अनुपालन नहीं किया है।

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने नहीं किया कृपा कर आप भी ऐसा न करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं तो अनुपालन कर रहा हूं, लेकिन मन्त्री जी ने बीच में उठकर अपील किया कि बाकी नाम वापस ले लिए जायं और एक नाम दे दिया। इसलिए मुझे कहने की आवश्यकता पड़ी। उनकी अपील है।

श्री अधिष्ठाता—

उनको भी नहीं कहना चाहिए था और आपको भी नहीं कहना चाहिए।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, उन्होंने हम लोगों से अपील किया है। वह रेकार्ड में है। हम लोगों की भावनाओं को मालूम हो जाना चाहिए जैसे कि तिवारी जी बता रहे हैं और हमको भी बताने दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मुझे खेद है कि अभी तक जो सदन में परम्परा रही है कि मान्यता प्राप्त विरोधी राजनीतिक दलों में से ही उपाध्यक्ष का पद बहुमत दल देता रहा है और उन्हीं में से दिया जाएगा। इस परम्परा को....

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, तिवारी जी गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि सन् 1974 में विधान सभा में...

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है। चर्चा में बातें निर्थरक हो रही हैं..... (शोर)

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठ जाइए। चुनाव होने दीजिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

गलत सूचना दे रहे हैं। सन् 1974 में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ उस समय जो शिवनाथ सिंह को तो लिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया था। माननीय तिवारी जी उस समय संसदीय दल के नेता और वित्त मंत्री थे। मान्यवर, उस समय इन्होंने एक निर्दलीय व्यक्ति को जिसे निष्कासित कर दिया गया था उसको अपना उम्मीदवार बनाया था (शेम शेम की आवाजें) मैं कहना चाहता हूं कि माननीय तिवारी जी जैसे लोगों की स्मरण शक्ति अगर इतनी जल्दी खत्म हो जाय तब तो अहित होगा। तो मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि तिवारी जी ऐसा गलत वक्तव्य न दिया करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने जो कुछ कहा उसको दोहरा रहा हूं। मैंने कहा आज तक मान्यता प्राप्त विरोधी दल को ही दिया गया है....

श्री अधिष्ठाता—

इसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। अब जो कुछ कहा जायगा वह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यह विरोधी पक्ष की अवहेलना हुई है और जिस प्रकार से इन्होंने मान्यता प्राप्त विरोधी दल की अवहेलना की है और जो विरोधी दल का समझौता हुआ था

उसे जो तोड़ा गया है...(शोर)...मेरा श्रीमन्, आप से निवेदन है कि इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं चूंकि इसमें विरोधी दल की अवहेलना की गयी है।

[काँग्रेस (आई0) तथा काँग्रेस के सदस्य सदन से उठ कर चले गए।]

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

प्रगतिशील विधायक दल के 15 आदमी थे। शासक दल ने उन आदमियों को तोड़ा। यह प्रगतिशील विधायक दल को तोड़ने की साजिश है। इसलिये मैं भी चुनाव का बहिष्कार करता हूं।

(श्री रियासत हुसैन सदन से उठ कर चले गए।)

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मान्यवर, विरोधी दल के लोग संसदीय मान्यता को भंग कर रहे हैं। प्रगतिशील विधायक दल रहा है और रहेगा।

श्री अधिष्ठाता—

दीक्षित जी, आप बैठ जाइए।

जी राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इस सिलसिले में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय रियासत हुसैन जी जो वाक आउट कर रहे हैं उनका हमारे दल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री राम देव यादव,
श्री मंगल देव,
श्री मन्नू लाल त्रिवेदी,

श्री मोहन लाल त्रिपाठी के नाम पुकारे जाने पर और उनके सदन में उपस्थित न होने पर इस प्रकार अब केवल माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी ही प्रस्तावित रह गए हैं, अतः मैं घोषणा करता हूं कि वह सदन के उपाध्यक्ष चुने गए हैं।

(तालियाँ)

मैं माननीय जगन्नाथ प्रसाद जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उनके लम्बे अनुभव और राजनीतिक जीवन को देखते हुए वे उपाध्यक्ष पद के कार्य का अत्यन्त ही कुशलता से निर्वाहन करेंगे और इस पद के कार्यभार का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। मुख्य मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह कृपा कर जगन्नाथ प्रसाद जी को ले कर यहाँ प्रतिष्ठापित करें।

(श्री राम नरेश यादव तथा श्री ऊधल ने श्री जगन्नाथ प्रसाद को करतल ध्वनि के बीच ले जाकर उपाध्यक्ष की हैसियत से अध्यक्ष पीठ पर प्रतिष्ठापित किया।)

उपाध्यक्ष पद पर श्री जगन्नाथ प्रसाद के चुने जाने पर बधाई

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में यह कार्य सर्वसम्मति से हुआ है वह सराहनीय है। उनका जीवन सदन तथा सदन के बाहर जिस प्रकार से रहा है वह इस बात का द्योतक है। माननीय सदस्यों ने उनके क्रिया कलापों को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से उनको चुना है। इसलिए मैं अपनी ओर से और सदन की ओर से पुन: आपको धन्यवाद तथा बधाई देता हूं।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आज मैं इसे ऐतिहासिक दिन ही कहूंगा कि आपको उपाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। आपका राजनीतिक जीवन बहुत स्वच्छ रहा है और बहुत दिनों से आप इस सदन के सदस्य रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है आपने मन्त्री पद भी सुशोभित किया है और एक अच्छे मन्त्री के रूप में परिचय दिया है। वैसे भी आपका स्वाभाव और मृदु भाषा इतनी अच्छी है जिससे भी आप बात करते है आप की छाप उस पर पड़ती है। इतिहास में जो सबसे बड़ी बात हुई है वह यह कि हम लोग हरिजनोत्थान की बात बहुत करते हैं उसी वर्ग से आप पैदा हुए हैं। जिस हरिजनोत्थान को ले कर महात्मा गाँधी ने मुहिम चलाई थी उसका लक्ष्य आज पूर्ण हुआ है। जो सत्ता में अथवा विपक्ष में रह कर हरिजनोत्थान की बात करते हैं उनके लिए आज सबसे ज्यादा सुखद दिन है और मैं आपका स्वागत करता हूं, विश्वास दिलाता हूं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आपके निर्देशों का हम हमेशा पालन करेंगे और संसदीय जो परम्परायें हैं उनको हम हमेशा कायम रखेंगे और सदन सुचारु रूप से चलाने में आपके साथ हमारा सहयोग रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, बड़ी खुशी है कि आज इस सदन में एक नयी परम्परा कायम हुई है इस प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के जो निर्दलीय सदस्य चुनकर आए वे एक सामूहिक रूप से प्रगतिशील विधायक दल के रूप में इस सदन में है उसके नेता बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी इस सदन के उपाध्यक्ष चुने गए। इस सिलसिले में जहाँ मैं बाबू जगन्नाथ प्रसाद जी को बधाई देना चाहता हूं वहीं पर इस सदन के सभी माननीय सदस्यों का भी अभिनन्दन करना चाहूंगा, जिन्होंने यहाँ पर एक नयी परम्परा कायम की और हमारे दल के नेता को एक उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। मान्यवर, हम निर्दलीय थे और उनके नेतृत्व में इस सदन के अन्दर एक साथ बैठकर जो सदन की मर्यादा और परम्परा थी उसको निभाने में हम उनके पीछे रहे, इसलिए हमें आज और भी ज्यादा गर्व का अहसास हो रहा है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सदन का एक इतिहास रहा है जिसके लिए हमेशा उपाध्यक्ष का पद बदनाम रहा है, और इसलिए रहा है कि जब भी उपाध्यक्ष के चुनाव की बात आती थी तो लोग यह कह देते थे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम आसरे वर्मा]

कि जिसको सत्ता की गोद में जाना होता है वह उपाध्यक्ष हो जाता है। आज जो यह नयी परम्परा कायम की गई है उसके सम्बन्ध में मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे साथ जो रहेंगे और उस कुर्सी पर बैठने से आप पर कोई असर नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने दल की ओर से आपको बधाई देता हूं।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, बहुत खुशी है कि आप उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए। आपको पहले की परम्परा की जानकारी हासिल है लेकिन इस खुशी के साथ-साथ मुझे दुख भी है। जैसा मेरे लायक दोस्तों ने कहा है और कायदे से आपको बिठाया है .... (शोर होने पर)।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

वह अच्छी परम्परा रही है। अपोजीशन को यह चेयर मिलनी चाहिए थी परम्परा के अनुसार। लेकिन आज ट्रेजरी बेंच को ज्यादा खुशी है। जैसे कि पिछली बार श्री शिवनाथ सिंह कुशवाहा हुए थे। प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री बहुगुणा जी ने उनको उपाध्यक्ष बना दिया था और असरार साहब को हरा दिया था। मुझे याद आती है माननीय वासुदेव सिंह जी की, जो समाजवादी रहे हैं, माननीय राम नारायण त्रिपाठी जी की, माननीय कुशवाहा जी की, मुझे विश्वास है कि आप अपनी गरिमा कायम रखेंगे। ऊदल जी ने कहा कि एक हरिजन को बिठा दिया गया। आप उपाध्यक्ष हैं, हरिजन नहीं हैं। यह गन्दी बात है कि हमने यादव को बिठाया है .....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं जनरल सीट से चुनकर आता हूं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मुझे खुशी है आप उस कुर्सी पर बैठे हैं। आप संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवहार और निष्पक्ष भाव से उसका आदर करेंगे और माननीय सदन को सम्बोधित करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है। जिस तरह से हमारे वित्त मन्त्री ने पहले भी कहा और माननीय नारायण दत्त जी ने उसका विरोध किया, मैं भी नारायण दत्त जी का विरोधी हूं लेकिन यह सीट विरोधी पक्ष की होनी चाहिए थी लेकिन जिस तरह से वित्त मन्त्री ने किया आपके साथ तय किया है और ताली लगाई है? इसलिये मुझे शंका है कि कहीं बिकें न। यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप ध्यान में रखें। मैं आपको बधाई देता हूं। आज जिस कुर्सी पर बैठाए गए हैं उसका आप निर्वाह करेंगे और बिकाऊ सौदा नहीं करेंगे।

श्री राजराजराज सिंह (जिला खीरी)—

मान्यवर, आपका जो चुनाव हुआ है इस प्रतिष्ठा के स्थान के लिए उस पर भगवती सिंह जी को इस प्रकार का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

जनाबेवाला, मैं आपको दिल से बहुत मुबारकबाद देती हूं। मैं समझती हूं कि जो आपका चुनाव हुआ है वह सही हुआ है। मुझे तो आपके साथ बहुत अर्से से रहने का मौका मिला है। आप उससे वाकिफ हैं कि हम लोगों ने मिल कर बहुत अर्से तक काम किया है इसलिए मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। मैं आपकी तबियत से वाकिफ हूं। मैं जानती हूं कि आप इस कुर्सी पर बैठकर सही तरीके के निर्णय करेंगे। बगैर लिहाज के किस पार्टी से कौन बोल रहा है। आप इस सदन को पूरे तरीके से कामयाबी से चलायेंगे और सब मेम्बरान का ख्याल रखेंगे। जनाबेवाला, मुझे इससे ज्यादा खुशी है कि आप निर्दलीय चुने गए और किसी पार्टी की मदद से आप इस सदन के सदस्य नहीं बने। इससे साफ जाहिर होता है कि जनता का आपके ऊपर कितना विश्वास है और किस तरीके से आप चुने गए। इस कुर्सी पर आपका चुना जाना इसी चीज को साबित करता है कि आप बिना किसी पार्टी का ख्याल किए निर्दलीय तरीके से निर्णय देंगे। हम सभी निर्दलीय हैं और आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अलग-अलग राय रखता है लेकिन जैसा वर्मा जी ने कहा कि साल भर में हम मिल कर चलें और जितने फैसले किए वह इतफाकी राय से किए। आप उसी परम्परा को निभायेंगे। आपके इस कुर्सी पर बैठने पर सभी सदस्यों ने स्वागत किया है। मैं उम्मीद करती हूं कि आपका काल जो होगा यह बहुत कामयाबी का होगा। तमाम सदस्यों का आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप जो फैसला करेंगे वह सदन की मर्यादा को सामने रख कर करेंगे। मैं दुबारा अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, श्री ऊदल, श्री राम आसरे वर्मा, श्री भगवती प्रसाद सिंह और इस सदन के सभी माननीय सदस्यगणों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझ नाचीज को इतने बड़े पद पर निर्वाचित किया। इस सदन में प्रदेश के एक से एक विद्वान अच्छे विधिवेत्ता, वकील, अनुभवी राजनीतिज्ञ आते हैं और इस सदन की मर्यादा को बढ़ाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस सदन की गरिमा को बनाए रखेंगे। हमारी विधान सभा का भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है और यहां देश के ऊंचे से ऊंचे लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते चले आए हैं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, श्री ० ए ० जी ० खरे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर भी ऐसे विद्वान लोग रहे और उन्होंने इस सदन की मर्यादा और गौरव को हमेशा बढ़ाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे कार्य में कहीं भी पक्षपात की गंध नहीं पायेंगे। आपसे निवेदन है कि सदन के संचालन में आप हमारी सहायता और सहयोग करेंगे क्योंकि बगैर आपकी सहायता और सहयोग के चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी बहुत ही अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। प्रदेश के बहुत अच्छे कुशल प्रशासक हैं। कभी-कभी ऐसे मामले आ जाते हैं कि बड़ी उलझन पैदा हो जाती है। अभी हमारे पहले हमारे अधिष्ठाता महोदय, हमारे बुजुर्ग पंडित उदितनारायण शर्मा मौजूद थे और कई मिनट तक, आध घंटे तक बहस मुबाहसा चलता रहा। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी मैंने शुरूआत की है। मेरा आप सहयोग करें और उलझन न पैदा हों तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं फिर इस माननीय सदन के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और निवेदन करता हूं, उनसे, अपने विधान सभा के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग से, प्रेस वाले भाइयों से और सरकारी कर्मचारी जो इस सचिवालय के हैं, कि वह पूरा सहयोग इस सदन की मर्यादा बनाए रखने में और इसके कार्य संचालन में करें। इन शब्दों के साथ मैं पुन: आप सबको धन्यवाद देता हूं। अब सदन की कार्यवाही शुरू होगी।

नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाई जाने वाली सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 17 सूचनायें प्राप्त हुईं। माननीय अध्यक्ष ने कोई भी स्वीकार नहीं की हैं।

नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य की तिथि के सम्बन्ध में जानकारी

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज के कार्यक्रम के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल ही माननीय अध्यक्ष ने नियम 51 की नोटिस को स्वीकार किया था, वीरेन्द्रपति यादव और सोहनवीर सिंह आदि के नामसे। इसकी सूचना आज के लिए दी गयी है। लेकिन दुर्भाग्य से जो आज का कार्यक्रम आपका है, उसमें इसका उल्लेख नहीं है। हम लोगों को सूचना दी गयी कि यह कार्यक्रम पर आएगा, जो आफिशियल कार्य-क्रम है, लिखित है, जो छापा जाता है, उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह मन्त्री जी के निवेदन पर स्थगित कर दिया गया है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय की प्रार्थना पर इसको स्थगित किया जा सकता है जब अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी, इसकी सूचना उन सदस्यों को होनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष जी ने ही इसे स्थगित किया है।

1977–78 की नियम समिति का प्रतिवेदन†

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से 1977-78 की नियम समिति का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, 1972-73 (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन (1976-77)†

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी करण के पैरा 59(3) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट, 1972-73 (सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति (1976-77) का प्रतिवेदन, जो षष्ट विधान सभा के विघटन के पूर्व माननीय अध्यक्ष को उस समय प्रस्तुत किया गया था, जब सदन का सत्र नहीं हो रहा था, सदन के पटल पर रखता हूं।

नियम 51 की सूचना पर वक्तव्य की तिथि के सम्बन्ध में जानकारी (क्रमागत)

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

जैसा माननीय वीरेन्द्र पति जी ने कहा, मैंने और बाबू राम शुक्ल ने कानपुर मे एक हत्या के बारे में 11 तारीख को नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी और आज की तारीख तय हुई थी, लेकिन वह एजेन्डा पर नहीं है, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी के निवेदन पर यह 17 तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सदस्यों को पोर्टफोलियो (बैग) बांटे जाने पर आपत्ति

श्री सोहनबीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

सचिव ने अभी भारत के नियन्त्रक महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। मैं नियम 300 के उप नियम (1) के अन्तर्गत एक व्यवस्था चाहता हूं। अभी एक पोर्टफोलियो नोटिस आफिस से मिली है। मेरे सामने रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि विधायकों के लिए यह किया गया है नोटिस आफिस से जो चीज मिलती है उस पर आपका अधिकार है, उस पर सरकार का अधिकार नहीं है। हम लोग केवल अपनी उपलब्धियों में वेतन पाने के अधिकारी है और उसके अतिरिक्त जो चीज मिलेगी वह ब्राइब होगी। गौहाटी सम्मेलन में वितरण के लिए लगभग एक लाख और दो हजार रुपये के थैले खरीदे गये। आज वह रिपोर्ट हमारे सम्मुख प्रस्तुत है। जब मुझे यह मिला तो मैंने सोचा कि शायद आपके द्वारा इसकी व्यवस्था की गयी होगी। हमें भीख नहीं चाहिए। वह पोर्टफोलिओ आपकी आज्ञा से बाँटे गये या आपकी आज्ञा के बिना बाँटे गये आपको किस नियम के अन्तर्गत देने का अधिकार है। मैं इसको वापस करना चाहता हूं, किस जगह वापस करूं। संजय के लिए पिछली सरकार ने बनाए थे यह किस कारण बाँटे जा रहे हैं। सचिव ने जिस रिपोर्ट को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है जिसमें इसकी

---

†छापी नहीं गयी।

भर्त्सना की गयी है और फिर यह पोर्टफोलिओ मिल रहा है। नोटिस आफिस से दी जाने वाली चीज आप द्वारा दी जाती है। अगर यह सरकार की है तो आप किस नियम के अनुसार दे रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

आपको मालूम है कि यह बाँट रहे हैं या नहीं ? यह बराबर सूचना विभाग से बंटता है। यह हमारे सचिवालय को ऐसे कैसे मिल गया ?

श्री उपाध्यक्ष—

सूचना विभाग ने भेजे थे, केवल वितरण हमारे यहाँ नोटिस आफिस से हुआ। यह नयी प्रणाली नहीं है। डायरी और दूसरे प्रकार के साहित्य भी देते रहे हैं। कभी-कभी झोले भी दिए गए हैं। अबकी बार ये रेक्सीन के झोले दिए गए हैं तो कोई गलत बात नहीं है।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मान्यवर, इस सदन के 425 सदस्य हैं और विधान परिषद् के 108 के लगभग हैं इनमें इसके बाँटे जाने का क्या औचित्य है ? सूचना विभाग द्वारा कोई सामग्री का दिया जाना तो ठीक है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि ये क्यों बाँटे जा रहे हैं ? किस नियम के अनुसार ये दिए गए हैं ? हमको उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये किस नियम के द्वारा बाँटे जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें नियम का कोई प्रश्न नहीं है।

जी वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैंने 11 मई को जो नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी थी कि 10 मई, 1978 को कानपुर में कलेक्टर गंज में छोटे लाल नामक फर्म में 1 लाख रुपए की डकैती पड़ी है। उसको माननीय अध्यक्ष ने स्वीकार किया था और उसके लिए वक्तव्य देने की 13 तारीख निश्चित की थी लेकिन कार्य-सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भूल क्यों हुई, इस पर वक्तव्य क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। मैं माननीय सोहनवीर सिंह तोमर के प्रश्न का उत्तर दे रहा था। मेरा कहना है कि इस प्रकार की सामग्री सूचना विभाग द्वारा दी जाती रही है, एम0एल0एज0 और एम0एल0सीज0 को। यह पुरानी प्रथा चली आ रही है और जो यहाँ पर संजय का जिक्र किया गया है उसका इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, यह सवाल नहीं है। सवाल तो यह है कि इसमें जो गोलमाल हुआ है, उसकी ओर माननीय सदस्य इशारा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

रवीन्द्र सिंह जी और आपके दोनों के प्रश्न थे। उनको मन्त्री जी के निवेदन पर माननीय अध्यक्ष ने स्थगित कर दिया है।

कानपुर में पड़ी डकैतियों के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, 3 दिन से कानपुर में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है। कानपुर यहाँ से कितनी दूर है? मैं निवेदन करूंगा कि गृह मन्त्री के पास जितनी सूचना हो उसके ही आधार पर एक वक्तव्य दे दें। कल हाउस बन्द हो जायगा। कानपुर के सारे बाजारों में लोगों में आतंक फैला हुआ है। वहाँ पर 1 लाख रुपए की डकैती पड़ी है। यही नहीं वहाँ पर 7 डकैतियाँ पड़ चुकी हैं। लेकिन एक में भी कोई अभियुक्त नहीं पकड़ा गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम माननीय गृह मन्त्री जी सदन में एक वक्तव्य दे दें जिससे कानपुर में भय और आतंक का जो वातावरण व्याप्त है, वह समाप्त हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके सम्बन्ध में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी आ चुका है। समय आने पर इसमें विचार हो जायगा।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैंने भी इसपर माँग की थी कि गृह मन्त्री जी एक वक्तव्य दे दें, लेकिन आज तक वह नहीं दिया गया है। कानपुर बन्द है, मैं भी वहाँ का एक व्यापारी हूं। इस एक लाख की डकैती से सारे कानपुर में आतंक छाया हुआ है और इस पर भी सारा सदन शान्त है। तो मेरा निवेदन है कि आप सदन उठने के पूर्व इसपर एक वक्तव्य अवश्य दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया सदन का काम चलने दें। आपने नोटिस नहीं दिया था। बिना नोटिस के आपको नहीं बोलना चाहिए.... (व्यवधान)

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कौन से नियम के अन्तर्गत?

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

जब मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया तो जो उन्होंने कहा, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। वैसे मैं आपकी आज्ञा से बैठ जाता हूं। उनका यह कहना था कि ये बड़े तीस मार खां बन रहे हैं। तो यह कहना कि "तीस मार खां बन रहे हैं" उचित नहीं मालूम होता।

मन्त्री के विरुद्ध नान-बेलेबिल वारन्ट होने पर सदन में बैठने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। 300 के अन्तर्गत। 300 में मैंने सूचना दी है—

श्री उपाध्यक्ष—

इसका कोई अन्त नहीं होगा सोहन वीर सिंह जी।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मैंने 301 में सूचना दी है, क्योंकि वह अस्वीकृत हो गयी है इसलिए व्यवस्था के प्रश्न के द्वारा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आज सदन उठ जायगा शायद और बहुत-सी सूचनाओं से वंचित रह जाएगा, सदन। मान्यवर, ऐसा है कि अभी आज के "पायनियर" में निकला है कि हमारे मन्त्रिमन्डल के कोई सदस्य हैं जिनके खिलाफ नान बेलेबिल वारन्ट है। अब यह प्रश्न पैदा होता है कि इस सदन में क्या अभियुक्तों के बैठने का स्थान है, क्योंकि मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, कोई विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं आया है। मेरे पास यह पत्र आया है पायनियर में छपा है कि एक हमारे मन्त्रिमण्डल के मन्त्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ किसी न्यायालय में 167, 168, 169, 447, 506 में केस—देहरादून में विचाराधीन है। उनके खिलाफ नान-बेलेबिल वारन्ट है और उसमें सरकार केस को वापस करने की कोशिश में है और यह भी छपा है कि विरोधी दल के नेता उस समय थे चौधरी चरण सिंह जी उनके अनुरोध पर सी० बी० आई० को इन्क्वायरी के लिए यह मामला दिया गया था और उन्होंने उस मन्त्री के विरुद्ध चार्जशीट सबमिट कर दी है। 4-5 तारीखें हो चुकी हैं और मन्त्री न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न करके भी आप पूछ सकते हैं, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

लखनऊ सिटी स्टेशन के पास श्री बैकुण्ठ नाथ की गोली मार कर हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह (पुलिस) मन्त्री (श्री राम सिंह)—

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 9 मई, 1978 को श्री राम गोपाल पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद, निवासी यहियागंज, भीमनगर, थाना वजीरगंज ने थाना वजीरगंज पर समय 11-40 बजे लिखित सूचना अंकित कराई कि उसके लड़के बैकुण्ठ नाथ गुप्ता की कबाड़ खाने की दूकान बाग शेरगंज, सुभाष मार्ग पर है जिस पर वह बैठता था। वादी की दो लड़कियां हैं जिनमें से एक माधुरी गुप्ता—श्री विजय शंकर, निवासी मशकगंज को तथा दूसरी मीरा गुप्ता—लखीमपुर के श्री केशवराम को ब्याही हैं। लगभग दो-तीन साल पहले श्री त्रिलोकीनाथ

[श्री राम सिंह]—

उर्फ गुड्डू, निवासी खत्री टोला, थाना वजीरगंज का सम्बन्ध वादी के दामाद श्री विजय शंकर से हुआ था और उसे अपने मकान में एक कमरा दे रखा था। श्रीमती माधुरी ने त्रिलोकी नाथ उपरोक्त की नियत खराब होने की शिकायत अपने पति श्री विजय शंकर से की जिस पर उसने उसे अपने मकान से निकल जाने के लिए कहा। त्रिलोकी नाथ उपरोक्त ने विजय शंकर व उसकी पत्नी को चाकू से धमकाया। वह दोनों डर कर वादी के पास आए लेकिन वादी (पिता) ने उन्हें समझा-बुझाकर वापस कर दिया। दिनांक 8-5-79 को त्रिलोकी उर्फ गुड्डू ने वादी के घर जाकर मालूम किया कि लड़का कहां है और यह मालूम होने पर कि दूकान पर है, दूकान पर गया और वहां पर उसके बहन व बहनोई के बारे में पूछा। लड़के द्वारा अनभिज्ञता प्रकट करने पर उसे भी धमकाया और कहा कि अगर वह लोग लखीमपुर गए हैं तो वहां का पता दे दें उसके न बताने पर धमकी देकर चला गया। रास्ते में वादी की भी मुलाकात त्रिलोकी नाथ से हुई, वादी से भी उक्त सम्बन्ध में पूछा लेकिन वादी द्वारा इंकार करने पर वादी तथा उसके परिवार को नाश करने की धमकी दी। घटना के दिन त्रिलोकी नाथ उर्फ गुड्डू अपने एक अन्य साथी सहित दूकान पर गया जहां पर बैकुण्ठ नाथ मौजूद था। वहां पर काशीनाथ मिश्रा बैठे थे। उपरोक्त त्रिलोकी नाथ ने बैकुण्ठ को गाली देते हुए अपनी पतलून की जेब से तमंचा निकालकर वादी के लड़के बैकुण्ठ नाथ पर फायर कर दिया। वह गोली की चोट खाकर दूकान से भागा और गिर गया। अभियुक्तगण धमकाते हुए पुल की ओर भाग गए। वादी अपने पुत्र बैकुण्ठ नाथ को अस्पताल ले गया जहां पर उसकी मृत्यु हो गयी।

उपरोक्त घटना की सूचना पर अभियोग अपराध सं0 343, धारा 302 भा0दं0 वि0, थाना वजीरगंज पर पंजीकृत किया गया।

अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्थानों पर टीमें भी दी गयी हैं। अभियुक्त त्रिलोकी नाथ उर्फ गुड्डू के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की जा रही है। विवेचना प्रचलित है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के वक्तव्य पर कोई प्रश्न पूछा जा सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी रुकिये।

कमला नेहरू संस्थान, सुल्तानपुर में डा० रतन कुमार कक्कड़ पर घातक हमले के सम्बन्ध में सूचना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैंने आपसे इजाजत मांगी थी, मैंने 301 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी, एक मिनट में माननीय गृह मन्त्री बता दें। मुझे एक मिनट का मौका दे दें, मान्यवर।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 9 मई, 1978 को जनपद सुल्तानपुर में कमला नेहरू संस्थान में भारत सरकार के सालीसिटर जनरल श्याम नाथ कक्कड़ के भतीजे वनस्पति विज्ञान के प्राध्यापक डा0 रतन कुमार कक्कड़ पर प्राणघातक हमला किया गया, इस सम्बन्ध में डा0 कक्कड़ ने पुलिस कोतवाली, सुल्तानपुर में रपट भी दर्ज कराई है। डा0 रतन कुमार कक्कड़ ने यह रपट दर्ज कराई है कि 9 मई, 1978 को पूर्वाह्न 11-45 पर जब वे एक कार्य हेतु कमला नेहरू संस्थान पहुंचे, वहां पहुंचने पर भूतपूर्व कृषि एवं सिंचाई उप मन्त्री, भारत सरकार, श्री केदार नाथ सिंह ने उन्हें बुलाया और एक कमरे में बन्द करके जबरदस्ती इस्तीफा लिखने को कहा। डा0 कक्कड़ के इंकार करने पर उन्हें अपने 5 साथियों सहित लाठी, हाकियों व ईंट से उन्हें धमकी देकर मारना आरम्भ कर दिया। श्री केदारनाथ सिंह, एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अतः स्थानीय पुलिस कोई भी कड़ी कार्यवाही करने में अक्षमता महसूस कर रही है। इस घटना से स्थानीय नागरिकों व अध्यापकों, छात्रों में असुरक्षा व आतंक का भाव उत्पन्न हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत पढ़ रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मैं चाहूंगा आपके मार्फत माननीय गृह मन्त्री जी इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करें।

दिनांक 20 अप्रैल, 1978 को श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश)---

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 20 अप्रैल, 1978 को श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर गुप्त ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि यह जो टंकी पानी भरने से 26 जनवरी, 1977 को गिरी है यह पिलर से गिरी या फटने से। दूसरी बात यह है कि अगर पिलर से गिरी है तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि क्या यह सच है कि जिन इंजीनियरों ने पहले डिजाइन बनाया था वह डिजाइन ही स्वायत्त शासन विभाग के रिकार्ड से गायब है।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि शासन का जो डिजाइन था उसके सम्बन्ध में कोई कागज गायब होने की सूचना नहीं है।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि-झांसी के इस ओवर हेड टैन्क का डिजाइन ठेकेदार द्वारा बनाया गया था जिसको विभागीय अधिकारियों ने चेकिंग की परन्तु वह डिजाइन अब रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उसके उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 676 पर)

उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति पर कार्य करने हेतु विधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित की गयी कार्यवाही को निरस्त करने का प्रस्ताव

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति पर कार्य करने हेतु विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन से सम्बन्धित जो दिनांक 19 जुलाई, 1977 को स्वीकृत हुआ था उसे निरस्त करते हुए इस निर्वाचन को सम्पन्न कराये जाने हेतु की गयी अब तक की समस्त कार्यवाही को निरस्त किये जाने की अनुमति देता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की केन्द्रीय समिति पर कार्य करने हेतु विधान सभा के चार सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित जो प्रस्ताव दिनांक 19 जुलाई, 1977 को स्वीकृत हुआ था उसे निरस्त करते हुए इस निर्वाचन को सम्पन्न कराये जाने हेतु की गई अब तक की समस्त कार्यवाही को निरस्त किये जाने की अनुमति देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री श्यामधर मिश्र ने कानपुर शहर में आतंकवादियों द्वारा कई दुकानें लूटे जाने के कारण शहर के अनेक बाजारों में कई दिनों से हड़ताल के सम्बन्ध में दी है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, ग्राह्यता के सम्बन्ध में सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय अध्यक्ष जी ने इसे देख लिया है और अस्वीकार कर दिया है।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, ग्राह्यता के सम्बन्ध में सुन लें। इससे पहले शून्य प्रहर में यह बात आ गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्रीमन्, 4-5 दिनों से कानपुर में हड़ताल हो रही है और बाजार बन्द हो रहे हैं? मान्यवर, कई बार कई जगह पर डकैतियां हुयीं हैं क्या वजह है कि किसी को पकड़ा नहीं जा रहा है। हड़ताल हो रही है और मालूम यह हुआ है कि आज कानपुर बन्द भी होने जा रहा है। अध्यक्ष जी ने अस्वीकार कर दिया। तो ठीक है। लेकिन इस पर वक्तव्य मिलना चाहिए। क्या कारण है कि अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं या कितने लोग पकड़े गए हैं यह भी मालूम होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

गृह मन्त्री जी, इस पर वक्तव्य क्या आप देंगे?

गृह मन्त्री (श्री राम सिंह)—

वक्तव्य 17 तारीख को दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

17 तारीख को वक्तव्य इसका प्राप्त हो जायगा।

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान सख्या 24 – सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 35—आवास भवन, अनुदान सख्या 64—संचार साधन, अनुदान संख्या 65—कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 66—सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय–अनुदान संख्या 72–कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 74——आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान सख्या 87–संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष—

अब वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक पर मतदान प्रारम्भ होगा। कृपया आप (मन्त्री जी) बतायें कितना समय आप लेंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे ख्याल है यह जो अनुदान है साढ़े तीन बजे तक चलेगा। इसमें आपको भी बोलना है और माननीय सदस्य जो कटौती का प्रस्ताव पेश करेंगे उनको बोलना है। यह महत्वपूर्ण बजट है अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे तो आप कृपा करके बता दें कि कम से कम कितना समय लेंगे ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

मान्यवर, जो आपका हुक्म हो। हुक्म हो तो पढ़कर बैठ जाऊंगा नहीं तो पूरी तकरीर करूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)—

मान्यवर, माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे, मन्त्री जी जवाब दें, तो ज्यादा समय ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपको विशेष घोषणायें करनी हैं, अगर कोई नयी बात आपको कहनी है तो अभी बता दें और सदस्यों को सुन लें तब उसका जवाब दे दीजिएगा।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,00,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,22,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—आवास भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 88,63,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64—संचार साधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,31,45,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65—कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,13,95,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,46,98,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,65,82,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,34,64,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74––आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,18,99,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87––संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,40,06,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सूबे में सड़कें, पुल, इमारतों की नई तामीर और मरम्मत, पुरानी सड़कों की मरम्मत, नेशनल हाई-वेज में पड़ने वाली सड़कों की तामीर और मरम्मत होती है। नेशनल हाई वे के लिए फण्ड का इन्तजाम मरकजी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के जरिए से किया जाता है। मान्यवर, यह हकीकत है कि हमारे प्रदेश में 70 से 80 फीसदी लोग देहात में रहते हैं और उनका पेशा खेती बाड़ी है। उनको जब हम ऊपर उठाने की बात करेंगे. . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)––

मान्यवर, कोरम का अभाव है।

श्री उपाध्यक्ष––

कोरम है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)––

कोरम नहीं है तो भाषण नहीं हो सकता। देख लिया जाय।

श्री मोहम्मद मसूद खां––

इस सिलसिले में मान्यवर, देहात. . . .

श्री उपाध्यक्ष––

मंत्री जी, रुक जाइये जरा सदस्य कम हैं।

(कोरम के लिए घंटी बजाई गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, इस उद्देश्य को पूरा करने के वास्ते यह जरूरी है कि देहातों से शहरों और कस्बों को जोड़ा जाय, सड़कों और पुलों की जो कमी है उसको दूर किया जाय। लेकिन बदकिस्मती इस प्रदेश की यह है कि पिछले तीस सालों में यह नजरिया सामने नहीं रखा, इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर हमें 70-80 फीसदी लोगों को तरक्की देनी है तो बगैर सड़कें बने, पुल बने, शहरों को और देहातों को जोड़े हुए वे तरक्की की तरफ नहीं चल सकते। नतीजा यह है कि श्रीमन्, जब जनता सरकार आई तो पिछली सरकार को जो पिछले काम करने थे उनको कर के नहीं गयी और 112 करोड़ रुपए के ऊपर का काम छोड़ कर गयी। और श्रीमन्, 112 करोड़ रुपए का जो काम छोड़ गयी, हैरानी की बात तो यह है कि वह काम फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान का पड़ा है। इस प्रदेश के अन्दर फोर्थ प्लान, फिफ्थ प्लान का काम पड़ा हुआ है। इस तरह सारा काम छोड़ कर गयी। सैंक्शन और मन्जूरी काफी दी गयी और इलेक्शन जब करना होता था तो उस समय और भी मन्जूरी दी गयी लेकिन काम को पूरा करने की तरफ पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जनता सरकार की पालिसी थी कि हम को इस प्रदेश को ऊपर उठाना है तो सड़कों और पुलों पर ज्यादा जोर देना पड़ेगा, इसी को ध्यान में रखते हुए श्रीमन्, पिछले दस महीनों में काफी इस पर जोर दिया गया है।

मैं आंकड़े माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा। 1974 से लेकर 1977 तक तीन सालों के अन्दर जो काम हुए हैं इस प्रदेश के अन्दर, नई सड़कें जो बनाई गईं, वह 3733 किलोमीटर की थी और मौजूदा सरकार ने 1977-78 में जो सड़कें बनाई हैं नई सड़कें वे 3221 किलो मीटर हैं। आप देखें श्रीमन्, कि तीन साल में सड़कें इस प्रदेश में जो बनीं उनकी तादाद 3733 किलोमीटर और दस महीने के अन्दर की तादाद 3221 किलोमीटर। कुछ ही किलो मीटर कम है। यही नहीं इसके अलावा 1000 किलोमीटर कच्ची सड़कें और 600 किलोमीटर खड़ंजा सड़कें मन्जूर की गयीं।

मौजूदा सरकार ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया अगर देहातों की हालत ऊपर उठानी है तो सड़कों, पुलों के जरिए से शहरों को कस्बों व देहातों से जोड़ना होगा ताकि वे अपनी पैदावार शहरों और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। हैरत होती है कि तीस साल में यह देखने को आया कि एक जिले का मैजिस्ट्रेट अपने हल्के में जाना चाहे तो प्रदेश में कोई सड़क नहीं प्रदेश के बाहर जाकर अपने हल्के में जा सकेगा। इस साल हमने इतना काम किया है जितना काम पिछले तीन सालों में नहीं हुआ। अगले साल के लिए यह ध्यान रखा गया है कि अधूरे कामों को पूरा करने के साथ नए कामों को भी लिया जाय। इसके लिए यह किया है कि 1 हजार किलोमीटर सड़कों की तामीर के लिए जमीन हासिल की जाय और 1978-79 में उत्तर प्रदेश में 1 हजार किलोमीटर सड़क बनाने के लिए जमीन के एक्वीजीशन की कार्यवाही की जायगी ताकि सड़कें बनने में देर न लगे। 600 किलोमीटर पुरानी सड़कों को रिकांस्ट्रक्ट करेंगे। 300 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कों के सिलसिले में पूरा किया जायगा। हुआ यह कि यह सड़क मन्जूर की गयी। 4 किलोमीटर इधर बन गयी और 6 किलोमीटर उधर बन गयी। बीच में दो किलोमीटर छोड़ दी लेकिन वह 12 मील इस तरह से बेकार हो गयी। उस दो किलोमीटर का जो मिसिंग लिंक था अब बनाया जायगा। नहर की पटरियों को सड़कों के काम में जहां लाया जा सकता है वहां के लिए 300 किलोमीटर भी रखा गया है।

जंगलात की बहुत सी सड़कें, सड़कों के काम में आ सकती हैं उनके लिए 150 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए रखा गया है। 23 नए पुल रखे गए हैं। पूर्वी बाराबंकी से बहराइच तथा गोंडा जाने के लिए रास्ते में घाघरा नदी पड़ती है, बीच में पुल नहीं है उसके लिए व्यवस्था की गयी है कि 23 नए पुल बनाए जायं। यह मोहकमा इमारतों के तामीर का काम भी करता है। काफी काम इसमें है और इसके लिए अगले साल के लिए काफी प्रोग्राम रखा गया है। ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए ब्रिज कारपोरेशन तथा निर्माण निगम के अलावा हमारे यहां विभाग के अन्दर भी एक कांस्ट्रक्शन डिवीजन है। जिसके जरिए से ठेकेदारी खत्म हो और काम ज्यादा हो जायगा।

भ्रष्टाचार के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि इसमें कोई शुबहा नहीं है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बेपनाह कोशिश की गयी है और इस साल 26 अफसरान और 93 मुलाजिमान के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। इसके अलावा 119 लोगों के खिलाफ और कार्यवाही हुई है। जबकि 1976–77 में केवल 67 आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हुई थी। तो जहां तक भ्रष्टाचार को दूर करने का सवाल है उसके सम्बन्ध में हमने एक खास बात यह की है कि हमारे जो भी काम हैं जो हमारे डिपार्टमेंट को इस साल के अन्दर करने हैं चाहे वह सड़क का काम हो या बिल्डिंग का काम हो, उसके सम्बन्ध में यह डाइरेक्शन्स दे दिए गए हैं कि जितने काम हैं उनके बारे में एक नक्शा और सूची बना दी जाय और उसको जूनियर इन्जीनियर से लेकर सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर तक सर्टिफाइड करे कि काम की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिहाज से वह ठीक हुआ है या नहीं, 15 जून के बाद हर जिले के हर गांव में चेकिंग होगी और अगर कोई काम गलत पाया जायेगा तो जिन लोगों ने उस काम को सर्टिफाई किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। इससे किसी काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के एतबार से ठीक हो जायेगा। साथ ही जो रोज शिकायतें आती हैं जिसके पीछे एक मोटिव भी होता है, उसमें कमी आ जायगी। इसके अलावा हमारा टेक्निकल आडिट सेल भी वक्तन-फवक्तन जांच कर लेता है. . .

श्री उपाध्यक्ष ––

काफी समय आप ले चुके हैं. . . .

श्री मोहम्मद मसूद खां––

मैं मुख्तसर कर रहा हूं। मान्यवर, यह विभाग सिर्फ सड़कों, पुलों और बिल्डिंगों को ही नहीं बनाता है बल्कि इसके जरिए से बेरोजगारी भी दूर होती है। इससे 3 लाख आदमियों को काम मिला है और अगले आने वाले साल में साढ़े 3 लाख लोगों को रोजगार का मौका मिलेगा। जैसा कि पिछले बजट में मैंने बताया था कि जो वर्क-चार्ज के हमारे

[श्री मोहम्मद मसूद खां]

मुलाजिमान हैं उनको नियमित करने की कार्यवाही हम कर रहे हैं। हमने 14,110 मुलाजिमान को उनके हक में कर दिया है। और हमने फैसला किया है कि एक निश्चित डेट तक के जो लोग हैं जो 3 साल तक कार्य कर चुके हैं उनको नियमित किया जायेगा। हम ऐसे नियम बना रहे हैं।

रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हमारा काफी प्रगति पर है और अब रिसर्च का काम भी ज्यादा हो रहा है। हमारे जो दो कारपोरेशन्स हैं उनके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि ये कारपोरेशन्स—बिल्डिंग और ब्रिज कारपोरेशन—ये केवल अपने डिपार्टमेंट का ही काम नहीं करते बल्कि प्रदेश और देश की और यहां तक कि दूसरे देशों में इन कारपोरेशन्स ने काम लिया है और वहां वह काम करने जा रहा है। उसका काम भी सन्तोषजनक है। इन चीजों को सामने रखते हुए मैं माननीय सदस्यों से इस्तदुआ करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दें, मैं उनका वेलकम करूंगा, साथ ही मैं यह बताना चाहूंगा कि यह इतना बड़ा प्रदेश है। कला और संस्कृति की ओर भी हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। जितनी तरक्की इस ओर होनी चाहिए थी, उस हद तक नहीं पहुंचे हैं लेकिन मैं इतना बता दूं कि इसमें तेजी लाई जायेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के जो सुझाव आयेंगे उन पर गौर करूंगा और जो मैंने ग्रान्ट रखी है, उसे आप पास करेंगे और कटौती का प्रस्ताव नहीं रखेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24, 29, 35, 64, 65, 66, 71, 72, 74, 87 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, मुझे खेद है कि माननीय मन्त्री जी का इतना सुन्दर भाषण केवल 14 मिनट सुनने को मिला है। हम समझते थे कि उनका भाषण काफी लम्बा होगा और ब्योरे के साथ सुनने को मिलेगा. . . (व्यवधान) समय कम मिला तो मैं क्या कर सकता हूं। इनकी दिक्कतें हैं समय कम मिला हम महसूस करते हैं। लेकिन जितना भाषण वह 15 मिनट में दे पाए हैं वह सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में कम और राजनीतिक ज्यादा था। प्रयास इन्होंने यह किया कि 30 सालों मे कुछ नहीं हुआ लेकिन यह नहीं बताया कि एक साल में क्या हुआ। उसके बारे में थोड़ा सा कह कर आगे चले गए . . . . (व्यवधान) 9 महीने में बहुत कुछ हो सकता है लेकिन यह नहीं बताया कि इस समय में उन्होंने क्या किया और आगे जो वर्ष आने वाला है उसमें क्या वह करने वाले हैं।

कला संस्कृति के बारे में मैं आशा करता था कि यह कुछ कहेंगे लेकिन इनकी लाचारी थी कि समय नहीं दिया। इस सम्बन्ध में ज्यादा बात नहीं कहूंगा और इतना कह कर आगे चला जाऊंगा कि पिछले साल अपने बजट भाषण में मन्त्री जी ने कहा था कि कुछ नई योजनाएं हम चलायेंगे तो इस बीते हुए साल मे उन्होंने क्या नई योजनाएं चलाई हैं? इन्होंने कहा था कि एक संग्रहालय अल्मोड़े में खुलेगा। उसके सम्बन्ध में क्या हुआ? कला के सम्बन्ध में तो श्री गुलाब सेहरा बात करेंगे। मेरे पास भी समय नहीं है केवल 25 मिनट है। (व्यवधान) वह मुझे नियम से मिलेगा। मन्त्री जी को नहीं मिला तो मुझे मिलेगा।

(इस समय 2 बजकर 4 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्रपति यादव पीठासीन हुए ।)

नियमानुसार मुझे तो समय मिलेगा ही. . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप अपना भाषण जारी रखें। आपका समय काट लिया जायेगा।

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय मन्त्री जी ने पिछले साल भी नेशनल हाईवेज के बारे में भाषण किया था हमने भी उनसे निवेदन किया था। हर साल इस तरह से भाषण होते हैं। एक मेरा निवेदन है कि पहले आप एक परिपाटी बनाइए हम जो उनसे निवेदन करते हैं, माननीय सदस्यगण जो निवेदन करते हैं वह केवल पुस्तकों में न रह जायं उसकी जाँच करायें विभाग द्वारा उसमें दो-तीन महीने का समय लगेगा लेकिन यह बताया जाय कि वह सम्भव है या नहीं और उसमें क्या सम्भव है और क्या सम्भव नहीं है। पिछले साल 30, 40 सदस्यों ने सुझाव दिए थे हमने भी दिए थे लेकिन हमारे पास कोई उत्तर नहीं आया। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्यों के पास उत्तर आया या नहीं। कम से कम मैं यह माँग करता हूं कि अपने विभाग में एक दो लोगों को लगा दें और वह छांट करके उनके सामने रखें कि क्या सम्भव है क्या सम्भव नहीं है। मैं मानता हूं कि उनकी सीमाएं हैं। उन सीमाओं के अन्दर जो कुछ सम्भव हो, आप लिखें, दो तीन महीने के अन्दर, यह सम्भव है यह सम्भव नहीं है। यह हर विभाग में होना चाहिए। खासतौर से सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्ध में मैं कहूंगा, क्योंकि यहां पर खास तौर से यह मांग होगी कि यह सड़क होनी चाहिए, एक भवन बनना चाहिए, तमाम विशिष्ट बातें ही आपके सामने आयेंगी।

माननीय मन्त्री जी की बात बिल्कुल सही है कि जहां के गांव सड़कों से जुड़े न हों, गांव-गांव से जुड़े न हों, उनको सड़क से जोड़ना बहुत जरूरी है। बात यह सही है। उत्तर प्रदेश में, हमारे और आपके पास भी आंकड़े हैं 30–32 हजार मील सड़कें कर सके हैं 30 वर्ष में। पांच वर्ष के बाद 15 हजार मील कर देंगे तो बधाई दूंगा। 30 वर्ष में 15 हजार मील बड़ी, गांव की सड़कें, ब्लॉक की सड़कें बनीं। मुझे स्वयं सन्तोष नहीं। लेकिन यह पुरानी सरकार की उत्तराधिकारी सरकार है। इसको उन अधूरे कामों को पूरा करना है जिसको उस सरकार ने शुरू किया है। जब यह सरकार जायगी, इसके जाने के लक्षण लगने लगे हैं, आज नहीं तो कल जायगी और आज भी लक्षण हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को बोलने दें। शान्त रहें।

श्री श्यामधर मिश्र--

उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ में रह ही नहीं गयी है। यह तो दिल्ली में बसती है। इस सरकार को क्या कहें। मुझे अब बोलने दें, क्योंकि मैं यह कहूंगा कि नौ महीने में उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा जाने लगा है कि यह सरकार ही नहीं है। तीस वर्ष में वह सरकार निकाली गयी। इस सरकार को अभी तीस महीने भी नहीं हुए। आपके बारे में कम से कम शंकाएं होने लगी हैं। हम से ज्यादा आपकी पार्टी के लोग ही नुक्ताचीनी करते हैं। अभी भी आप सुनेगें। लेकिन जब वे बोलते हैं तो आप व्यवधान नहीं करते, जब हम बोलते हैं तो आपको चुटकी लगती है।

श्री अधिष्ठाता--

मेरा आप से अनुरोध है कि आप सदस्यों को उत्तेजित न करें।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आप उत्तेजित न हों और जो लोग उत्तेजित हों उनको शान्त करें।

श्री अधिष्ठाता--

मैं उत्तेजित नहीं हूं।

श्री श्यामधर मिश्र--

एक बाम्बे प्लान बना था। माननीय मन्त्री जी ने पिछले साल बताया था कि बाम्बे प्लान के अनुसार 1960 से लेकर 1980 तक पूरे देश के लिए योजना बनी थी। उसके अनुसार बुन्देलखण्ड में कुछ और ज्यादा होगा। कैसा वह प्लान है? जहां अभी मांग हो रही है, वहां अभी ज्यादा हो गया और दूसरी जगह कम हो गया। उस योजना में सुधार होना चाहिए। जहां पर पूर्ति नहीं हुई है वहां पर पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन माननीय मन्त्री जी को योजना से बाद में सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए। आप एक चीज देख लें। मैं आपकी ही किताब से कह रहा हूं। प्रति लाख करीब-करीब कुल 3-4 प्रदेशों से सड़कों के मामले में ऊपर हैं। सड़कों के मामले में उत्तर प्रदेश बिलकुल न्यूनतम है। तो इसको आपको सुधारना होगा।

एक साल हो गया आपको कार्य करते। एक साल नुक्ताचीनी करके गुजार दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि अब काम करो। वह समय चला गया। पुरानी सड़कें हो गयी हैं लेकिन उनको ओर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। 5-6 तरह की सड़कें बनायी जाती हैं। मैं उनको ठीक नहीं समझता हूं। पी0 डब्लू0 डी0 द्वारा बनाई जाने वाली सड़क अलग होती है, जिला परिषद् द्वारा बनाई जाने वाली सड़क अलग होती है, लिंक रोड अलग होती है, मण्डी की सड़क अलग होती है, पंचायत की सड़क अलग होती है। मैं चाहता हूं कि इन सबका रुपया एक ही निधि में डाल दिया जाय और सारी की सारी सड़कों की मरम्मत, निर्माण और उनकी देखभाल सार्वजनिक निर्माण विभाग करे। मान्यवर, यह बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से क्रैश प्रोग्राम बना, ग्रामीण जन-शक्ति योजना चली। मैं यह नहीं कहता कि वह बेकार की योजना थी। कई हजार मील सड़कें बनीं। अब केन्द्रीय सरकार कहती है कि मैं उसकी माई-बाप नहीं हूं, राज्य सरकार कहती है कि मैं माई-बाप नहीं, जिला परिषद् कहती है कि मेरा उससे वास्ता नहीं, सार्वजनिक निर्माण विभाग कहता है कि इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो वह जो पक्की सड़कें बनी थीं, वह भी

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 24–627 सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 29–कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 35–आवास भवन, अनुदान संख्या 64–संचार साधन, अनुदान संख्या 65–कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 66–सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय–अनुदान संख्या 72–कार्यात्मक भवनों पर पूँजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 74–आवास भवनों पर पूँजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 87–संचार साधनों पर पूँजीगत परिव्यय

कच्ची हो रही हैं। तो आप उनका सुधार करें। आप 100 और 50 करोड़ रुपया खर्च करिए। सड़कों की मांग क्या करूं।

एक परिपाटी निकली है। अगर बदल दें तो मैं आपको बधाई दे दूं। कांग्रेसी राज्य में जो होता था और आज भी वही हो रहा है। जो मन्त्री होता है उसी के कांस्टीटुऐंसी में खाली चलेगी सड़कें। निधौली कलां में चलेगी सड़कें, आजमगढ़ में चलेगी। 200 मील सड़कें दोनों जगहों पर बनी हैं। मेरी कांस्टीटुऐंसी में एक इंच भी सड़क नहीं बनी। लिंक रोड की बात जब आई तो जो दूसरे मन्त्री थे जब उस पर विचार हुआ तो मुझे बुलाया ही नहीं गया। जिले के कार्यालय में बैठकर तय कर दिया। मेरी कांस्टीटुऐंसी में एक भी इंच सड़क नहीं बनी। मैं मौजूद नहीं था। मैंने मन्त्री जी को पत्र लिखा कि मुझे बुलाया नहीं गया, तो कहा कि माफ कीजिए, अगली बार देखेंगे। मुझे मालूम हुआ है, मैं नहीं कह सकता कि कितनी सत्यता है, सिंचाई विभाग की तरह से ही सार्वजनिक निर्माण विभाग में रुपया लैप्स हो रहा है। यह कहां तक सही है हम एक ओर रुपया मांग रहे हैं और दूसरी ओर जो रुपया दिया गया है वह लैप्स हो रहा है। खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों आए हैं, अगर रुपया समर्पित करना है।

ठेकेदारी की प्रथा है। मैं इसकी ताइद करता हूं और मैं उसको बधाई देता हूं। वह ठीक है। आपने अपने पिछले भाषण में यह भी कहा था कि ग्रेजुएट्स को लोन देकर कन्ट्रेक्ट्स देने का एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। मैं जानना चाहता हूं इस मामले में आपने क्या किया है? मान्यवर, प्रदेश में एक लाख गांव हैं। अभी तक बड़े-बड़े गांव भी इनसे सम्बन्धित नहीं हैं। मान्यवर, मैं एक ऐसे इलाके से आता हूं जो बड़ा ही औद्योगिक है। वहां पर कम से कम 70 करोड रुपए का विदेशों से व्यापार होता है लेकिन वहां की सड़कों की दुर्दशा हमारे माननीय मन्त्री जी स्वयं देख आए हैं, वहां पर म्युनिसिपैलिटीज और सड़कों की बड़ी दुर्दशा है। वहां पर सड़कों के जाल बिछाए जाने की बात कई बार कही गयी। जो भी मन्त्री वहां पर जाते हैं वे ही सड़कों के जाल बिछवा आने की बात कह आते हैं। कांग्रेस के शासन काल में भी यह बात आई थी। आज इन इलाकों में ज्ञानपुर, भदोही आदि स्थानों पर बरसात के दिनों में हमारे माननीय मन्त्री जी नहीं जा सकते हैं। वहां पर हर रोज 50 के लगभग व्यापारी विदेशों से आते हैं। मैं मांग करता हूं कि इन सड़कों की दशा को सुधारा जाय। एक सड़क ज्ञानपुर से दारागंज तक और भदोही से दारागंज तक जाती है लेकिन उनकी दशा भी बड़ी शोचनीय है। जो भी पी0 डब्लू0 डी0 की सड़कें हैं उनके लिए जो भी मेंटीनेंस के लिए कई-कई सौ रुपया दिया जाता है लेकिन कोई मेंटीनेंस नहीं हो पाता है। वे एक दम कच्ची हो रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनपर विचार किया जाय।

[श्री श्यामधर मिश्र]

मान्यवर, मिर्जापुर में एक पुल बना था। उसके लिए पिछले साल भी मैंने कहा था कि उस पर अन्धेरा होने के कारण 2-3 आदमी मार दिए गए हैं। यह बात मैंने ही नहीं बल्कि जनता पार्टी के लोगों ने भी उठाई थी। मैं तो नालायक नम्बर एक हूं ही लेकिन जो आपके पक्ष में योग्य लोग हैं उनसे पूछ लीजिए लेकिन हमारे मन्त्री जी इतने लायक आदमी हैं कि वे न लायक आदमी की बात सुनते हैं और न नालायक की। ये न्यूट्रल है और चीजों के लिए स्थिति-प्रज्ञ हैं। उन्हें दुनिया की किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। मिर्जापुर घाट में एक पौन्टून ब्रिज था। हमने प्रार्थना की थी कि रामपुर घाट पर यह पुल बनाया जाय। ये ऐसी बातें हैं जिन पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

आपके पी0 डब्लू0 डी0 के डाक बंगले हैं। यहीं नहीं जिस विभाग को देखिए वही विभाग अपने डाक बंगले बनवा रहा है। इर्रीगेशन के है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के अलग से डाक बंगले हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे पी0 डब्लू0 डी0 के मन्त्री को इस बात को मन्त्रि मण्डल की बैठक में लाना चाहिए कि जितने भी डाक बंगले बनें वे पी0 डब्लू0 डी0 के ही होने चाहिए। गोपीगंज (वाराणसी) में लालनगर का बहुत अच्छा डाक बंगला है। पी0 डब्लू0 डी0 का है न ये लेते हैं न देते हैं, न वहां जाते हैं, न सफाई होती है। इर्रीगेशन विभाग मांगता है तो देते नहीं। नहीं देते तो खुद मेनटेन करो। अपने जीवन काल से देख रहा हूं कि यही परिस्थिति चली आ रही है। अब आपको करना है। यह जवाब नहीं होना चाहिए कि आपके समय में नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। जनता यह सुनने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस ने गलती की और आप भी वही करेंगे तो फिर जल्दी ही इधर आ जाइएगा, जल्दी ही। कांग्रेस से गलतियों में कम्पीटीशन मत करो। मैं मानता हूं कि उस कम्पीटीशन में आप जीत जायेंगे।

एक बात कहकर समाप्त करूंगा। वह यह है कि आपने मिसिंग लिंक की बात कही और बहुत जरूरी बात कही। लेकिन वही नहीं होना चाहिए जिसको आपने स्वतः जाकर देखा हो। हम लोगों के भाषणों को भी देखिए। पिछले साल हमने आपको मिसिंग लिंक बताया था और आपको सड़क पर बताया था। जो मिसिंग लिंक है वह पुल का है। इलाहाबाद से बनारस तक एक सड़क है जो भदोही से जंघई तक जाती है और जंघई से इलाहबाद--लखनऊ जाती है। बीच में वरुणा नदी है। वहां छोटा सा 12-14 लाख का पुल चाहिए। उसके बनने से बनारस आने-जाने का रास्ता 27 किलोमीटर कम हो जायगा। उसको किसी ने नहीं देखा। न आपकी सरकार को टाइम है। आपके सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी को, और आपको घूमने से ही मतलब है। अनुदान पास हो गयी और आप चले गए। फिर आयेंगे पास कराने के लिए। मखौल करके पास करा लिया बहुमत से। तो बहुमत के बल पर तो पास हो जायगा, लेकिन आपको जनता का बल चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जनता की इच्छाओं के अनुरूप आप काम करें।

अन्तिम बात कह करके बैठ जाऊंगा। वह यह है कि आई0 ए0एस0 के लोग आपके विभाग में हैं और भी विभागों में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आई0 ए0 एस0 से इंजीनियर्स क्यों तनख्वाह कम पा रहे हैं? क्यों उनकी श्रेणी कम की जा रही है? इसको आप देखें। इन्जीनियरिंग सर्विस उनकी है, 4 हजार तक आई0 ए0एस0 जाता है? क्या

कोई इन्जीनियर भी जाता है ? मेरी समझ में नहीं आता है। जो ये काम कम हो रहा है इसका मुख्य कारण यह है कि नीचे स्तर के गैंगमैन कम हैं और बड़े-बड़े अफसर, मालिक लोग ज्यादा हैं। मैं समझता हूं गैंगमैन उतने ही हैं जितने कि 10 वर्ष, 15 वर्ष पहले थे। थोड़े बहुत भले ही बनाए हों। मेरी अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन उस अनुपात में बढ़ोत्तरी नहीं हुई जितनी कि ओवरसियर, इंजीनियर, बड़े सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अण्डर सेक्रेटरी आदि के कैडर में बढ़ोत्तरी हुई है। तो अगर काम करना है, केवल भ्रष्टाचार को दूर करना है और विभाग को सही दिशा देनी है तो मैं एक रचनात्मक सुझाव दूंगा। इधर भी जांच करें और हम लोगों की बातों की जरूर जांच करें। देखें कि विभाग में लोग क्या कह रहे हैं, क्या मांगें कर रहे हैं ?

एक बात और कहूंगा, आप क्षमा करेंगे। हमारे बगल एक जगह है, मिर्जापुर। मिर्जापुर पुल तो बन गया, लेकिन गोपीगंज तक पी0डब्लू0डी0 और जिला परिषद् की सड़क मिली हुई है। मिर्जापुर और गोपीगंज 12 मील की सड़क है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है. .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया।

श्री श्यामधर मिश्र—

कोई ऐसा मन्त्री नहीं है जिसके सामने निवेदन पहले न हुआ हो और अब न हुआ हो। यह नहीं बन रही है। इसको बनना चाहिए। मैं समझता हूं, वह अगर बन जाय तो उस इलाके की तरक्की होगी और उससे बड़ी आवश्यकता की सबकी पूर्ति होगी, पूरे इलाके की होगी। मैंने पहले ही कहा कि संस्कृति और कला के सम्बन्ध में गुलाब सेहरा जी बोलेंगे। इन बातों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरी राम शाक्य (जिला मैनपुरी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस विभाग ने जितना कार्य अपने इस छोटे कार्यकाल में किया है, उतना काम पिछली सरकार ने अपने 30 वर्ष के कार्यकाल में नहीं किया। जिस तत्परता से ये लोग लगे हैं, जनता पार्टी की सरकार लगी है, उसके लिए निश्चित ही मन्त्रीगण और विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। मैं जनपद मैनपुरी की ओर, उसमें जो भोगाँव तहसील है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वास्तव में इस क्षेत्र में बिलकुल ही न के बराबर कार्य हुआ है। दो नदियों के बीच में यह क्षेत्र बसा हुआ है और आए दिन आप अखबारों में पढ़ते हैं, 7 मार दिए गए, 60 बांध कर लूट लिए गए। अभी 8–10 दिन पहले सड़क पर लोगों को लूट लिया गया। इस क्षेत्र में सड़कों का इतना अभाव है कि

[श्री हरी राम शाक्य]

दोनों नदियों के बीच में बदमाश निर्भीकता पूर्वक संरक्षण पाते हैं और निर्भीकता पूर्वक बदमाश लोग लूट-पाट करते हैं। मैं अपनी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जहां पर जघन्य अपराध हो रहे हैं, बदमाश निर्भीकता पूर्वक घूम रहे हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपके पूरे योगदान की आवश्यकता है। आप अपने विभाग को आदेश दें कि वहां पर सड़कों का जाल बिछा दें। जिससे गमनागमन सुलभ हो। जो नदियों के किनारे ढूह बने हुए हैं जिनमें अन्तप्रदेशीय बदमाश आकर शेल्टर लेते हैं, तो निश्चित रूप से जो रोज दैनिक समाचार-पत्रों में पढ़ते हैं कि सामूहिक हत्याएं हो रही हैं, वहां पर सड़कें बन जाने से, वहां के गरीब किसानों को बदमाशों से निश्चित रूप से राहत मिल सकती है। इस क्षेत्र में गांव के भीतर कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जिसे हम सड़क कह सकें, जहां पर आसानी से आया-जाया सके।

एक सड़क है बिछुवां हन्नू खेड़ा, वहां पर नदी के निकट धीमरनगरिया गांव में दिन दहाड़े आग लगा दी गयी और वहां पर समय के भीतर पुलिस नहीं पहुंच पाई। इस सड़क पर कई सालों से पत्थरों के ढेर रखे हुए हैं, लेकिन सड़क नहीं बन रही है। पता नहीं ये अधिकारीगण अब तक क्या करते रहे हैं। इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं अपने मन्त्री जी से चाहूंगा कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान देकर जो अधूरी सड़कें हैं, इन्हें शीघ्र ही पूरा करायें। इस क्षेत्र में पिछड़ी जाति के और हरिजन जाति के लोग लगभग 60–70 फीसदी रहते हैं। हमारी सरकार ने इनको संरक्षण देने का और इनको विकसित करने का प्रथम वरीयता के आधार पर वादा किया है। यहां पर जो लोग लुट रहे हैं, वह इन्हीं वर्गों से सम्बन्धित हैं। अतः यदि यहां पर सड़कों का जाल नहीं बिछाया गया और इसको उपेक्षित किया गया, तो निश्चित रूप से जो रोज मर रहे हैं इसी प्रकार मरते रहेंगे। आपका जो विभाग है वह निष्क्रिय है। यदि आपने इसे अधिक सक्रिय नहीं किया तो निश्चित रूप से हम जो निर्बल वर्ग को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, किसानों को बढ़ाने की बात करते हैं यह बातें पूरी नहीं होंगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य के दो मिनट रह गए हैं।

श्री हरी राम शाक्य—

इस क्षेत्र में जो प्रमुख सड़कें हैं वह 8 किलोमीटर से ज्यादा लम्बी नहीं हैं। मैं आपका ध्यान उन सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन सड़कों को आप शीघ्र बनाने का प्रयास करेंगे —(1) बिछवां–हन्नू खेड़ा मार्ग का पुनः निर्माण कराया जाय। (2) बीलों–सहारा–मनउघाट मार्ग, जो अलीगंज को जाता है, यह दोनों उस क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़कें हैं इन सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके साथ ही साथ जो निम्नलिखित सड़कें हैं उनको भी नोट कर लिया जाय और तुरन्त ध्यान दिया जाय :—

(3) भोगांव–हुमाऊंपुर–राजघाट मार्ग को बनवाया जाय, (4) भोगांव–औंग रोड को पूरा किया जाय, यह अधूरा है। (5) बेवर–मोटा–आर्यपुर खेड़ा मार्ग अभी अधूरा है इसको पूरा किया जाय, (6) आर्यपुर–असदपुर गड़िया मार्ग को बनाया जाय, (7) बेवर–खोखम नगला मार्ग नदी तक बनाया जाय, तथा (8) बेवर–बझेश–दौलतपुर मार्ग नदी तक बनाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री हरी राम शाक्य—

(9) अहिरवा–भोगांव मार्ग पूरा किया जाय, (10) भोगांव–बरा–नगलादेवी मार्ग पूरा किया जाय, (11) बिछवा न० सेमर–धडेश्वर मार्ग नदी तक पूरा किया जाय, (12) बनकिया मानपुर-हरी भोटा भाजी, (13) भोगांव भोटा मार्ग रेलवे लाइन के किनारे, (14) कुटवली बेवर महर की पटरी का मार्ग पक्के किए जायें।

श्री अधिष्ठाता—

अब समाप्त करें।

श्री हरी राम शाक्य—

इसके साथ ही एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। वह यह है कि जिन ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से श्रमदान करके सड़कें बना ली थीं, माननीय मन्त्री जी घोषणा करें कि इन सड़कों को सबसे पहले पक्का किया जायगा। क्योंकि गांव वालों ने इनको अपने खून पसीने से, मेहनत करके बनाया है। इनको पक्का किया जाय जिससे लोगों को श्रमदान करने की प्रेरणा मिलेगी। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि विशेष रूप से सीधे हाथ पर बैठे हुए सदस्यों से, मैं विशेष परिस्थितियों में अपोजीशन के सदस्य को बुला रहा हूं। वह बाहर जाने वाले हैं इसलिए आप इस पर ध्यान न दें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मुझको भी बोलने दें।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, कला और संस्कृति विभाग हरिजन और समाज कल्याण मन्त्री के अन्तर्गत हैं लेकिन इस उत्तरदायित्व को मन्त्री जी निभा रहे हैं तो मैं कला और संस्कृति के बारे में जो कटौती का प्रस्ताव मिश्रा जी ने रखा है उसके बारे में बोलूंगा। श्रीमन्, मैंने कला और संस्कृति का बजट देखा। दुख की बात मुझे महसूस हुई कि पिछले साल 87 लाख 27 हजार रुपए इसके लिए रखे गए थे। लेकिन इस साल इसमें 76 लाख 80 हजार रुपए का बजट रखा गया है। तो 10 लाख 47 हजार रुपए कम हो गए हैं। मैंने सोचा यह कमी कला और संस्कृति में जनता सरकार ने क्यों कर दी तो मैं पिछले इतिहास की ओर चला गया। श्रीमन्, कला और संस्कृति से इस पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं है। इन

[श्री गुलाब सेहरा]

10 महीनों में, यह तो लाठी ब्राण्ड पार्टी है। श्रीमन्, बन्दूक ब्राण्ड पार्टी है। श्रीमन् अश्रु गैस ब्राण्ड पार्टी है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यह जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं वह उचित नहीं हैं। ध्यान रखें।

एक सदस्य—

मुजरा पार्टी तो नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

यह संसदीय है।

श्री गुलाब सेहरा—

मैं यह कह रहा था कि कला और संस्कृति एक ऐसा विषय है कि उस विषय पर आध्यात्मिक व्यक्ति, इन्टेलेक्चुअल व्यक्ति विचार कर सकता है। श्रीमन्, जनरल टाड ने एक पुस्तक लिखी है — "एनल्स आफ राजस्थान" कि सत्रहवीं सेन्चुरी में भरतपुर के राजा श्री सूरज मल जाट ने आगरे में आधिपत्य किया और राजा ने उस अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ताज महल का उपयोग भूस भरवा कर किया। एक इतिहासकार काफी खां ने लिखा है कि उक्त वर्ग ने संगीतकारों को इस काम के लिए नियुक्त कर लिया था कि वह भैंस के आगे बीन बजाये जिससे भैंस दूध दे सके। तो भरतपुर के राजा को कला से क्या मतलब।

मान्यवर, इसीलिए मुझे एक ही बात कहना है कि जब कला और संस्कृति में 10 लाख रुपया घटा दिया गया तो जब आपकी रुचि ही इसमें नहीं है तो ठीक घटा दिया। यह तो ऐसा शौक है जिसमें पढ़े लिखे होना आवश्यक है। मानसिक स्तर ऊंचा होना चाहिए। यदि यह नहीं है तो मैं समझता हूं कि अगले वर्ष और घटा देंगे।

मान्यवर, इस संस्कृति विभाग के कई काम का जिक्र है जैसे फिल्म के पूना इंस्टीट्यूट में बताया है। वहां जो भर्ती है उनको 125 रुपया वजीफा दिया जाता है। तो इस वजीफे से क्या होता है। मान्यवर, जो संस्कृति से सम्बन्धित पुस्तक दी गयी है उसमें लिखा है कि जो पुराने कलाकार, 50 वर्ष से ऊपर होंगे उनको पेंशन दी जायगी। गुरु शिक्षा दी जायगी। दूसरे प्रदेशों से कलाकारों को यहां बुलाया जायगा। इसके अलावा और कई बातें इसमें हैं। यदि आप विचार करें तो पायेंगे कि भारतीय संस्कृति से भगवान श्रीकृष्ण को यदि निकाल दें तो तीन विद्याओं का लोप हो जाता है, जैसे गायन, वादन और नृत्य। केवल उस श्रीकृष्ण की वजह से इस संस्कृति में भारतीय संगीत, वादन और नृत्य है। बृज प्रदेश की इस धरोहर को जो श्रीकृष्ण ने शुरू किया उसको यह विभाग उपेक्षा करता है। मुझे सबसे ज्यादा विरोध यह है कि कला संस्कृति विभाग ने जितने विभाग रखे हैं वह सब लखनऊ में रखे हैं। सांस्कृतिक कार्य समीक्षा की जो पुस्तक है उसमें संगीत निदेशालय लखनऊ में है, भातखण्डे संगीत महाविद्यालय, राजकीय वास्तुकला विद्यालय, राज्य संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, संगीत एकाडमी, राज्य कला एकाडमी, सांस्कृतिक एकाडमी सब लखनऊ में हैं। एक क्षेत्रीय कला केन्द्र भी यहां खुलने जा रहा था, लेकिन

उसका प्राविधान शायद नहीं हो पाया। तो मेरा कहना यह है कि कला संस्कृति केवल एक विशेष जगह की चीज नहीं है। इसको प्रदेश लेवेल पर देखना चाहिए। यदि इसमें आप देखें तो मैं बृज प्रदेश की बात कहना चाहता हूं। पहले संगीत क्षेत्र में स्वामी हरिदास जी ध्रुपद गायन में सबसे पहले हुए वह वृन्दावन के रहने वाले थे, तानसेन और बैजू बावरा उनके शिष्य थे, तानसेन ने नई परम्परा शुरू किया और गजल, ख्याल, खमाच और दादरा की नींव डाली, लेकिन संगीत विद्यालय सारे यहीं लखनऊ में हैं और हरिदास जयन्ती लोग बम्बई में मनाते हैं। अब मथुरा में भी मनाने लगे हैं। हरिदास जी की परम्परा को कायम रखने के लिए, ध्रुवपद को कायम रखने के लिए भारतीय संगीत को कायम रखने के लिए इस सरकार को कुछ करना चाहिए था।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सेहरा जी आपके आठ मिनट समाप्त हो गये हैं। चार मिनट और हैं। अनुदान पर मतदान साढ़े तीन बजे होगा। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री गुलाब सेहरा––

जी हां, श्रीमन्। तो श्रीमन्, मैं कह रहा था परम्परा के बारे में। आगरा में फय्याज खां की परम्परा को लागू करने के लिए इस मन्त्रालय ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात मीरा का जिक्र करना चाहूंगा। मीरा के भजनों में संगीत का लय और संगीत की राग रागिनियां अपने-आप आ गयीं। श्रीमन्, मीरा जैसी गायन और राग रागिनियों के बारे में कोई शोध, अन्वेषण नहीं किया गया। हमारे वृन्दावन में कुछ लोग मीरा के भजनों को प्राचीन पद्धति पर, राग रागिनियों को आज भी गाते हैं। श्रीमन्, सूरदास जी बृज के बड़े नक्षत्र हुए, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि सूरदास स्मारक के लिए आज तक इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इस वर्ष वहां पर स्मारक समिति को महोत्सव के लिए 25 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। उसके लिए भी कुछ करना चाहिए था।

श्रीमन्, जो बृज का लोक संगीत है उसकी भाषा में बड़ा माधुर्य है। बृज का अगर कोई व्यक्ति कड़वी बात भी कहता है तो उसमें भी माधुर्य होता है। बृज संगीत के बारे में भी इस विभाग की ओर से कुछ नहीं किया गया। इसी तरीके से श्रीमन्, ख्याल है, नौटंकी है, होली है, आल्हा है, बृज की रास लीला है, इनकी जो परम्पराएं हैं उनको सुरक्षित करने के लिए कुछ नहीं किया गया जिसका परिणाम यह हो रहा है कि ये खत्म होती जा रही हैं। इन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ इस मन्त्रालय को करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता––

अब आपके दो मिनट रह गए हैं।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, पुरातत्व की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग को इस ओर देखना चाहिए। आगरे में मारबल पर जिस तरह से पच्चीकारी का काम होता है मैं समझता हूं उसे सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। श्रीमन्, मिया नजीर, गालिब इनकी उपेक्षा की गयी है. . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, पी0डब्लू0डी0 की बात कहना चाहता हूं। इस बात को भी मन्त्री जी देखें कि एक जिले में 124 किलोमीटर सड़कें दे दी गयीं, लेकिन उनका संचालन भी ठीक तरह से होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

सेहरा जी, आपका समय समाप्त।

श्री गुलाब सेहरा—

बस एक बात कह कर समाप्त कर रहा हूं।

मैं चाहूंगा कि जो भी सुझाव हमने दिये हैं श्रीमन्, आप के माध्यम से कहना चाहूंगा उनके बारे में कम से कम मन्त्री जी आज नहीं तो दो महीने के बाद ही हम लोगों को बता दें हमारी स्पीच को पढ़ कर कि कुछ करें। और नया कार्य भी आया करता है। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री ने जो अनुदान पेश किए हैं, मैं उनका समर्थन करता हूं। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का निर्माण, उनका रख रखाव आदि काम आते हैं और भवनों के निर्माण का काम भी यह विभाग करता है। इस विभाग द्वारा बहुत सी सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी जाती है लेकिन समय के अन्दर वे पूरी नहीं होतीं। समयबद्ध योजना के अनुसार सड़कों का निर्माण होना चाहिए। एस्टिमेट गलत हो जाने से सड़कों के निर्माण में देर होने से लागत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे वे अधूरी रह जाती हैं। जैसा माननीय सदस्य शाक्य कह रहे थे तीस वर्ष के कांग्रेसी शासन काल में जितनी सड़कें नहीं बनी उनसे अधिक जनता सरकार के एक वर्ष के शासन काल में बनी, मैं भी उसका समर्थन करता हूं।

बहराइच जिले में घाघरा नदी पर एक घाघरा पुल बनाने की बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीस वर्षों से हम लोग इस बात को कहते रहे, लेकिन उसका निर्माण नहीं हुआ। जनता पार्टी ने इस साल 34 लाख में से उस पुल के सर्वेक्षण के लिए 28 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी है। यह पुल सामरिक दृष्टि से तथा यातायात की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे आशा है कि जल्दी से जल्दी यह पुल बन जायगा। फैजाबाद मण्डल सर्वाधिक पिछड़ा हुआ मण्डल है। इसमें बहराइच तथा गोण्डा जनपद यातायात की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। इस असन्तुलन को समाप्त करने के लिए अगर पिछड़े हुए जनपदों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश में यातायात का असन्तुलन समाप्त नहीं होगा और न कोई लाभ ही होगा बहराइच जनपद में पांडेपरवा पिपराघाट से इकौना तक पी0डब्लू0डी0 द्वारा इकौना से मकला नदी तक 22 किलोमीटर सड़क बन चुकी है और 17 किलोमीटर बनना शेष है। यह चार ब्लाकों को जोड़ने वाली सड़क है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए कई बार निवेदन भी किया जा चुका है जिले के अधिकारियों से। मैं आशा करता हूं कि यह विभाग इस सड़क को स्वीकार करके शेष सड़क बनाने की कृपा करेगा। इसी तरह तराई एवं दोआबा को जोड़ने के लिए गुलरा मछरिहवा होते हुए भंगहा जहां ब्लाक है उसमें इस सड़क को मिला देना है। वहां कोई सड़क नहीं है। उस पर विशेष ध्यान माननीय मन्त्री देंगे जहां पर भंगहा और दोआबा एवं तराई को जोड़ने वाली सड़क है। इसी तरह फकरपुर, सिरसिया ब्लाक तथा मेजा ब्लाक हैं जहां नाम मात्र की सड़कें हैं। इन सड़कों के निर्माण की ओर इस विभाग का ध्यान जाना चाहिए।

जो जिले पिछड़े हैं और यातायात के जहां साधन नहीं हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्ष 1976–77 की पंचवर्षीय योजना बहराइच जिले के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि यातायात की दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां सड़कों की महती आवश्यकता है और सन् 1981 तक के लिए 1056 किलोमीटर सड़कें बनाने की योजना थी। लेकिन 704 किलोमीटर ही पूरी हो पायी और बहुत-सी जगहों पर सड़कें पूरी नहीं हो सकी हैं। इसलिए सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से इस बात की मैं आशा करता हूं कि इन पिछड़े हुए इलाकों की सड़कों पर विशेष ध्यान देकर वह हमारे बधाई के पात्र होंगे।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्तुत बजट की मांगों का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी का ध्यान इलाहाबाद के मार्गों की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, इलाहाबाद में जमुना पार में करछना तहसील ऐसी तहसील है जिसमें सड़कों का बड़ा अभाव है। मान्यवर, जो मार्ग इलाहाबाद से रीवां और मध्य प्रदेश को जाती है जो नैशनल हाईवे है वह आपके अन्तर्गत नहीं आता, लेकिन इलाहाबाद से बांध जाने वाली जो रूट है जसरा वह एक लम्बी रूट है। शंकरगढ़ की सिलकायन मिट्टी पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में होती है। हजारों बसें और ट्रकें वहां पर रोज आती जाती रहती हैं। बरसात में दोनों तरफ इस सड़क में काली मिट्टी इकट्ठा हो जाती है और दोनों तरफ इस सड़क के बसें खड़ी रहती हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस सड़क को गोहनिया से लेकर आम-

[श्री गुरुप्रसाद]

गोडर तक दोनों तरफ चौड़ी करने का प्राविधान इस बजट में कर दें। इलाहाबाद के जो अधीक्षण अभियन्ता हैं उन्होंने आपके पास इसे लिखकर भेज भी दिया है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हमारे क्षेत्र में 2–3 किलोमीटर सड़कें हैं, रामपुर से पुरवा खास वाया छरवना, दूसरी सड़क है बारा से लालपुरा और तीसरी सेहरा से देवरा वाया ओता तथा चौथी जारी से नौड़िया उपरहार वाया जूही––इन चारों सड़कों के लिए आपको बजट में प्राविधान करना चाहिए। एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 3 नाले हैं जो बरसात के समय में बहुत भयंकर हो जाते हैं। जब लड़के वहां से पढ़ने के लिए जाते हैं तो हर साल वहां पर 1-2 दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एक नाला कुखड़ी ओसा, दूसरा नाला पनासा का छार और तीसरा नाला कैनुआ कंगासा का है। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस पर पुल का निर्माण कराने का प्रबन्ध करें।

एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं कि हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री सांस्कृतिक कार्यकलाप के मन्त्री भी हैं इसलिए मैं सांस्कृतिक कार्य-कलाप के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में संस्कृत अकादमी है और एक उर्दू अकादमी है। इसमें जो संगठन हुआ है। उसको पुनःसंगठित करने की आवश्यकता है। हमारे जो भूतपूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी थे वे संस्कृत नहीं जानते थे और अब जो रखे गये हैं उनके पास दो पद हैं। मेरा सुझाव है कि एक व्यक्ति को दो पद नहीं दिए जाने चाहिए। संस्कृत अकादमी में किसी दूसरे विद्वान व्यक्ति को रखा जाय और इसे पुनर्गठित किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं।

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, माननीय गुलाब सेहरा जी जिन्होंने जाटों के विषय में कहा है कि ताज महल में जाटों ने जो भुसा भरवा दिया था तो मैं सबसे पहले उन्हें परामर्श देना चाहता हूं कि वे राजस्थान जायं और जाटों द्वारा बनाई हुई सुसंस्कृति का दिग्दर्शन करें। वहां भरतपुर में घना पक्षी-बिहार और दीग के जल महल है जो जाटों की जीती जागती कला के नमूने हैं। जाटों के विषय में उन्होंने जो कुछ कहा है वह जातीय द्वेष की भावना का परिचायक है। वह उन महलों और पक्षी बिहार को देखें और अपनी कला अभिरुचि को सन्तुष्ट करें। यहां पर जनता पार्टी के सम्बन्ध में कहा गया कि वह लट्ठ सरकार है, हालांकि इसमें जाटों का कोई सम्बन्ध नहीं है मैं समझता हूं आज जाटों का प्रसंग देना एक जातीय विद्वेष भावना फैलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। फतेहपुर सीकरी ऐसा क्षेत्र है जिसको देखने के लिए विदेशी पर्यटक आते हैं। मैंने जितने भी मन्त्रियों से निवेदन किया वह वहां गए हैं लेकिन सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से प्रार्थना की तो वह कहने लगे कि मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर सकता हूं और उसका कारण यह बताते हैं कि उनके विभाग के पास वहां की सड़कों के लिए पैसा देने को नहीं है। मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग की पुस्तक भी देखी तो फतेहपुर सीकरी का कहीं नाम नहीं है और आगरे के लिए भी कोई सड़क नहीं है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि फतेहपुर सीकरी ऐसा

स्थान है जहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं। वह मथुरा से आगरा पहुंचते है और आगरा से फतेहपुर सीकरी आते हैं। एक सड़क रुणकता मे किरावली बनाना अति आवश्यक है। इससे तीस मील की बचत होगी। मान्यवर, मैं सार्वजनिक निर्माण मन्त्री से प्रार्थना करता हूं कि इस मार्ग के बन जाने से राष्ट्रीय मार्ग नं0 11 और 2 मिल जायेंगे जिससे विदेशी पर्यटकों को वहां पहुंचने में सुविधा होगी।

मान्यवर, दूसरी सड़क जो कि वहां के निवासियों के लिए अति-आवश्यक है वह अकोला से किरावली है। इस सड़क के बनने से काफी यात्रा बच जाती है। क्योंकि चेकोरा घाट पर किरावली-कागरौल मार्ग पर कोई पुल नहीं है जिससे हर साल कई जानें चली जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि चेकोरा पर पुल बनाया जाय। जब तक पुल न बने तब तक अकोला से किरावली मिला देने वाली सड़क बना दी जाय। गोपउसाख की पटरी को पक्की करके अकोला को किरावली से मिला दिया जाय। मैं समझता हूं कि जो रास्ता किरावली कागरौल बरसात में ब्लाक होता है उससे यात्रियों का सम्पर्क टूट जाता है। इस सम्पर्क मार्ग से तातपुर का प्रसिद्ध पत्थर राजस्थान पहुंचाया जाता है वह आसानी से वहां पहुंच जायगा।

मान्यवर, इसी क्षेत्र में गरकी और बाढ़ आती है जिससे इस क्षेत्र के एक भाग का सम्पर्क दूसरे भाग से टूट जाता है। अगर कुछ सड़कें फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में बना दी जायं तो बाढ़ और गरकी के समय में जहां के तहां गांव के आदमी जो रुक जाते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में सहायता मिलेगी।

मान्यवर, इस क्षेत्र में जो सड़कें पहले की हैं वह मरम्मत के अभाव में नष्ट हो रही हैं। फतेहपुर से दूरे तक जो सड़क जाती है उसकी मरम्मत नहीं कराई गई तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जायगी। मैंने इस दूरे से फतेहपुर सीकरी सड़क के बारे में ए0डी0एम0(पी0) से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह हमने सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दी है और जब सार्वजनिक निर्माण विभाग के इन्जीनियर से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह जिला परिषद् के पास है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सड़क किस के पास है। इसका कोई धनी टोरी भी है जो इस बनी हुई सड़क की मरम्मत करवा दे। ताकि जो सड़कें पहिले बनी हुई हैं उनको ठीक दशा में रखा जाय।

*श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा कि जो वर्कचार्ज के 14110 कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने की कोशिश की जा रही है मैंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फजलुर्रहमान अन्सारी]

यह समझा कि कोशिश की जा रही है। हम नहीं समझते कि यह कोशिश आपकी पूरी होगी। कह रहे हैं कि कर दिया है तो उसके लिए धन्यवाद।

मान्यवर, काफी दिनों से मजदूरों में यह बराबर मांग चली आ रही है कि उन्हें औद्योगिक मजदूर घोषित किया जाय जिसके लिए श्रमायुक्त ने भी अपनी संस्तुति दी है कि पी0 डब्लू0डी0 के कर्मचारियों को औद्योगिक मजदूर घोषित किया जाय लेकिन समझ में नहीं आता कि शासन के द्वारा कई बार निर्णय के बाद अधिकारियों द्वारा उसकी टाल मटोल की जा रही है। 24 फरवरी, 1972 को राज्य श्रम मन्त्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी उसमें कमेटी कायम की गयी थी कि पी0डब्लू0डी0 के कर्मचारियों को औद्योगिक मजदूर घोषित किया जाय। इसके लिए श्रमायुक्त ने बाकायदा आदेश जारी किया था मुख्य अभियन्ता के लिए। मुख्य अभियन्ता ने पहले शासन को एक प्रारूप तैयार करके भेजा था जिस पर आज तक कार्यवाही नहीं की गयी। अभी मन्त्री जी ने कहा, एक लम्बी चौड़ी डींग मारी है, आंकड़ों के आधार पर कि इतने हजार किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण आज 10 महीने में किया गया है। शायद मन्त्री जी को यह भी मालूम नहीं कि यह आंकड़े सिर्फ कागजी, फर्जी और बेबुनियाद हैं। यह सरकारी अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। यह कोई कार्य पूरा नहीं हुआ। मेरे क्षेत्र नानपारा में मार्च में जो पैच खत्म हो जाना चाहिए था उस सड़क का निर्माण हो जाना चाहिए था आज भी निर्माण हो रहा है।

अपने भ्रष्टाचार की बात कही है। ताजगंज की बात बताऊंगा। हमारे जिले के राज्य मन्त्री महोदय भी मौजूद हैं। एक सड़क के बारे में यह फैसला किया गया था, पुरैना के लिए तय किया गया था, 40 हजार रुपया उसमें खर्च हो गया। उसमें भी पता नहीं चल रहा है कि वह मण्डी समिति या पी0डब्लू0डी0 बनायेगी। वह अधर में लटकी हुई है। भ्रष्टाचार यों खत्म होने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बहुत कुछ बुनियादी काम करने होंगे। हमें उम्मीद बंधा नहीं कि आप भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं।

पैनल आफ मोशन लागू करने में क्या परेशानी हो रही है? मसूर रोड की प्रथा इसलिए नहीं खत्म करना चाहते कि उसके पीछे शासन की एक मिली भगत है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है। रोड वर्क पर 30 परसेन्ट, खड़ंजे के काम पर 10 से 15 परसेन्ट कमीशन मिलता है। बहराइच, बाराबंकी पुल के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने एक बात कही उसकी जांच कराने जा रहे हैं। हमें जहां तक मालूम हुआ है याचिका समिति में एक निवेदन गया था कि इस पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। रेलवे विभाग उस पुल को पी0डब्लू0डी0 को देना चाहता है लेकिन पी0डब्लू0डी0 उसको नहीं लेना चाहता, क्योंकि करोड़ों रुपए उसमें हड़पने की बात होने वाली है। करोड़ों रुपए के गोलमाल का मामला है। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि आप भ्रष्टाचार दूर कर सकेंगे। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए आप को सख्त कदम उठाना पड़ेगा। बैठे हुए जो शासन करते चले आ रहे हैं जेहाद चलाना पड़ेगा। एक शेर कह कर खत्म करता हूं—

ऐ तायरे लाहूती उस रिज्क से मौत अच्छी,
जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

1978–79 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 24–639 सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 29–कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 35–आवास भवन, अनुदान संख्या 64–संचार साधन, अनुदान संख्या 65–कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 66–सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 72–कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 74–आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 87–संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष––

सरकारी पक्ष के कितने ही लोग बोल चुके हैं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री उपाध्यक्ष––

लेकिन आप अपना भाषण 3 मिनट में ही समाप्त कीजिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

तीन मिनट का समय तो बहुत कम है। कम से कम 5 मिनट तो अवश्य दीजिए इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग पर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह पी0 डब्लू0 डी0 विभाग जो है वह चर्चा का विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन मैं जहां तक समझ पाया हूं, उसके अनुसार यह कहना उचित होगा कि पी0डब्लू0डी0 का अर्थ है प्लेण्डर विदआउट डैन्जर। बिना खतरे के लूट पाट। इसी प्रकार के इस पी0डब्लू0डी0 डिपार्टमेंट को पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट कहा जाय तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। हम सड़कों पर जाते हैं तो देखते हैं कि लाल रंग से तख्ती पर लिखा जाता है डेड-स्लो-वर्क-इन-प्रोग्रेस, लेकिन अगर इसको डेड स्लो वर्क, इन प्रोग्रेस कहा जाय तो अनुचित न होगा। आपने मीलों लम्बे कब्रगाह खोद रक्खे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जितना काम आप कम्पलीट कर सकें उतना ही शुरू करें, उतनी ही खुदाई करें जितनी आप पूरी कर सकें। जब एक काम पूरा हो जावे तो दूसरा काम हाथ में लिया जाना चाहिए। इस विभाग के मिस्मैनेजमेंट के कारण ही ब्रिज कारपोरेशन का निर्माण हुआ था और उसे जितनी बड़ी उपलब्धि मिली है वह प्रशंसा के योग्य है। हमारे यहां के ब्रिज कारपोरेशन को दूसरे प्रदेश से भी ठेके मिलने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि ब्रिज कोरपोरेशन की भांति ही सड़क कारपोरेशन भी बना दिया जाय। आप उसका नाम जो भी चाहे रख दें। लेकिन आप उसकी घोषणा कर दें।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आपका समय समाप्त हो गया है। अपना भाषण समाप्त करिए।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट––

अभी तो तीन मिनट भी नहीं हुए। बाराबंकी में एक पुलिया का निर्माण होना था, उसके निर्माण के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 4 साल बनाया लेकिन वही पुलिया जब सिंचाई विभाग ने बनाया तो 8 महीने में कम्पलीट हो गयी। ऐसी स्थिति में यह विभाग काम को लटकाए रहता है और हजारों-हजारों रुपए का गोल माल करता है। इंजी-

[श्री गौरी शंकर एडवोकेट]

निगर्स के अपने परसेंटेज बंधे हैं और सभी लोग करप्शन में डूबे पड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर कड़ी नजर रखें और इस विभाग पर अंकुश लगावें जिससे पब्लिक मनी वेस्ट न हो। आपने घोषणा की है कि गांव की ओर चलो। अगर रुपया खर्च करते हैं तो उसको सही ढंग से खर्च कीजिए। और आपको यह भी देखना चाहिए कि काम ठीक हुआ है या नहीं। अगर काम ठीक नहीं होता है तो दूसरी व्यवस्था कीजिए। इस विभाग में इतना गोलमाल और घपला है उसकी ओर ध्यान देना चाहिए।

मैं एक बात अपने क्षेत्र की सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं कि बाबरपुर सिकरोडी मार्ग, अटसू अछल्दा मार्ग, अटसू—नेवादी कला मार्ग, भीखेपुर जुहीखा मार्ग और भीखेपुर जुआ मार्ग को बनाने पर विचार करें और इन पर रुपया खर्च करें तभी आपका गांव की ओर चलने का नारा सफल होगा। आप इनको प्राथमिकता दें।

मैं तो समझता हूं कि यदि इस वायदे को पूरा नहीं करेंगे तो ठीक न होगा। आपने वायदा किया था कि 1500, 1 हजार और 500 की आबादी वाले गांवों को क्रमशः मैदानी पहाड़ी और बुन्देलखण्ड इलाकों में आपने बड़ी-बड़ी सड़कों से मिलाने का वायदा किया है। यदि आप पूरा करेंगे तो ठीक और नहीं तो जन असन्तोष बढ़ेगा और जनता सरकार को खतरा पैदा करेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी घोषणाओं के हिसाब से चलें और उन्हीं के अनुरूप काम करें। यदि आप ऐसा न कर सके तो फिर—

लग रहा है फिर कोई कहर आने को है,
इस शहर के बाद भी कोई शहर आने को है।
रक्त खोरों पढ़ सको तो पढ़ लो अपना मर्सिया,
फिर नये विद्रोह की कोई खबर आने को है।

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे सार्वजनिक निर्माण विभाग की मदों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और विरोध पक्ष से आए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र शिकोहाबाद की सड़कों और पुलों की समस्या की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जो कि शिकोहाबाद के नाम से प्रसिद्ध है यह इलाका रेवीन्स से घिरा हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि इस क्षेत्र की इन समस्याओं की ओर ध्यान दें जिससे इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर हो सके। मान्यवर, इस इलाके में 8 किलोमीटर सड़क मन्जूर हो गयी है। तीस साल से इस सड़क के निर्माण के लिए प्रयास किया जा रहा था लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ था। इस बार इसका निर्माण कर माननीय मन्त्री जी ने वहां की जनता को लाभान्वित किया है। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो रजवाहे पर 5 मील से उबटी शिकोहाबाद से आरम्भ होती है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बटेश्वर मार्ग तक जाती है। यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि रजबाहे के दायें किनारे पर इसके द्वारा हजारों आदमी आते जाते हैं। माननीय जमुना प्रसाद बोस जी जब अपने दौरे के समय वहां पर गए थे तो वे यह देखकर चकित रह गए थे कि इस सड़क को तो अवश्य पक्का बन जाना चाहिए। इस सड़क के पक्के हो जाने पर कम से कम 2 या 2 1/2 लाख की जनता लाभान्वित होगी। इस सड़क के लिये वरीयता देकर बनवाने के लिए मैं 7-8 मास से प्रयास करता रहा हूं और मुझे आशा है कि यह सड़क शीघ्र ही पक्की हो जायगी। दूसरी एक सड़क आगरा जिले को मैनपुरी जिले से मिलाने वाली पक्की सड़क है लेकिन शिकोहाबाद से बाह तक जाने वाली सड़क जो बनी है वह बहुत पुरानी सड़क है। जब बरसात होती है तो शिकोहाबाद से बाह और बाह से शिकोहाबाद तक काला पानी हो जाता है। इसके बारे में बहुत पहले से लिखा-पढ़ी चल रही है। माननीय बोस जी जब इस इलाके के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि वहां पर पुल का निर्माण हो जाना चाहिए। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि जब वे इस इलाके में जायेंगे तो देखेंगे कि वहां पर पुल का बनना बहुत ही जरूरी है।

मान्यवर, इस इलाके में 8-10 सड़कों का बनना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि डाहिनी,अब्बासपुर, दरिहा मार्ग है,नसीरपुर, बन्छा मार्ग है। मक्खन-पुर, बसीपुर मार्ग है, मुहम्मपुर, दिनहुती मार्ग है। अराव-बझेरा, असराना मार्ग है और माधोगंज, इंडिया मई मार्ग है।

ये 8-10 मार्ग इतने आवश्यक हैं कि इनको अवश्य बनाया जाय, चाहे दो साल में बने।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप स्थान ग्रहण करें। माननीय भगवती प्रसाद सिंह, 3 मिनट में आप अपना भाषण दें, समय नहीं है। साढ़े तीन बजे तक का इस पर समय है।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, इस सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट पर जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत है उसके समर्थन में. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय भगवती प्रसाद सिंह को बोलने दें।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मुझे दुःख है कि इस भ्रष्ट विभाग को एक सीधे-साधे मन्त्री के हाथ में सौंप दिया गया है। दूसरी बात, मान्यवर, मैं चैलेन्ज कर रहा हूं। जो उन्होंने रिटर्न दिया है मेरी दरख्वास्त पर उसको फाड़ कर फेंकना चाहिए था। मेरे क्षेत्र के बगल में मुख्य मन्त्री का क्षेत्र पड़ता है। मगर सारे वजीफे, सारी सड़कों का निर्माण उन्हीं के क्षेत्र को दे रहे हैं। मेरे क्षेत्र में एक बाकिश्त सड़क नहीं बनी है, कंकर की जगह मिट्टी दे रहे हैं। मैं दावत दे रहा हूं आपको। भाई आप लोग चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। इस भ्रष्ट विभाग के बारे में मैं दावत दे रहा हूं। चाहे मन्त्री की हैसियत से, चाहे निजी तौर से मेरे क्षेत्र में घूम जायं उससे आपके पूरे प्रदेश को इस भ्रष्ट विभाग की जानकारी हो जायगी। आपको बताना पड़ेगा कि किस दिन मेरे क्षेत्र में चलेंगे, केवल गाड़ी से निकल जायेंगे। मैं मार्क्सवादी हूं। पहली सरकार ने हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं किया और अब मुख्य मन्त्री को जिताने के लिए हालांकि वह जीतेंगे नहीं--सारी वहां की सड़कें उनके क्षेत्र की तारकोल की बनवा रहे हैं और आजमगढ़ से लखनऊ और आजमगढ़ से बनारस जाने वाली दोनों सड़कों को एक में मिलाने के लिए तैयार नहीं हैं।

अपनी बात खत्म कर रहा हूं मान्यवर। इस भ्रष्ट विभाग की सारी जानकारी करें और हमारे क्षेत्र में जितनी अनियमितता है, जिस तरह से लूट हो रही है उसके बारे में जांच कर ली जाय स्वयं।

और मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर नहीं करेंगे तो हम मन्त्री जी का घेराव करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समाप्त करें। श्री श्यामधर मिश्र।

(व्यवधान)

श्री अरुण कुमार--

दो मिनट, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--

अब समय नहीं है। श्री श्याम धर मिश्र.....आप उनको बोलने दें। अब आप बैठिए।

मेरा निवेदन है कि आप सब अपने सुझाव मन्त्री जी को लिखकर भेज दीजिए। इसका टाइम साढ़े तीन बजे तक का है।

श्री अरुण कुमार--

टाइम बढ़ा दिया जाय, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष--

कैसे बढ़ा दिया जाय? जितना है, उतना है। समय नहीं बढ़ पाएगा। यह सदन के निर्णय से हुआ है कि साढ़े तीन बजे का सार्वजनिक निर्माण का अनुदान हमको समाप्त करना है। इसमें अब सदन का दूसरा निर्णय नहीं हो सकता। 10 मिनट के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अन्दर आपको (श्री श्याम धर मिश्र को) और मन्त्री जी को, दोनों को समाप्त करना है अब आप लोग बैठ जाइए ।

श्री श्याम धर मिश्र—

आप देख रहे हैं कि कटौती का तो मैंने प्रस्ताव पेश किया है और इधर से कम कटौती की बात हुई, केवल लोग कटौती का समर्थन कर रहे हैं और उधर से जो भी कहा गया वह सब मेरे कटौती के प्रस्ताव के अनुमोदन में कहा गया। अगर भाषण देखा जाय तो सब कटौती का अनुमोदन है। अन्त में कह देते हैं कि "अनुदान का समर्थन करता हूं।" तो जितनी बात कही, चाहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में हो, चाहे सड़कों को लेने के सम्बन्ध में हो, विभाग के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में हो या किसी भी सम्बन्ध में हो, माननीय सदस्यों ने इस विभाग के सम्बन्ध में आलोचना ही की है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

एक व्यवस्था का सवाल है। हर अनुदान पर प्रगतिशील विधायक दल में से एक विधायक को बोलने का मौका मिलना चाहिए था आज तक एक और कभी-कभी दो सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता भी रहा। आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे दल के किसी भी सदस्य को बोलने का मौका नहीं मिला। ऐसी कौन सी नई बात हो गयी जिसके कारण हमारे दल के एक भी आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

फिर बोल लीजिएगा।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, सुन्दर लाल दीक्षित को बोलने का मौका दे दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

अब समय नहीं है, फिर बोल लीजिएगा।

श्री श्याम धर मिश्र—

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो नेशनल हाई वेज हैं, यह 2400 किलोमीटर हैं, हर साल नई हाई-वेज की संख्या बढ़ती है, यह क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है ? मेरी तो मांग यह होगी कि नेशनल हाई-वेज कम से कम 1000 किलोमीटर कह कर बढ़ाई जाय, क्योंकि इतना बड़ा प्रान्त है, इतनी बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके अलावा एक बात और कह कर समाप्त करूंगा क्योंकि दिक्कत समय की है। मैं देखता हूं कि जैसी कि चर्चा अभी हुई कि टैक्स ज्यादा है, टोल टैक्स लग रहा है पुल पर। यह दो तरह के पुल प्रदेश बना रहा है, एक तो पुल बनाता है, जैसे इलाहाबाद में बन गया, उस पर जाय तो कोई टैक्स नहीं, मिर्जापुर में पुल बन गया, तो उस पर जाय तो टैक्स लगेगा, टोल टैक्स पड़ेगा। मैं कहता हूं।

[श्री श्यामधर मिश्र]

इसको बन्द करना चाहिए या हर जगह लेना चाहिए, क्योंकि यह साधारण जनता नहीं समझती कि रुपया कर्ज लेकर आप पुल बनवा रहे हैं। श्रीमन्, जो केन्द्र द्वारा रुपया मिलता है, वह अनुदान के रूप में या कर्ज के रूप में मिलता है। इसलिए जो टोल टैक्स लग रहा है और जगह भी लग रहा है, उसको आपको माफ करना चाहिए। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। माननीय सदस्यों ने जो भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बातें कहीं हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। एक जगह सड़की से बहादराबाद की सड़क ठीक की जानी थी। गत वर्ष इसी के बारे में सदन में आश्वासन दिया गया था कि ठीक करा दिया जायगा, लेकिन साल भर बीत गया, इनको 9 महीने हो गया कोई नतीजा नहीं निकला, ऐसे मन्त्री हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय मिश्रा जी का सहयोग मिले, तब तो 9 महीने में नतीजा निकले।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मैं तमाम माननीय सदस्यों का आभारी हूं, चाहे इस पक्ष के हों, चाहे उस पक्ष के हों। उन्होंने जो मुफीद मशविरा दिया, उस मशविरे को सामने रखते हुए जो भी मुमकिन हो सकेगा, काम किया जायगा। लेकिन श्याम धर मिश्र जी से मुझे शिकायत है, वाकई उन्होंने हमारा समर्थन किया और अगर समर्थन नहीं किया है, तो यह कहूंगा कि माननीय मिश्रा जी ने जितनी मांग रखी है, उसके बाद कटौती रखना नान-प्रैक्टिकल है।

श्री श्यामधर मिश्र—

श्रीमन्, यह तो नियम है वरना मैं कहता कि मन्त्री जी को 20 करोड़ रुपया और दे दिया जाय उनकी योग्यता को देखते हुए। नियम में है कि एक रुपया कर दिया जाय। कमी करने का उद्देश्य तो विभागीय नीति की समालोचना करना होता है।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मिश्रा जी ने यह कहा कि नई योजना की घोषणा किया था, क्या हुई? तो मैंने शुरू में बताया, आंकड़े दिए गए हैं अगर कोई चैलेन्ज करता है तो कागजात हैं। इसी वास्ते 15 जून से चेकिंग भी होगी। इसके अलावा लिंक रोड्स हैं, फूड-फार-वर्क का काम है, यह काम शुरू हुए हैं। नैशनल हाइवे के बारे में मिश्रा जी ने कहा तो इस सिलसिले में हमारा प्रयास चल रहा है। खतो-किताबत चल रही है। खुद कई मर्तबा मिलने गए हैं और मिल कर इस सिलसिले में बात की है। उम्मीद है कि इसमें कुछ हम को सेन्ट्रल गवर्नमेंट से जरूर मिल सकेगा। करप्शन के बारे में बहराइच के माननीय विधायक ने बड़े जोरदार तरीके से कहा। इसमें कोई शुबहा नहीं है, मैं यह नहीं कहता हूं कि इन 10 महीनों में मैंने खत्म कर दिया है। लेकिन 30 साल से मिश्रा जी ने बड़े लाड-प्यार से इस करप्शन को पाला है। अब वह जवान और देव की शक्ल में है। तो कैसे मैं यह कह सकता हूं कि मैंने इसको इन 10 महीनों में खत्म कर दिया है। लेकिन यह जरूर कहता हूं कि खत्म करने के लिए कदम उठाए हैं। मैंने आंकड़े दिए हैं आप देखेंगे कि लोगों के खिलाफ ज्यादा कार्यवाही पिछले जमाने में हुई है या अब हुई है। इसी वास्ते 15 जून से चेकिंग भी होगी और जो दोषी पाया जायगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

24–सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 29–कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 35 आवास भवन, अनुदान संख्या 64–संचार साधन, अनुदान संख्या 65–कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 66–सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 71–सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 72–कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 74–आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 87–संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री अरुण कुमार––

मान्यवर, जनवरी के महीने में 3 सुपरिंटेंडिंग इन्जीनियर्स को पदोन्नति दी गयी है जिन के खिलाफ विजीलेन्स में मामला है। मेरी निश्चित जानकारी है कि इसमें साफ-साफ पैसा का गोलमाल किया गया है। आप समाप्त करने की बात करते हैं या बढ़ाते हैं।

श्री मोहम्मद मसूद खां––

आप असेम्बली में नहीं थे इसका मैंने जवाब दिया है। आपके जमाने में करप्शन का एक तरीका यह भी था कि किसी का प्रमोशन ड्यू है तो दरख्वास्त देकर किसी न किसी तरीके से प्रमोशन में बाधा डाली जाती थी। जरूर हम करप्ट अफसरों को नहीं रखेंगे लेकिन प्रमोशन में 30 सालों से इस तरह का अन्याय होता था उसको भी खत्म करना है।

(मेजों की थपथपाहट।)

मेरे गुलाब सेहरा साहब ने मान्यवर, कल्चरल एफेयर्स, सांस्कृतिक कार्यकलापों के बारे में कहा। मैं बहुत गौर से सुन रहा था उसकी तकरीर में भी मुझको कुछ कला नजर आ रही थी।

(हंसी)

उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में सब केन्द्र लखनऊ में क्यों हैं। अगर मैं खत्म करूं तो अगले साल कहेंगे कि क्यों खत्म कर दिया। मेरा ख्याल है कि गुलाब सेहरा साहब लखनऊ में रहें तो लुत्फ-अन्दाजी हो। केन्द्र पहले से ही कम हैं। तो मान्यवर, मैं मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वाकया यह है कि जो उन्होंने अपनी तकरीर की है उसमें मैंने ज्यादा ध्यान दिया है और ज्यादा काम किए जा रहे हैं तो वह कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें जिससे इन कामों को आगे बढ़ाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष––

मिश्रा जी, आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री गुलाब सेहरा––

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कहने का आशय था कि उन विभागों को समाप्त न किया जाय बल्कि प्रदेश के जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उनको वहां शिफ्ट किया जाय।

श्री मोहम्मद मसूद खां ––

आपके आगरा और मथुरा में हैं।

श्री देव बहादुर सिंह––

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि साढ़े तीन बजे तक समय निर्धारित किया था तो साढ़े तीन बजे तक यह अनुदान पास नहीं हुआ। इसलिए अब वोटिंग नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें। कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री श्याम धर मिश्र जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, वापस लेने का सवाल ही नहीं है क्योंकि मन्त्री जी ने उत्तर ठीक से नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 24—सार्वजनिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 95,00,800 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29—कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 64,22,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35—आवास भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 88,63,300 रुपए से अनधिक धन-राशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

24-सार्वजनिक निर्माण कार्य, अनुदान संख्या 29-कला एवं संस्कृति, अनुदान संख्या 35-आवास भवन, अनुदान संख्या 64-संचार साधन, अनुदान संख्या 65-कार्यात्मक भवन, अनुदान संख्या 66-सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान, अनुदान संख्या 71-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 72-कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय, अनुदान संख्या 74-आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय तथा अनुदान संख्या 87-संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 64 में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 64-संचार साधन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,31,45,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 65-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 65-कार्यात्मक भवन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,13,95,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जी उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 66-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 66-सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,46,98,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 71—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 71—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्यय को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9,65,82,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 72—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 72—कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,3464,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 74—आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,18,99,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 87—संचार साधन के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 87—संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 45,40,06,700 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1978-79 के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 49—सामुदायिक विकास तथा अनुदान संख्या 81—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,14,33,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,69,04,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, ग्राम्य विकास आज विशेष महत्व रखता है। देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में बसती है और इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए इस शासन ने सारी योजनाओं को गाँवों की ओर ले जाने की दिशा में निर्णय लिया है। गाँवों के विकास के लिए दो चीजे आवश्यक हैं। खेतों को पानी और सड़कों का निर्माण। उस दिशा में शासन ने 130 करोड़ रुपए लघु सिंचाई हेतु प्राविधान किया है जिससे गाँवों में पम्पिंग सेट्स, प्राइवेट ट्यूबवेल्स तथा बन्धे की व्यवस्था हो सकेगी और किसान को स्वयं ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सकेंगे जिससे वह स्वावलम्बी बन सकेगा।

लघु सिंचाई के अन्तर्गत दो कार्य हैं। किस जगह धरती मे कितना पानी है और वह किसान को कैसे उपलब्ध कराया जाय? शासन का यह उद्देश्य है कि किसानों को लघु सिंचाई के जरिए उसके खेतों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाय। पिछले शासन ने केवल 25 जिलों में छोटे किसानों को छूट दे रखी थी एक चौथाई और एक तिहाई लेकिन इस सरकार ने प्रदेश के सारे किसानों को एक चौथाई तथा एक तिहाई की छूट दे दी है। इसके अलावा जो जन जातियाँ और अनुसूचित जातियाँ हैं उनके लिए लघु सिंचाई हेतु 36 लाख 63 हजार की योजना रखी है। जो सबसे बड़ी चीज है। हम इस दिशा में कितनी प्रगति किए है, कितने आगे बढ़े हैं उनके सम्बन्ध में आँकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 1978 में हमारी 90 हजार की योजना थी और अब वह 94 हजार की हो गई है। हमने 104.5 प्रतिशत प्रगति की है। जो लक्ष्य था उससे हम आगे बढ़े हैं। पम्पिंग सेटों के बारे में बताना चाहता हूं कि जहाँ पहले यह 29 हजार की योजना थी उसे हमने 33 हजार कर दिया है और ट्यूबवेल में जहाँ 63 हजार थे वे अब 68 हजार हो गए हैं। यह हमारी प्रगति है। आज तक की कोई भी सरकार इतना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई थी जिसे हमने पूरा कर लिया है और इस मामले में हम गाँवों की ओर बढ़े हैं। ये आँकड़े हमारी उपलब्धियाँ बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो छूट दी है वह उन किसानों को दी है जो छोटे किसान जोकि इससे राहत महसूस करता है। साथ ही हमने गाँवों के दलित, कमजोर और छोटे वर्ग के लोगों के लिए पेयजल योजनाएं बनाई हैं। इसके लिए 1977-78 में

[श्री जमुना प्रसाद—]

1,96,000 रुपए का प्राविधान था और 4,399 गाँवों में इस योजना को चलाना था उसे बढ़ाकर अब यह कर दिया गया हैं कि 6 करोड़ 80 लाख रुपए का प्राविधान पेयजल योजनाओं के लिए गाँवों के लिये किया जायगा जोकि 15,276 गाँवों को कवर करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से हम इस प्रदेश के गाँवों में सताए हुए लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए इस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

एक सबसे बड़ी चीज अब यह की गयी हैं जो कि आज तक 30 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं की है और वह यह है कि लोकल पानी की व्यवस्था। आज गाँवों के लोग क्या सोचते हैं कि उनका कैसे विकास हो सकता है, उनको क्या करना है। यह गाँवों के लोगों को स्वयं निर्णय करना है। इसके लिए 15 करोड़ रुपया तो मार्च तक दे दिया है और 25 करोड़ रुपए का प्राविधान बजट में किया है। इस प्रकार 40 करोड़ रुपए की यह लोकल योजना के लिए है। इसमें गाँवों के लोगों को स्वयं सोचना है कि हमें दूध की डेरी खोलनी है या सिंचाई की व्यवस्था करनी है। यह योजना उन्हीं के विकास के लिए तैयार की गयी है। जैसा वह ठीक समझेंगे वैसा करेंगे। ऐसा पहली बार हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जल्दी-जल्दी समाप्त करें क्योंकि इसका साढ़े चार बजे तक का समय है।

श्री जमुना प्रसाद—

मैं कोशिश कर रहा हूं। इसके अलावा इस शासन ने खाद्यान्न के द्वारा गांव के लोगों को रोजगार देने की कोशिश की है और लाखों आदमियों को काम से लगाया है। कहीं नहरें बन रही हैं, कहीं तालाब बन रहे हैं, कहीं सड़कों का निर्माण हो रहा है। शासन ने काफी धन इसके लिए दिया है। 1977-78 में खाद्यान्न योजना में मजदूरी देने के लिए 32,684 टन खाद्यान्न दिया है और 2,440 किलोमीटर मार्ग पर मिट्टी और 53 किलोमीटर मार्ग पर ईंट बिछा दी गयी है और 1479 किलोमीटर मार्ग पर कार्य प्रगति पर है। इन सड़कों पर पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। 1375 हेक्टेयर क्षेत्र वनीकरण करने में 58.19 लाख मानव दिवस कार्य कर सम्पन्न किया गया।

भारत सरकार से 1978-79 के लिए 1.11 लाख टन खाद्यान्न की मांग की है उस में से 25,000 टन खाद्यान्न मिल चुका है।

गांवों में जो पंचायतें हैं उनके द्वारा 10 हजार टन से कार्य शुरू हुआ और यह पहली सरकार हैं जोकि हर ब्लाक में 5 सम्पर्क मार्ग बनाने जा रही है। कुल 876 ब्लाक हैं और हर ब्लाक में 5-5 सम्पर्क मार्ग बनने जा रहे हैं केवल कच्चे मार्ग यह नहीं होंगे बल्कि पक्के भी होंगे। आज सारी पंचायतें सम्पर्क मार्ग बनाने में लगी हुई हैं। इन सम्पर्क मार्गों के बनने के साथ हमारे प्रान्त का विकास जुड़ा हुआ है। हमारी जो शक्ति है, जो हमारे ब्लाक आफिसर हैं वह इसमें लगे हुए हैं। गांव में जो युवक मंगल दल हैं वह भी इसमें लगा हुआ है। युवकों की जो शक्ति है वह इसमें लगी हुई है और यह शक्ति उत्तर प्रदेश को आगे ले जायगी।

इसके अलावा हमारे यहां ग्राम्य विकास की तरफ से पौष्टिक आहार योजना चलती है। वह उन वर्गों के लिए है जो आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं और कमजोर

हैं। जिनके पास आर्थिक साधन नहीं हैं उनके बच्चों को पौष्टिक आहार देने की योजना है। इसमें वह माताएं भी हैं जो गरीब हैं और गर्भवती हैं जिनको बच्चे पैदा करने के बाद पौष्टिक आहार की आवश्यकता है उनको तीन साल तक सहायता दी जायगी। इस तरीके से समाज के उन सभी वर्गों को जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं सहायता देने की योजना है।

एक जो सबसे बड़ी चीज है जिसकी देश के अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी सराहना की है वह है पंचायती राज विभाग द्वारा चलाए जा रहे उद्योग। 876 ब्लाकों में से 874 ब्लाकों में पंचायत उद्योग की सुविधा है। कांग्रेस पार्टी के 16 साल में पंचायत उद्योगों में केवल 6 करोड़ रुपया का काम किया है और हमारी सरकार ने एक साल में दो करोड़ का काम किया है। तो 6 करोड़ 16 साल में और दो करोड़ एक साल में कांग्रेस और जनता सरकार ने खर्च किए हैं। यह है जनता सरकार की उपलब्धि।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि आज के शासन में गांवों में किस तरह से तमाम कार्य चल रहे हैं। गांवों में पानी के लिए पैसा दिया गया है। हमने जो पैसा सहायता कार्यों के लिए दिया है उससे उत्पादन भी बढ़ा है। अगर उत्पादन बढ़ता है तो किसानों के पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तो गरीबी हटेगी और आर्थिक सामन्जस्य होगा और दबे हुए लोग ऊंचे उठेंगे। तो मेरा निवेदन है कि यह जो हमारे ग्राम्य विकास की योजना के सम्बन्ध में अनुदान है इनको सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रामकृष्ण, आप कितना समय लेंगे ?

*श्री रामकृष्ण (जिला जौनपुर)—

25 मिनट।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि 35 मिनट केवल है। उसमें आप और मन्त्री जी और दो-चार माननीय सदस्यों को बोलना है। निवेदन है कि दस मिनट के अन्दर समाप्त कर दें तो बड़ा अच्छा हो।

श्री रामकृष्ण—

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस ग्राम एवं सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव रखने और सुझाव देने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले कटौती का प्रस्ताव तो प्रस्तुत करें।

श्री रामकृष्ण—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 81—सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कामी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की समालोचना करना तथा सुझाव देना है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम कृष्ण]

अभी मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है मैंने दो चार शब्द इसके लिए देख रखे हैं। उन्होंने एक पुस्तक छपाई है उसमें कई ऐसे शब्द भी छापे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जैसे हमारी सरकार ने 30 साल के अन्दर जो कदम उठाए थे, एक दूसरी सरकार बनी इस सरकार ने जनप्रियता को हासिल करने के लिए पुरानी पंचवर्षीय योजना के कामों पर कई जगह कुठाराघात किया है। ग्राम्य विकास स्तर पर जो विकास कर लगाया गया था, कर शब्द से जनता में नफरत पैदा करके जो सवा आठ करोड़ रुपया ग्राम्य समाज के विकास पर जाता था उसको समाप्त कर दिया। कोई दूसरी योजना नहीं दिखाई देती हैं जिससे 8–10 करोड़ रुपया आकर गांव स्तर पर लगे। ऐसी योजनाओं को ठप किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि एक साल पहले 50 लाख रुपया जो गरीब ग्रामीणों को बिजली देने में खर्च करते थे, हरिजनों की झोपड़ियों में बिजली देने के लिए जो सरकार पेमेन्ट करती थी वह बन्द कर दिया गया है। जहां-जहां छोटे-छोटे कारखाने गांवों में चल रहे थे वे ठप पड़े हैं। हमने गांवों में देखा है। मड़ियाहूं तहसील में होजरी वर्क चल रहा था। पहले सरकार बिजली का पेमेंट करती थी और कारखाने चला कर वे अपना जीविकोपार्जन करते थे। वे बन्द पड़े हैं। कोई ऐसी बात नहीं मिल रही है कि बिजली चलाने में सरकार असमर्थ है। गरीबों का इससे क्या लाभ हुआ? मन्त्री जी और सरकार को, जिन्होंने हरिजनों की बिजली ठप कर दी है, इससे क्या लाभ हुआ है। बड़ा ढोल पीटा जा रहा है ग्राम्य विकास का लेकिन सारी योजनाएं कागज पर हैं, कार्यान्वित रूप में प्रदेश के स्तर पर कहीं नहीं देखा है। क्षेत्र समितियों को तोड़ दिया। जनता ने आपको अधिकार दिया है। इनको तोड़ कर आप प्रदेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप उनका चुनाव करवाइए। आप उनके चुनाव की किसी तारीख को निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ब्लाक प्रमुख जो कार्य कर रहे हैं उनको कार्य करने दीजिए, उनको मौका दीजिए। मेरा सुझाव है कि ब्लाक प्रमुखों को हटाया न जाय।

मान्यवर, 25 करोड़ रुपए की चर्चा की गयी। मैं देख रहा हूं सिंचाई मन्त्री ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था, लेकिन कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। भूमि-संरक्षण पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। तमाम भूमि जो नदियों और बड़े-बड़े नालों के किनारे है वह बह गयी है और जिससे वह खेती के लायक नहीं रह गई है। इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। हमने देखा है 1977 में कुछ काम हुआ है लेकिन इधर कोई प्रगति नहीं हो रही है। केन्द्रीय सरकार इस योजना पर 50 प्रतिशत रुपया खर्च करती है फिर भी हमारी सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है। इसलिए भूमि का कटाव तेजी से हो रहा है। मेरा सुझाव है कि इसको रोकने के लिए कदम उठाएं। कई माननीय सदस्यों ने भाषण दिए कि जगह-जगह पर कटाव हो रहा है। भूमि के कटाव को रोकने की क्या प्रक्रिया आपने बनाई है। बाढ़ नियन्त्रण पर विचार हुआ है। अनुसन्धान शालाएं हैं, उनमें आपने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। किसान संगठन और किसान समितियों को कोई सुविधा नहीं दी गयी है। भंडारण की [illegible] ठीक नहीं है। आलू रखने के लिए लोग इलाहाबाद से जौनपुर लाए और कई जगह ले गए लेकिन जब उनको स्थान नहीं मिला तो

वह देहात में ले जाकर पटक दिया। इस प्रकार की भंडारण की आपकी व्यवस्था है। देहात में पम्पिंग सेट बेकार हो जाते हैं उनकी मरम्मत के लिए कोई साधन नहीं होते हैं। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर कोई मैकेनिक का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। जिससे जो पम्पिंग सेट खराब हों उनको वह ठीक कर सकें। ऋण देने की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है।

सरकार ने वादा किया था कि हम अधिक से अधिक रुपया किसानों पर और गरीब लोगों पर खर्च करेंगे, लेकिन आपकी ओर से कोई योजना नहीं बनाई गई है। आपने कहा कि 15 साल में सब जगह सिंचाई की सुविधा प्रदान कर दी जायगी। लेकिन जिस गति से आप चल रहे हैं और यही प्रगति रही तो आप कुछ नहीं कर पायेंगे। आपकी योजना सफल होने वाली नहीं है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं पूर्वी प्रदेशों में नलकूप खोदने के लिए रिग मशीन की बड़ी जरूरत पड़ती है। यहां पर हो क्या रहा है? मान्यवर, हो यह रहा है कि बिना रिग मशीन के नलकूप खोदे जा रहे हैं जिसके कारण वह उचित गहराई तक नहीं खोदे जाते हैं और उसका परिणाम यह होगा कि वह जल्दी ही सूख जायेंगे। आपने अपने मैनिफेस्टो में जिसके बारे में 11 दिसम्बर, 1977 को मीटिंग हुई थी, उसमें वायदा किया था कि सार्वजनिक निर्माण बजट में जो आप खर्चा करेंगे उसमें गांव स्तर पर 40 प्रतिशत खर्च करेंगे। उसमें सड़कें नहीं, विकास नहीं लेकिन आप कृषि पर 40 प्रतिशत जो आप खर्च कर रहे हैं, वह प्रैक्टिकल फील्ड में कहीं दिखाई नहीं देता है।

आपने कहा है आप 16 लाख रुपए की जमीन खरीद कर गरीबों में निरीह किसानों में बांटेंगे। आज का किसान जगा हुआ है, आप उसके सामने कुत्ते की तरह से रोटी का टुकड़ा फेंकना चाहते हैं। खेती के लिए आपकी क्या-क्या योजनाएं हैं। आप 10 करोड़ आदमियों में 16 लाख रुपए की जमीन को किस प्रकार से बांट सकेंगे। यह बिल्कुल गलत धारणा है। पैसे का दुरुपयोग होने जा रहा है। जहां तक आर्थिक नीति का सम्बन्ध है आपने स्वीकार किया है कि आप ग्रामों के विकास पर खर्च करेंगे। यानी 40 प्रतिशत रुपया आप किसानों पर खर्च करेंगे लेकिन कहीं पर खर्च नहीं हो रहा है। हमारे जनपद जौनपुर और मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में लोग कीचड़ पी रहे हैं। करीमुद्दीनपुर, रामपुर ब्लाक में एक गांव है जहां पर पानी के लिए घंटी बजायी जाती है। आज इन ग्रामों में पेय जल की बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमारी सरकार को शीघ्रता से हल करना चाहिए।

मेरा माननीय मन्त्री जी से यह भी निवेदन है कि जहां पर सनई, फल और फूलों की खेती होती है वहां पर छोटे-छोटे गृह-उद्योग खोले जायं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के माननीय मन्त्री जी ने यह भी कहा था कि लिंक रोड्स बनाई जायेंगी। हमारे जिले में एक किलोमीटर सड़क है। पता नहीं चल रहा है कि कहां से ये लिंक रोड्स हैं कौन से विभाग द्वारा लिंक रोड्स का काम चल रहा है।

एक बात इस किताब में छपी है कि प्रशिक्षण दिया जायगा। मेरा एक सुझाव है कि ग्राम सेवकों व पंचायत सेक्रेटरियों का तो प्रशिक्षण होता रहता है वे प्रशिक्षित भी हैं। हमारे कृषक भाई भी गत 30 वर्षों में प्रशिक्षित हो चुके हैं कि किस प्रकार खेती होती है

[श्री राम कृष्ण]

खाद दिया जाता है और कब और कैसे सिंचाई होती है नए-नए ढंग से हर गांव में छोटे-छोटे किसान हैं उनको आप प्रशिक्षित कीजिए ताकि खेती में उन्नति हो सके।

इस पुस्तक में माननीय मन्त्री जी ने लिखा है कि वर्ष 1977-78 में सभी कार्यक्रम प्रोग्राम के अनुसार चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अनुसार अवश्य चलाए जा रहे हैं लेकिन प्रोग्राम के अनुसार नहीं चलाए जा रहे हैं। पता नहीं यह कैसे उन्होंने लिखा है। इसमें यह भी लिखा है कि वर्ष 1978-79 में 21 विकास खण्ड उक्त योजना में चले जायेंगे जिसमें से 4 विकास खण्ड पहाड़ी इलाके में तथा 17 विकास खण्ड मैदानी इलाकों के होंगे। उनमें क्या होगा ?

दो योजनाएं ऐसी हैं जिन पर पैसे का दुरुपयोग है। एक तो आहार की है। ईमानदारी से कह रहा हूं कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। गर्भवती स्त्रियों के लिए कन्याओं के लिए यह जो कुछ रखा गया है उसको कैंसिल करके उसको किसी ठोस कार्यक्रम में लगायें और बहुत से विभाग न पढ़ाए जायं जो पहली सरकार ने नहीं रखे हैं। केवल वाह-वाही लूटने के लिए रख दिये गए हैं जिनमें पैसे का सरासर दुरुपयोग हो रहा है। पुनर्विचार करें और जो प्रस्ताव रखा गया है, इतनी बड़ी धनराशि के सम्बन्ध में उसका कोई उपयोग करने के लिए कोई जिक्र नहीं किया है। मैं इसका विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

3-4 सदस्य 3-3 मिनट बोल सकते हैं।

श्री अर्जुन लाल गौतम (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं जो यह ग्राम विकास से सम्बन्धित अनुदान पेश हुआ है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

मान्यवर, इस विभाग का एक भाग पंचायती राज है। मैं शासन और मन्त्री जी का ध्यान पंचायती राज विभाग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अपने प्रदेश और देश में पंचायतों की हालत बड़ी खराब है। कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जो ठीक ढंग से काम कर रही हो। पूज्य बापू जी ने बड़े अरमान और विचार के साथ यह कल्पना की थी कि अपने देश में पंचायत राज्य की स्थापना होगी, उसके जरिए काम होगा। लेकिन जब से पंचायतें बनी हैं तभी से उनका काम सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। कारण यह है कि पंचायतों की स्थापना तो कर दी गयी। पंचायती राज तो कायम हो गया लेकिन उनकी पूरी उपेक्षा करती गयी। पूरी तरह से, न उनके पास कोई अधिकार है न उनकी आमदनी के कोई साधन हैं। नतीजा यह है कि ये बिल्कुल निरीह हालत में हैं। पंचायत को देखकर तरस आता है और मैं इन पंचायतों को ऐसा मानता हूं जैसे कोई किसान है और वह निरीह किसान है। वह गाय को पालता है पर न तो उसको चारा देता है न पानी और वह गाय सूखती जाती है। वह उसको अपने हाथ से मारता भी नहीं है। क्योंकि यदि मारे तो हत्या लगती है। तो मारेगा नहीं लेकिन ठीक समय से चारा भी न देगा और न पानी देगा। यही हालत है पंचायतों की। पिछली सरकार ने उन पंचायतों को समाप्त

भी नहीं किया, क्योंकि हत्या लग जाती, बापू जी की बात उनसे जुड़ी हुई थी, लेकिन उनको भूखा मार दिया कोई अधिकार नहीं दिए न आमदनी के जरिए कायम किए। अब अपनी जनता सरकार है और मन्त्री जी इत्तफाक से समाजवादी मन्त्री हैं। स्व० डा० राम मनोहर लोहिया का एक सपना था कि अपने देश में चौखम्भा राज की स्थापना की जाय। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने देश में चौखम्भा राज कायम करने का आप प्रयत्न करेंगे और निचली सीढ़ी से शुरू करेंगे। जो पंचायतें हैं निचली सीढ़ी उनको मजबूत बनावें उनको आमदनी के साधन दें और हो सके तो खजाने का एक हिस्सा जैसा कि डाक्टर साहब का कहना था पंचायतों को मिलना चाहिए।

मान्यवर, इसी से सम्बन्धित पंचायत सेवक होते हैं। इनकी भी हालत बड़ी खराब है। मान्यवर, बड़ी बेइन्साफी है। इसी विभाग के ग्राम सेवक हैं . . .

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं. . .श्री ओझा। आप बैठें।

श्री अशर्फी लाल यादव—

मेरी मांग है कि पंचायत सेवकों को ग्राम सेवकों का स्तर दिया जाय और जो सुविधाएं ग्राम सेवकों को हैं वही सुविधाएं पंचायत सेवकों को भी दी जायं। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मालूम यह हुआ है कि संसदीय कार्य मन्त्री जी सामने बैठे हुए हैं, बता दें कि परिषद् सात दिन तक के लिए स्थगित हो गयी है, जो समय रखा गया है विनियोग के लिए वह इसलिए रखा गया है कि यहां से पास होकर आज ही परिषद् जायगा और हमें मालूम हुआ है कि कोरम के अभाव में सात दिन के लिए विधान परिषद् स्थगित हो गयी है, तब इतनी दौड़-धूप क्यों हो, लोगों को बोलने दिया जाय। आध घंटे का समय बढ़ा कर बोलने दिया जाय। श्रीमन्, आप नहीं थे कार्य-मन्त्रणा समिति में जब साढ़े चार बजे की बात स्वीकार की गयी थी इसलिए कि 5 बजे यह विनियोग विधान परिषद् में भेज दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस का निर्णय हुआ था कि साढ़े 4 बजे तक यह बजट पास करना है अगर कोई प्रस्ताव उनको करना था तो कर दिये होते साढ़े 4 बजे तक इसको खत्म करना है।

श्री श्याम धर मिश्र—

श्रीमन्, आपके सामने कह रहा हूं बात सही है कि नहीं यह बात माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी बता दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मुझको अपने सदन की बात देखना है।

श्री श्याम धर मिश्र—

हमारी दिक्कत को दूर करने के लिए हमारे संसदीय कार्य मन्त्री जी बैठे हुए हैं क्योंकि दो-दो तीन-तीन मिनट में क्या बोलेंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, हमने निर्णय लिया था कि साढ़े 4 बजे विनियोग विधेयक ले लिया जायगा और 5 बजे के बाद उसको स्वीकार करके भेज दिया जायगा । वैसे वहां पर मनी बिल के सिलसिले में यह कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो अपने कार्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं । एक प्रश्न और है । कल परसों के लिए स्वीकार कर लिया है कि विधान सभा नहीं चलेगी तो बहुत से लोगों को जाना भी है नियम 51 और 52 में वक्तव्य भी आना है ।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माननीय ग्राम विकास मन्त्री जी ने जो बजट रखा है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उसके सामने चुनाव घोषणा-पत्र में एक निश्चित बात रही और वह यह बात रही कि लोक नायक जय प्रकाश नारायण जी की जो कल्पना थी कि विकेन्द्रीकरण हो, जनतन्त्र का डिसेंट्रलाइजेशन हो । डाक्टर लोहिया की जो चौखम्भा राज्य की कल्पना थी उसको अमली रूप देने के लिए यहां पर शासन में यह सरकार आई । जो माननीय मन्त्री जी ने बजट पेश किया है उससे यह संकेत मिल रहा है ।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर देश का विकास, प्रदेश का विकास करना है तो हमें ग्रामीण ग्रामों की ओर जाना है । जो सरकार तीस साल तक रही है उसने शहरों में, ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले लोगों की ओर देखा, लेकिन गांव और गांव की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की ओर नहीं देखा है । जहां पर लोग पोखरों का पानी पीते थे, आज हरिजन भी कुयें का पानी पी रहे हैं, उनको कुएं का पानी प्राप्त हो रहा है । सारी योजनाएं जो थीं बड़े और ऊंचे लोगों के लिए थीं, शहर के लोगों के लिए थीं । उसको हमने उल्टी दिशा देने के लिए कोशिश किया है । इसके लिए मैं अपने माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं ।

मान्यवर, कुछ बुनियादी सवालों की ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं । यह जो वोट देने की उम्र है इसको कुछ कम किया जाय । जो 18 साल के लोग हैं उनको वयस्क मताधिकार का अधिकार मिलना चाहिए । जैसा कि डाक्टर लोहिया का स्वप्न था कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए तो हमारे जो जिला परिषद् हैं उनको सक्षम होना चाहिए । पंचायतों को अधिकार देने चाहिए जिससे वह सक्षम हों । केवल सामाजिक अधिकार देने से काम नहीं चलेगा । जब तक पोलीटिकल पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, जब तक सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, जब तक प्रशासकीय सत्ता का डिसेन्ट्रालाइजेशन नहीं होगा जब तक डाक्टर लोहिया का सपना साकार नहीं होगा । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अगले हमारे ग्राम पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं, इस सम्बन्ध में हमारी दिशा बहुत साफ होनी चाहिए । अगर ग्राम पंचायतों को सक्षम नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बनाया गया, प्रशासकीय इकाइयों के रूप में मान्यता नहीं दी गयी तो महात्मा गाँधी की कल्पना के अनुसार नहीं होगा, इसलिये मैं चाहता हूं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते समय जो स्थिति हमारी विधान सभा की है उसी प्रकार से स्थिति हमारे जिला परिषदों की होनी चाहिए। जो नौकरशाही बैठी हुई है उनके अधिकारों को सीमित करने की बात करनी चाहिए, उनके अधिकारों को जनता के हवाले करने की बात करनी चाहिये तभी हमारी कल्पना पूरी होगी। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी मेरे सुझावों को इनकारपोरेट करेंगे। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बाँदा)—

मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि ग्राम विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन इसमें भी दो राय नहीं हैं कि इस महत्वपूर्ण विभाग के द्वारा जनता का सबसे अधिक शोषण किया जा रहा है। मान्यवर, पंपिग सेट्स खरीदने की बात है। बी0 डी0 ओ0 और ग्राम सेवक द्वारा पंपिग सेट खरीदने में ग्रामीणों से घूस में जितना पैसा लेते हैं उतना और विभागों में शोषण नहीं होता है। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि कृषि विभाग को विकास खंड स्तर से अलग कर दिया जाय। अगर कृषि विभाग इस विकास खंड स्तर से अलग हो जायगा तो वह अपनी स्वतन्त्र इकाई के रूप में कार्य करने के लिए स्वतन्त्र हो जायगा। इससे यह विभाग ज्यादा काम करेगा। मान्यवर, ब्लाकों में कर्मचारियों की भी संख्या ज्यादा है। लाखों रुपया वेतन में व्यय होता है और कार्य भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो छोटे कर्मचारी हैं, जैसे ग्राम सेवक, पंचायत सेवक इनकी शासन उपेक्षा कर रहा है, इन लोगों से ज्यादा कार्य लिया जाता है। इस सम्बन्ध में अभी पंचायत सेवकों का लखनऊ में एक आन्दोलन हुआ उसमें तमाम पंचायत सेवकों को गिरफ्तार किया गया। मुझको इस सम्बन्ध में कहना है कि जिस बर्बरता से उनके आन्दोलन को कुचला गया सरकार उसमें ध्यान दे और उनकी मांगों को अविलम्ब पूरा करे। मान्यवर, सड़कों, पुलियों के बारे में मुझे मन्त्री जी से यह कहना है कि वह सिर्फ कर्मचारियों के सहारे न रहें इनमें जन प्रतिनिधियों का सुझाव भी मांगना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र पाल —

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत कहना है कि इसमें इंजीनियर लाखों रुपयों का गोलमाल करते हैं। इस तरफ मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। मान्यवर, पी0 ए0 ए0 का जो पैसा है उसको अविलम्ब ग्राम पंचायतों को वापस किया जाय, जिससे वह विकास के काम कर सकें। धन्यवाद।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मेरी पार्टी से कोई नहीं बोला।

श्री उपाध्यक्ष—

आपकी पार्टी की तरफ से कटौती का प्रस्ताव मूव हुआ है।

श्री देव बहादुर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है। जब सरकार बनी हम सोच रहे थे कि वास्तव में यह अपने साथ कोई योजना लेकर आए हैं और जब सरकार बनी तो चौखम्भे की बात की जा रही थी लेकिन आज पंचखम्भे की बात कर रहे हैं। इन्होंने पहले परिषद् तोड़ा, फिर क्षेत्रीय समिति का कार्यकाल न बढ़ाकर उनको समाप्त किया और अब इनकी नजर गाँव सभाओं की ओर है। पता नहीं यह किस प्रकार विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। हमें तो लगता है कि यह नौकरशाही में फंस गये हैं और इनके पास न विवेक है और न बुद्धि है। हम उम्मीद करते थे कि यह क्षेत्र समितियों को, ग्राम सभाओं को मजबूत करेंगे लेकिन यह नहीं हो रहा है। ग्राम सभायें, प्रथम इकाई गाँवों की हैं इसलिए मन्त्री जी को चाहिए कि उनको वह साधन सम्पन्न बनावे। न्याय पंचायतों के बारे में इनकी कोई योजना नहीं है, इसलिए इनको भी मन्त्री जी सक्रिय करें। मान्यवर, 1961 में क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम लागू हुआ, लेकिन उसकी नियमावली आज तक नहीं बनी है। इसलिए जब तक नियमावली नहीं बनेगी-तब तक क्षेत्र समितियाँ सक्रिय रूप से कार्य नहीं कर सकेंगी। इसलिए इनको विकेन्द्रीकरण में कोई यकीन नहीं है।

मान्यवर, ग्रामीण अभियन्त्रण की बात किया है। इससे यदि आप कोई भवन या सड़क बनवायें तो 17 फीसदी वह अधिक ले लेते हैं इसलिए उनके भवन महंगे पड़ेंगे। पहाड़ों में एक लाख रुपया ब्लाकों में दिया है जिसमें चार मकान बनेंगे। यदि यह रुपया ग्राम सभाओं को दे दें तो इसमें 8 मकान बन सकते हैं।

मान्यवर, ग्राम सेवक और ए0 डी0 ओ0 अपने ही पोस्ट पर 17 साल से पड़े हैं उनका कोई प्रोमोशन नहीं होता है। बी0 डी0 ओ0 को अतिरिक्त मुख्य अधिकारी बनाने की बात थी तो इन्होंने इनकी पोस्ट ही एबोलिश कर दिया। इसलिए इस विभाग में कुछ प्रोत्साहन देने के लिए नियम बनायें जिससे ग्राम सेवक, ए0 डी0 ओ0 बी0 डी0 ओ0, कुछ साल बाद प्रोन्नत किये जा सकें।

मान्यवर, मन्त्री जी कहते हैं कि गाँव की ओर चलो तो मैं इसमें चाहूंगा कि मन्डी समिति की ओर से जो सड़कें बनाने की बात है तो जिस सड़क पर मिट्टी पड़ गयी है उसको पक्का आप करवाने वाले हैं कि नहीं? सम्पर्क मार्ग 3-4 किलोमीटर बने हैं। उसके बारे में आपकी क्या नीति है?

मान्यवर, पेयजल के बारे में जो हरिजन बस्तियाँ हैं उसके लिए अलग से जब तक कोई योजना नहीं बनायेंगे तब तक वहाँ कुछ नहीं होगा।

मान्यवर, पंचायत उद्योग की बात मन्त्री जी ने कही और जिसमें दो करोड़ रुपए खर्च करने की बात है। मैं यह जानना चाहूंगा कि पंचायत उद्योग जो है उसकी उपलब्धि क्या है? उसमें कितना इनवेस्टमेंट है, कितनी पूंजी उसमें लगी हुई है और कितनी उपलब्धि उसकी है।

मन्त्री जी गाँवों की ओर जाना चाहते हैं तो जो ब्लाक नियोजन के कर्मचारी हैं उनके बारे में भी आप सोचें वह भी निश्चितता अनुभव करें कि उनके प्रोन्नति के लिए व्यवस्था है।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

क्षमा करें। माननीय सदस्य आप अब नहीं बोल पायेंगे क्यों कि समय बहुत कम है।

श्री राम कृष्ण---

उपाध्यक्ष जी, मुझे तो बड़ी खुशी है कि विकास बजट पर बहस करते हुए सभी लोगों ने चाहे जिस दल के भी रहे हों मेरा समर्थन किया है। अब प्रस्ताव हाँ या ना का चाहे जहाँ भी जोड़ा जाय। अपने भाषण में जो भी विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किए सभी ने मुझे समर्थन दिया है। इस लिए जो बजट आया हुआ है उसका दिलेरी से विरोध करते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव रखते हुए हमारे माननीय सदस्य ने खास तौर से दो चीजों के बारे में कहा। एक चीज तो जिस क्षेत्र से वह आते हैं उसके बारे में कही कि वहाँ पर आदमी कीचड़ पी रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि कीचड़ तो 30 साल से काँग्रेस सरकार ने पिलाया है हम तो उनको पानी पिलाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं (तालियाँ) दूसरी चीज उन्होंने यह कही कि क्षेत्र समितियाँ समाप्त कर दी गयीं। क्षेत्र समितियों का तो कार्यकाल 1977 की फरवरी में ही समाप्त हो गया था। इनका चुनाव कराना चाहिए था उस समय पिछली सरकार को। हमने तो जब अप्रजातांत्रिक क्षेत्र समितियों को देखा तो सोचा कि चुनाव कराना चाहिए था। लेकिन चुनाव निदेशालाय ने लिख कर उत्तर प्रदेश सरकार को दिया कि चुनाव फरवरी में नहीं कराए जा सकते और नवम्बर-दिसम्बर में कर सकते हैं। इसलिए हम मजबूर थे जो अप्रजातान्त्रिक समितियाँ चल रही थीं उनको भंग करने में। हमारे सामने इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था?

श्री अरुण कुमार---

आप कराना चाहते थे लेकिन सीजन ठीक नहीं था। हम इसलिए नहीं करा पाये क्योंकि मार्च में चुनाव होने वाला था।

श्री जमुना प्रसाद---

हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत राज चौखम्भा राज्य है, डाक्टर लोहिया का सपना है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस देश की सरकार ने पंचायत राज के सिलसिले में अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति बना दी है जो सारे देश का दौरा कर रही है और वह जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, आशा है तीन--चार महीने में पेश कर देगी, तो उस रिपोर्ट के अनुसार हम सही मानों में इस धर्ती पर पंचायत राज को उतारने की कोशिश करेंगे।

हमारे कम्युनिस्ट साथी ने कहा कि बड़े बर्बरतापूर्वक पंचायत समितियों के आन्दोलन को इस शासन ने कुचला। आन्दोलन देखा भी या सिर्फ बर्बरतापूर्वक कुचल ही दिया। मैं बताना चाहता हूं कि दो ही शब्द ये जानते हैं कि बड़ा शोषण हुआ। शोषण और बर्बरतापूर्वक। दो ही शब्द जानते हैं तीसरा नहीं जानते, पंचायत सेवकों ने 29 अप्रैल को यह लिख कर दिया कि मैं अपने आन्दोलन को जो 2 मई से चलने जा रहा है

[श्री जमुना प्रसाद]

वापस ले रहे हैं और पता नहीं कौनसी शक्तियाँ थीं वही शक्तियां ये थीं जो असेम्बली को तोड़ती और असेम्बली में जूते चप्पल चलाती हैं, उन्होंने पंचायत सेवकों का आन्दोलन वापस करवा दिया। उनका आन्दोलन चला था। उनकी सरकार थी। उनसे बातचीत की और तीन चार दिन में आन्दोलन समाप्त हो गया और जो बन्द थे वे सब छूट गए। जो ग्राम सेवक तथा पंचायत सेवक के वेतन का अन्तर है उसे हम समाप्त करना चाहते हैं और जनता सरकार शीघ्र समाप्त कर देगी। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव को पेश करने वाले माननीय सदस्य से कहूंगा कि वह उसे वापस ले लें और इस अनुदान का समर्थन करें।

श्री रामकृष्ण—

जितने सदस्य बोले हैं सबने मेरे विचारों का समर्थन किया है। इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

14 जून को ग्राम सभाओं का समय समाप्त हो रहा है तो उनको अपनी मौत मरने देने का इरादा है।

श्री जमुना प्रसाद—

ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल 14 जून को समाप्त होने जा रहा है शासन को उनके समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 19—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 49—सामुदायिक विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,14,33,200 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 81—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्ययों के अन्तर्गत मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 81—सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,69,04,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मण्डल

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,34,95,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1—राज्य विधान मन्डल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,34,95,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,67,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14—अल्प बचतों की प्रोन्नति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 40,67,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा प्रशासन

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा-प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,75,73,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 20—कोषागार तथा लेखा-प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,75,73,900 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा की राज्यपाल भी सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,52,24,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26—अधिवर्ष भत्ते तथा पेन्शनें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12,52,24,300 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत होन वाले परिव्ययों को चुकानें के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,93,31,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 27—प्रकीर्ण सामान्य सेवायें के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,93,31,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 98—ऋण और अग्रिम-वित्त

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 98—ऋण और अग्रिम-वित्त के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,87,50,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 98—ऋण और अग्रिम-वित्त के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,87,50,100 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978

वित्त मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, पारित थोड़े हो रहा है, विचार हो रहा है। हमें थोड़ा कहने दें।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैंने कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं जब मैंने सामान्य चर्चा का जवाब दिया था जो कुछ सम्भावनायें थीं, आगे आने वाली, उनका जवाब दे दिया था।

श्री श्याम धर मिश्र—

हम लोगों को तो खाली कहना है उनको सुनना है। इस समय लम्बी बहस करने का समय नहीं है, यह बात सही है। लेकिन विनियोग विधेयक महत्वपूर्ण समय में आता है जब कि कुछ थोड़ी सी बातें कहनी होती हैं।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं और संसदीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं। मुख्य मन्त्री जी भी सौभाग्य से बैठे हैं, और मन्त्री भी हैं। करीब-करीब 21 दिनों तक अनुदानों पर बहस हुई करीब-करीब पांच दिन बजट पर बहस हुई। मेरा आपसे निवेदन है पिछले वर्ष का कटु अनुभव है कि जिन जिन विभागों के सम्बन्ध में जो कुछ सुझाव दिए हैं हमारे पास कोई सूचना नहीं आयी कि सुझाव माने गए या नहीं। हम नहीं कहते कि सभी सुझाव मान्य होंगे। यह हो नहीं सकता। कोई भी सरकार मान नहीं सकती। उसकी सीमाएं होती हैं। लेकिन दो तीन महीने के अन्दर, खास तौर से 60 दिन के अन्दर, केन्द्र में ऐसा होता है कभी कभी, हर विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, 60 दिन के अन्दर लिख कर भेजते हैं माननीय सदस्यों की यह सम्भावना है। इसकी जांच हुई तो दो महीने में अधिक से अधिक तीन महीने में हम लोगों के पास यह बात आनी चाहिए। हमारे सुझावों

[श्री श्याम धर मिश्र]

पर अलग विभागों में क्या कार्यवाही हुई, वह बात मालूम होनी चाहिए। इस वर्ष दुर्भाग्य से लेखानुदान आया। उसके कारण विलम्ब हुआ। अब मई में बजट पेश हो रहा है। अभी विधान परिषद् उठ गयी हमें नहीं मालूम कब पास होगा, हमें नहीं मालूम हमें फिर मिलना पड़ेगा। लेकिन काफी विलम्ब हुआ है। ज्यों ही पारित हो जाय जल्द से जल्द नीचे के दफ्तरों में भेज दें क्योंकि मुझे अनुभव है कि एक दो महीने चिट्ठी में लग जाते हैं। तब विलम्ब हो कर पहुंचता है।

पिछले साल विलम्ब हुआ, नवम्बर दिसम्बर तक, कुछ रुपया जिसको सदन ने स्वीकृत किया था समर्पण कर दिया गया, जैसे सिंचाई विभाग है, जैसे आज आपके समक्ष आया सार्वजनिक निर्माण विभाग जिसके लिए हम लोग बार बार चिल्लाते हैं कि और रुपया मिलना चाहिए उस विभाग तक ने समर्पण किया है। इसलिए किया है कि समय से उनको नहीं गया। तो मार्च के अन्त तक खत्म नहीं कर सकते। इस पर आप विचार करें। विलम्ब नहीं होना चाहिए। अभी विभागों की बात हो चुकी। विभागों के सम्बन्ध में तमाम चर्चाएं हो चुकीं। दिघे जी ने ठीक ही कहा एक एक विभाग के बारे में बात हो गयी। लेकिन हर विभाग जिसके बारे में बात हुई, करीब करीब आप यहां बैठे रहे हम लोग भी बैठे रहे हैं, माननीय सदस्यगण भी बैठे रहे हैं। करीब करीब इस बात की चर्चा अवश्य हुई पार्टी के ऊपर उठ कर चाहे सत्ताधारी दल हो या विरोधी दल, विरोधी दल में भी कई दल हैं, कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और बढ़ता जा रहा है। उधर जरूर ख्याल करें। यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पुराने जमाने में, जैसा कि कुछ मंत्री कहते पाये जाते हैं, भ्रष्टाचार था। अगर केवल इस बात से सन्तोष होता है तो मान लिया जायगा। लेकिन वह सन्तोष की बात नहीं है। आपको दूर करना होगा और तेजी से दूर करना होगा क्योंकि आप विकल्प रूप में आए हैं। इन शब्दों के साथ जो विनियोग विधेयक के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया है उसके सम्बन्ध में कह कर बैठता हूं और मैं आशा करता हूं कि इन बातों पर सरकार ध्यान देगी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, विनियोग विधेयक, जो माननीय मन्त्री जी ने इस सदन के सम्मुख रखा है, हर साल पास होता है। मालूम नहीं हालात ऐसे जाहिर हो रहे हैं, इसको खर्च करने का अवसर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। यह समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर नहीं होंगे तो आप के हर विभाग के मालिक आपके अधिकारीगण होंगे, वह ही इस रुपए को खर्च करेंगे और जरूर खर्च करेंगे। जरूरत इस बात की है कि अगर हालात इधर-उधर हो जायं तो आप ऐसा प्रबन्ध कर जायें कि वह अधिकारी उसकी सही रूप से ही खर्च करे। समय आपको काफी मिल रहा है। हर क्षेत्र में यह देख कर दुख होता है, चाहे किसान का मामला हो, गन्ना किसानों का गन्ना 30 प्रतिशत खेतों में खड़ा है, चाहे मजदूरों का मामला हो। लैन्ड रेवेन्यू की शक्ल में रुपया वसूल किया जाएगा लेकिन कल माननीय मन्त्री जी ने यह विश्वास नहीं दिया कि मजदूर को उसी महीने में रुपया मिल जाएगा। छात्रों का मसला अपनी जगह पर है। गेहूं 92 और 93 रुपए के भाव से बिक रहा है। किसान को 112.50 रुपए का भाव नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसा प्रबन्ध करें जिससे यह सारी समस्यायें दूर हो सकें। आप विनियोग विधेयक के बाद इन सारी चीजों को देखें। हमारी जनता आप पर आशा लगाए हुए है। आप कोशिश करें कि अगले वर्ष जब बजट पेश हो तो सारी की सारी तो न सही अगर 25 प्रतिशत गड़बड़ियां ही दूर हो जायं तो बहुत अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978-79 प्रस्तुत किया गया है मैं उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। जैसा कि पूर्व वक्ता श्री रियासत हुसैन जी ने और मिश्रा जी ने कहा, यह सही है कि विनियोग विधेयक इस सदन द्वारा पारित होता है और सरकार को अधिकार दिया जाता है कि वह रुपए को खर्च करे। पिछले कार्यकलाप को देखा जाए तो पता चलता है कि जो रुपया पिछले साल खर्च करने के लिए दिया गया था वह ही नहीं खर्च हो सका है। जिसके कारण सारी की सारी योजनायें ठप पड़ी रहीं और विकास का कार्य जो होना चाहिए था वह नहीं हो सका। यह सब इस शासन की योजनाबद्ध नीति न होने के कारण हुआ है। ऐसी हालत में सरकार को किस लिए पैसा दिया जाए? पिछले दिन माननीय खाद्य मन्त्री जी ने कहा था कि सीमेन्ट की कमी के कारण निर्माण कार्य नहीं हो सका है। छः लाख टन सीमेन्ट की आवश्यकता थी लेकिन सवा चार लाख टन नहीं मिल सकी। माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि उन्होंने 9 चिट्ठियां लिखीं लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने सारी की सारी चिट्ठियां प्रधान मन्त्री को लिखीं। अपने झगड़ों का निबटारा करने के लिए ये दिल्ली जाते रहते हैं लेकिन व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित नहीं किया। इनको व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। मान्यवर, बाजार ऋण को तो यह सरकार समझती ही नहीं है क्योंकि इसने उसको भी कम किया है जो देश और प्रदेश के लिए बहुत जरूरी होता है। इन्होंने फाइनेन्स कमीशन को भी नहीं बुलाया है। न प्लानिंग कमीशन के माननीय लकड़वाला से ही कोई रिपोर्ट प्राप्त की है और न प्रदेश की उन्नति की ही कोई बात की है।

गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एकाउन्ट्स और आडिट को अलग-अलग कर दिया था। पिछले शासन ने भी यही बात की थी और सरकार उसको स्वरूप देने ही जा रही थी कि इनको अलग-अलग कर दिया जाय। दोनों विभागों के एक ही जगह पर होने से सारी गड़बड़ियां होती हैं, छानबीन नहीं हो पाती है। पिछले शासन ने इन सारी बातों को सोच समझ कर ही ऐसा किया था लेकिन मौजूदा सरकार ने उसके विपरीत किया है। यह सारा का सारा पैसा तनख्वाह और दौरे के भत्तों में ही खर्च करने जा रही है।

शारदा सहायक परियोजना जो चल रही है आज वह ठप्प पड़ी हुयी है जिससे प्रदेश में जो कि खेतिहर प्रदेश है, कोई सिंचाई का स्वरूप नहीं हो पाया है। मेरा निवेदन है कि बजट सत्र में जो मंत्रियों और अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, दोनों पक्षों की ओर से, सम्मानित सदस्यों द्वारा उन के बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार 2 महीने में उनके बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दे, जवाब दे दे। इतना पैसा आप यहां पर ले रहे हैं ले भी लेंगे, जनता ने आपको बहुमत दिया है, हम भी स्वीकृति दे देंगे लेकिन इस पैसे को आप विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करें। यह जनता का पैसा है, इसका अपव्यय न हो। इस प्रदेश की प्रगति और निर्माण के लिए जो धन आप ले रहे हैं उसका संजीदगी, तत्परता और मितव्ययिता के साथ सदुपयोग करेंगे। आपको पैसा लेना चाहिए। पिछले शासन ने पैसा बढ़ाया था। आपकी गैर जिम्मेदारी हरकतों के कारण प्रदेश की सारी प्रगति कम हो रही है।

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, ज्यादा समय नहीं है नहीं तो बोलने के लिए तो काफी मसाला दे दिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मधुकर दिघे]

मान्यवर, मिश्रा जी ने कहा है कि बजट तो मई में पास होगा यहां से विधान परिषद् में जायेगा, तो अब मई के बाद खर्चा होगा। माननीय मिश्रा जी को मालूम होना चाहिए कि लेखानुदान द्वारा माननीय सदन न स्वीकृति दे दी थी और मई तक का खर्चा उसी हिसाब से हो रहा है और 31 मई के बाद यह जो बजट स्वीकृत हो जायगा, इसके अनुसार होगा। इसमें 26 अरब रुपये की जो धनराशि है, इसमें लेखानुदान का जो रुपया था वह भी सम्मिलित है। इसलिए जो आशंका माननीय मिश्रा जी की है, वह निर्मूल है।

मान्यवर, माननीय मिश्रा जी ने यह भी शंका व्यक्त की है कि हम उनके सुझावों पर अमल करेंगे या नहीं? मैं अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं कि प्रदेश के हित में, प्रदेश के करोड़ों लोगों के जीवन को सुधारने में, गरीबी के दलदल में फंसे हुए को उभारने के लिए, अन्त्योदय की जो कल्पना है, उसको साकार करने के लिए, जो भी सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आये हैं, उन पर सम्पूर्ण तरीके से अमल करने का काम यह शासन करेगा, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं।

मान्यवर, सामान्य चर्चा के समय उत्तर देते समय अपने उत्तर में कहा था कि खर्चा करने के दो तरीके हैं एक तो खर्चा दिखाना और एक ईमानदारी के साथ खर्चा करना। अब मंजूर अहमद साहब की बात मान लें। या गुलाब सेहरा जी की—वह तो लिखने में मग्न हैं, उनकी मान लें तो खर्चा करने के नाते तमाम बहस छिड़ेगी वह मैं बोल चुका हूं, थोड़ा सा इशारे से कहना चाहता हूं कि यहां ये लोग कैसा खर्चा करते थे कि जिसको अधिकार भी नहीं दिया हुआ है संवैधानिक तरीके से, उसके ऊपर भी खर्चा करने के लिए इनकी कलम बहुत आसानी से उठ जाती थी, मन्त्रियों के ऊपर खर्चा करने के लिए इनकी कलम उठ जाती थी और चाहे योजना लागू हो या न हो, लेकिन माननीय इन्दिरा गांधी जी के कृपा पात्र हो जायं, इसके लिए उनके नाम का फलक लग जाय, तो सारी योजनाओं का पैसा एक ही चुनाव में, एक ही दिन में लगाने के लिए लिख देते थे। इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई भी काम जनता पार्टी का शासन नहीं करने वाला है। (व्यवधान)।

मान्यवर, हम लोग तो कम से कम गोली चलने पर कुछ शर्म खाते हैं, लेकिन उधर जो पहले सरकार में थे वे बशर्मी से उसकी तारीफ करते थे। उस पर बहस न हो, तो अच्छा है।

मैं एक बात और कहता हूं। खर्चा होगा या नहीं? मैं आपके समक्ष, सदन के समक्ष, अपने माननीय सहयोगियों के समक्ष, पूरे प्रदेश के जिन लोगों को इस बजट के अनुसार कार्य करना है उसका एग्जीक्यूशन करना है, उनको चेतावनी दे देना चाहता हूं कि यह जो बजट स्वीकार माननीय सदन ने किया है और जो पैसा स्वीकार किया है और जो हमारी योजना है, जो कार्य क्रम हमने रखा है, उसको कार्यान्वित करने का काम उनको करना होगा। यदि वे नही करेंगे तो जनता पार्टी का शासन—पुराने शासन ने, उन्हें चाहे माफी दी होगी. लेकिन यह शासन उन्हें माफ करने वाला नहीं है और न अपने को माफ करने वाला है।

गेहूं के बारे में इन्होंने थोड़ी सी बात कह दी, इसलिए उस सम्बन्ध में भी थोड़ा जिक्र कर दूं। हमने तो 112 रुपए 50 पैसे प्रति कुन्टल खरीद की दूकान खोल दी है। अब रियासत जी को मोहब्बत है कि अपने गांव वालों को भड़का करके 90 रुपयों में ही बिकवा दें ऐसी बात उनके दिल में हो, तो मैं नहीं जानता। हमारी दूकान पर 112 रु0 50 पैसा इनको मिलेगा, ये गेहूं लेकर आवें। और मैं सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों से कह देना चाहता हूं कि ऐसे सभी लोगों से सजग रहना जो आपकी लूट को पसन्द करते हैं, आपको धोखे में डालना चाहते हैं, आपको गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं।

अगर कहीं किसी प्रकार का प्रचार किया गया कि 90 रुपये में बाजार में बेचिये, तो इसी आशंका को लेकर हमने फैसला किया कि किसी भी किसान को लूट प्रदेश में न हो। इसलिए 112·50 रुपये के भाव से हमारे यहाँ बेच कर जाओ। इससे ज्यादा कहीं मिले, तो दूसरी जगह बेचो। और इस ऐलान के बाद कि चाहे जितना गेहूं आपके पास हो, हम सब खरीद लेंगे मैं यह कह रहा हूं। अब माननीय रियासत हुसैन बजाय हमारी तारीफ करने के एक आशंका का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। पता नहीं उनका क्या उद्देश्य है? क्यों रियासत साहब की मुहब्बत हम लोगों से कम होकर कांग्रेस (आई0) की तरफ बढ़ रही है?

मैं एक बात कह कर समाप्त कर दूंगा। मैं उन लोगों की तारीफ करता हूं जो चढ़ती जवानी में भी साथ रहे, बुरे दिनों में भी साथ रहे। मेरा मतलब नारायण दत्त तिवारी जी से है। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि बुरे दिनों के साथी हैं, लेकिन चढ़ती जवानी को देख कर इधर-उधर बहकने लग जायं, ललचाई हुई नजर से देखने लग जायं तो मुझे शक होता है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। इस प्रदेश की जनता को और माननीय मिश्रा जी को कि बहुत से ऐसे लोग दुनिया में होते हैं कि छोटी सी जीत से एकदम गुदगुदी उनको पैदा होती है और नाचने लगते हैं और एक जरा सा छोटा सा तमाचा पड़ा तो रोने लग जाते हैं। राजनीति में जरा धीरज रखना होता है। एक छोटी सी हार और जीत से खुशी मनाने वाले लोग राजनीति के लायक नहीं हुआ करते हैं और उस विश्वास के साथ जो यह विधेयक हमने पेश किया है 26 अरब, 82 करोड़, 65 लाख 47 हजार और 300 रुपए का जो इस प्रदेश की जनता को गरीबी के दलदल से उठाने का फैसला किया है, उसमें आप सहयोगी होइये, हम और आप सब मिल कर उस काम को, इस बजट को पास करने के बाद इस विनियोग विधेयक की स्वीकृति के बाद, आप मेरा सहयोग करेंगे, इस आशा के साथ मैं इस सदन से अपेक्षा करता हूं कि आप इस विनियोग विधेयक को स्वीकृत करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड–1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश बिनियोग विधेयक, 1978

31 मार्च, 1979 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संहृत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था के लिए;

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 1978 कहलायगा।

उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से वर्ष 1978-79 के लिए 26,82,57,47,300 रुपए का दिया जाना

2—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 31 मार्च, 1979 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग [उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1978 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1978) की अनुसूची के स्तम्भ 3 में निर्दिष्ट धनराशियों को सम्मिलित करके] 26,82,57,47,300 रुपए (केवल छब्बीस अरब, बयासी करोड़, सत्तावन लाख, सैंतालीस हजार, तीन सौ रुपए) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहृत निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1979 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो अनुसूची में दिए हुए हैं।

अनुसूची

(धाराएं 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल ..	1,61,84,000	3,12,500	1,64,96,500
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय ..	..	13,64,800	13,64,800
3	मन्त्रि परिषद् ..	58,50,600	..	58,50,600
4	न्याय प्रशासन ..	7,55,96,100	1,42,85,600	8,98,81,700
5	निर्वाचन ..	76,14,800	..	76,14,800
6	वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा सेवायोजन पर कर ..	10,94,000	1,100	10,95,100
7	भू-राजस्व ..	38,72,79,400	2,60,32,800	41,33,12,200
8	स्टाम्प एवं पंजीकरण ..	1,68,61,000	2,400	1,68,63,400
9	भूमि और भवन कर ..	32,200	..	32,200
10	राज्य आबकारी ..	1,08,32,400	7,200	1,08,39,600
11	बिक्री-कर ..	7,89,62,400	6,05,35,000	13,94,97,400
12	मोटर गाडियों, माल और यात्रियों पर कर	9,59,17,400	4,500	9,59,21,900
13	अन्य कर और शुल्क ..	53,18,400	1,100	53,19,500
14	अल्प बचतों की प्रोन्नति ..	48,80,300	..	48,80,300
*15	ऋण कम करना अथवा उसका परिहार ..	..	29,44,00,800	29,44,00,800
*16	ब्याज का भुगतान ..	..	1,22,18,96,900	1,22,18,96,900
*17	लोक सेवा आयोग ..	..	43,78,300	43,78,300
18	सचिवालय ..	7,60,44,900	4,100	7,60,49,000
19	जिला प्रशासन ..	9,84,16,600	20,000	9,84,36,600
20	कोषागार तथा लेखा प्रशासन	2,09,03,900	2,100	2,09,06,000
21	पुलिस ..	74,82,41,100	6,000	74,82,47,100
22	कारागार ..	6,23,48,600	2,000	6,23,50,600
23	लेखन-सामग्री और मुद्रण ..	5,41,60,000	..	5,41,60,000
24	सार्वजनिक निर्माण कार्य ..	1,13,43,800	16,500	1,13,60,300
25	अन्य प्रशासनिक सेवाएं ..	5,97,78,800	1,100	5,97,79,900
26	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	15,02,69,300	9,10,000	15,11,79,300
27	प्रकीर्ण सामान्य सेवाएं ..	8,31,97,100	2,000	8,31,99,100

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या।

अनुसूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
28	शिक्षा ..	2,57,93,52,100	6,900	2,57,93,59,000
29	कला एवं संस्कृति ..	76,79,200	1,100	76,80,300
30	वैज्ञानिक सेवाएं एवं शोध	30,24,900	..	30,24,900
31	चिकित्सा ..	54,94,49,900	11,000	54,94,60,900
32	परिवार कल्याण ..	11,42,75,700	4,000	11,42,79,700
33	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	17,66,28,600	5,000	17,66,33,600
34	मल निकासी व्यवस्था तथा जल सम्पूर्ति ..	12,55,74,600	..	12,55,74,600
35	आवास भवन ..	1,06,16,300	4,38,500	1,10,54,800
36	नगर विकास ..	42,28,300	..	42,28,300
37	सूचना तथा प्रचार ..	1,46,42,500	1,100	1,46,43,600
38	श्रम एवं सेवायोजन ..	8,48,82,700	23,000	8,49,05,700
39	हरिजन कल्याण एवं समाज कल्याण ..	25,07,35,300	2,500	25,07,37,800
40	अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं	4,99,13,300	31,300	4,99,44,600
41	दैवी आपदाओं के कारण सहायता ..	4,18,05,200	2,18,01,000	6,36,06,200
42	अन्य सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं ..	9,85,700	..	9,85,700
43	सहकारिता ..	6,71,27,400	2,500	6,71,29,900
44	विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र ..	85,12,87,000	1,34,100	85,14,21,100
45	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3,09,04,800	5,000	3,09,09,800
46	कृषि ..	38,62,80,000	41,000	38,63,21,000
47	औद्योगिक विकास ..	2,86,60,400	2,38,500	2,88,98,900
48	गन्ना विकास ..	10,13,05,500	2,100	10,13,07,600
49	सामुदायिक विकास	37,33,95,200	26,500	37,34,21,700
50	भूमि तथा जल संरक्षण ..	6,68,93,900	2,100	6,68,96,000
51	क्षेत्र विकास ..	40,30,93,600	..	40,30,93,600
52	खाद्य ..	8,16,06,000	50,000	8,16,56,000
53	पशुपालन ..	12,00,60,200	2,500	12,00,62,700
54	दुग्धशाला (डेरी) विकास	1,48,64,500	1,200	1,48,65,700
55	मत्स्य उद्योग ..	85,44,900	1,100	85,46,000
56	वन ..	8,78,32,500	73,000	8,79,05,500

अनुसूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
57	उद्योग ..	6,11,40,800	25,600	6,11,66,400
58	ग्राम एवं लघु उद्योग ..	6,48,35,300	..	6,48,35,300
59	खानें तथा खनिज ..	67,28,900	2,100	67,31,000
60	विद्युत् विकास ..	1,50,01,100	..	1,50,01,100
61	राजस्व से किए जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य	89,06,26,000	2,000	89,06,28,000
62	सिंचाई अधिष्ठान ..	43,80,90,000	10,000	43,81,00,000
63	सिविल विमानन	12,49,000	..	12,49,000
64	संचार साधन ..	29,01,64,700	10,000	29,01,74,700
65	कार्यात्मक भवन ..	1,35,48,300	20,000	1,35,68,300
66	सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान	19,76,37,900	5,000	19,76,42,900
67	सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान	4,74,63,400	..	4,74,63,400
68	सड़क तथा जल परिवहन	12,82,500	..	12,82,500
69	पर्यटन ..	32,03,600	..	32,03,600
70	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा अभ्यर्पण	10,01,89,600	..	10,01,89,600
71	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय ..	11,42,03,200	1,00,000	11,43,03,200
72	कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	2,79,54,100	3,25,000	2,82,79,100
73	चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,55,17,600	..	1,55,17,600
74	आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	3,78,24,200	50,000	3,78,74,200
75	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	24,01,200	50,000	24,51,200
76	सहकारिता तथा डेरी विकास सम्बन्धी योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	12,11,27,900	..	12,11,27,900
77	विशेष तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय ..	29,73,17,400	2,000	29,73,19,400

अनुसूची (क्रमशः)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवाएं और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहृत निधि पर भारित	योग
1	2		3	
		रु0	रु0	रु0
78	विभिन्न उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय ..	17,93,07,700	25,00,000	18,18,07,700
79	जमींन्दारी उन्मूलन के सम्बन्ध में प्रतिकर ..	12,11,100	..	12,11,100
80	कृषि योजनाओं पर पूंजीगत परिपरिव्यय	33,68,01,200	9,000	33,68,10,200
81	सामुदायिक विकास योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	10,22,85,100	..	10,22,85,100
82	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय	1,31,97,00,000	..	1,31,97,00,000
83	पशुपालन तथा मत्स्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	15,11,000	..	15,11,000
84	वनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	30,03,000	1,100	30,04,100
85	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	2,02,77,75,000	2,000	2,02,77,77,000
86	बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	29,52,75,000	..	29,52,75,000
87	संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय ..	53,87,47,700	50,000	53,87,97,700
88	सड़क परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय ..	1,200	..	1,200
89	पर्यटन सेवाओ पर पूंजीगत परिव्यय	8,36,000	..	8,36,000
*90	राज्य सरकार के ऋण ..	..	6,69,55,95,500	6,69,55,95,500
91	ऋण और अग्रिम—शिक्षा	87,10,000	..	87,10,000
92	ऋण और अग्रिम—स्वायत्त शासन ..	15,21,06,700	..	15,21,06,700
93	ऋण और अग्रिम—सहायता एवं पुनर्वासन ..	47,00,100	..	47,00,100
94	ऋण और अग्रिम—उद्योग	12,21,84,100	..	12,21,84,100
95	ऋण और अग्रिम— सहकारिता	1,44,82,000	..	1,44,82,000
96	ऋण और अग्रिम—कृषि	7,14,75,200	..	7,14,75,200
97	ऋण और अग्रिम—विद्युत्	1,82,30,00,000	..	1,82,30,00,000
98	ऋण और अग्रिम—वित्त	2,25,00,100	..	2,25,00,100
	योगः	18,47,98,96,200	8,34,58,51,100	26,82,57,47,300

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मधुकर दिघे—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा सदन के समय के निर्धारण का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य मन्त्रणा समिति ने अपनी आज दिनांक 13 मई, 1978 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(1) दिनांक 17 मई, 1978 को अपराह्न 1 बजे तक उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार एवं उसके पारण के प्रस्ताव लिए जायं, और

(2) उस दिन अपराह्न के 1 बजे से असरकारी कार्य लिया जाय।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा दी गयी संस्तुति से, जिसकी सूचना उपाध्यक्ष ने आज इस सदन को दी है, सहमत है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिशों से, जिसकी सूचना श्री उपाध्यक्ष ने आज सदन को दी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनाएं हैं—पहली श्री रवीन्द्र सिंह की दिनांक 11 मई, 1978 की रात्रि को एलगिन मिल, कानपुर में आग लगने के कारण 14 लाख रुपए की रुई के जल कर नष्ट होने के विषय पर है।

माननीय उद्योग मन्त्री इसके ऊपर वक्तव्य देंगे।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने परगनाधिकारियों को तहसील मुख्यालयों से जिला मुख्यालयों पर वापस किए जाने सम्बन्धी आदेश से अधिवक्ताओं तथा जनता में असन्तोष सम्बन्धी एक सूचना दी है।

यह दूसरी वाली अस्वीकृत है।

सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लिए 15 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में होने वाली नियम 52 की चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष—

यह जो पहले बहस चल रही थी, माननीय संसदीय कार्य मन्त्री कृपा करके बता दें कि इस पर कितना समय देंगे? 4 घंटे इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है अब आज इसके ऊपर कितना समय देंगे?

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—
मान्यवर, दो घंटे बाकी हैं, अध्यक्ष जी ने कह दिया था।

एक सदस्य—
इस पर दो घंटे की चर्चा होनी चाहिए।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री मधुकर दिघे)—
मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि एक घंटे का समय कर दिया जाय।

श्री रेवती रमण रस्तोगी (जिला कानपुर)—
नारायण, व्यवस्था का प्रश्न है। कल इस पर बहस पूरी नहीं हुई थी, इसलिए 2 घंटे की चर्चा रखी गई है, इस कार्यक्रम में। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। विचार कीजिए श्रीमन्, नारायण।

श्री उपाध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि आरक्षण के ऊपर चर्चा के लिए एक घंटे का समय बढ़ा दिया जाय ?

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—
उपाध्यक्ष महोदय, एक जानकारी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—
आप लोग बैठ जायें।

श्री बाबू बदरे—
मान्यवर, यह जानकारी चाहता हूं कि कल से कानपुर के बारे में कई विधायकों ने सवाल उठाए हैं। वहां डकैती पड़ी है। आज वहां पूरी तरह से हड़ताल है। क्या इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री को जानकारी है। अगर उनकी जानकारी में है तो बता दें बड़ी अच्छी बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष—
यह तो सुबह हो गया है। आप गृह मन्त्री के पास लिखकर भेज दें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—
यह जो आज तीन दिनों से बहस चल रही है। यह बिल्कुल प्रदेश की जनता की भावनाओं के विरुद्ध है। लगातार इस पर आप छूट दे रहे हैं, सदन के अन्दर छूट दे रहे हैं। इससे जनता को कोई लाभ नहीं होगा। समय इस पर न देने की तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। जनता और प्रदेश के हित में नहीं है। अगर आज बहस होगी, मैं अपने दल का अकेला सदस्य हूं, मैं सदन त्याग करूंगा।

(श्री भगवती प्रसाद सिंह सदन से उठकर चले गए।)

श्री मधुकर दिघे—
माननीय सदस्यों की जो राय है वह यह लगती है कि माननीय सदस्य इस पर विचार करना चाहते हैं। मैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर अपने पुराने प्रस्ताव में संशोधन करता हूं। आज हम इसको समाप्त करें और 17 तारीख को जब पुनः मिलेंगे तो उस दिन इस पर दो घंटे चर्चा हो जाय।

श्री बाबू बदरे—
मान्यवर, आज स्थगित करके 17 मई को दो घंटे ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—
संसदीय कार्य मन्त्री जी, अब क्या सदन को स्थगित करके 17 को लिया जाय ?

श्री मधुकर दिघे—

हां, आज समाप्त करके 17 मई को लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आज चर्चा इस पर स्थगित की जाती है और 17 को फिर लेंगे ।

अब हम उठते हैं और 17 मई को 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 20 मिनट पर बुधवार 17 मई, 1978 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
13 मई, 1978

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

मत्थी 'क'

(देखिए पीछे पृष्ठ 617 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र (1978) के चौथे गुरुवार के लिए निर्धारित श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 6 तथा 7 के उत्तर

प्रश्न	उत्तर
6—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 26 जनवरी, 1977 को मुहल्ला नगर झांसी में बनी टंकी पानी भरने पर ही गिर पड़ी थी ? उक्त टंकी के गिरने का क्या कारण था और उक्त टंकी का डिजाइन स्वीकार करनें और भूमि का निर्णय करनें जुलाई 1975 तक उक्त टंकी के निर्माण की देखरेख करने वाले सहायक इंजीनियर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, और सुपरिटेन्डेण्ट इंजीनियर कौन-कौन थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?	6—जी हां, टंकी गिरने के कारणों की जांच करने के लिए शासन द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया था। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसका परीक्षण किया जा रहा है। टंकी की डिजाइन स्वीकार करने, भूमि का निर्णय करने तथा जुलाई, 1975 तक उक्त टंकी के निर्माण की देख-रेख करने वाले अभियन्ताओं के नाम संलग्न सूची में दे दिये गये हैं। जांच समिति की रिपोर्ट पर निर्णय होने के बाद दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार किया जायगा।
7—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश जल निगम ने मारुती लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली से लाखों रुपया का पोलिमिक्स 1975-76 और 1976-77 में खरीदा है ? क्या इसके टेंडर मांगे गये थे ? क्या यह सही है कि उक्त पोलिमिक्स को हानिकारक बताया गया है, इसी कारण उसका इस्तेमाल करना रोक दिया गया है ?	7—प्रश्न का प्रथम भाग— केवल वर्ष 1976-77 में जल निगम द्वारा लगभग 11,000 रु0 मूल्य का 5 कुन्टल पोलिमिक्स मारुती लिमिटेड से प्रयोगात्मक आयात पर झासी बबीना जलकल के लिए खरीदा गया था और इस धनराशि का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। प्रश्न का द्वितीय भाग— जी नहीं, उक्त फर्म से कोटेशन मांगा गया था। प्रश्न का तृतीय भाग— जी नहीं, इसका प्रयोग करने के लिए इंडस्ट्रीयल टैक्सकोलोजी रिसर्च सेन्टर, लखनऊ, से उसकी मात्रा (डोज) निर्धारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सत्य प्रकाश मालवीय,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

पी0एस0यू0पी0—एल0 211 वि0सभा (363)—1979—843।